हरियाणा विधान सभा
की
कार्यवाही

01 दिसम्बर, 2015

खण्ड-3, अंक-2

अधिकृत विवरण

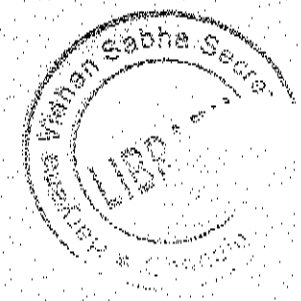

विषय सूची

मंगलवार, 01 दिसम्बर, 2015

	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(2) 1
अध्यापकों, विद्यार्थियों एवं जिला हिसार के उकलाना निर्वाचन क्षेत्र की कुछ महिलाओं का अभिनन्दन	(2) 5
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)	(2) 5
नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(2) 19
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(2) 33
विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना	(2) 39
धान खरीद घोटाले का मामला उठाना	(2) 39
बैठकों का स्थगन	(2) 40
सदस्यों का नाम लेना	(2) 40

वॉक आउट (2) 42

विशेषाधिकार के प्रश्न का मामला उठाना (2) 43

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना (2) 44

श्रीमती संतोष चौहान सारवान, विधायिका के जन्मदिन पर बधाई (2) 44

विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना (2) 44

नाम लिए गए सदस्यों को वापस बुलाने बारे निवेदन (2) 45

वॉक आउट (2) 47

धान खरीद घोटाले का मामला उठाना (2) 48

ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचनाएं (2) 49

सदस्यों का नाम लेना (2) 54

संसदीय कार्यमंत्री द्वारा वक्तव्य (2) 55

मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाएं (2) 58

नेम किए गए सदस्यों को वापस बुलाने सम्बंधी निर्णय (2) 60

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव-

(i) राज्य में वैज्ञानिक, व्यावहारिक और लाभकारी फसलों को उगाने के लिए सरकार द्वारा प्रभावशाली हस्तक्षेप करने सम्बंधी (2) 60

वक्तव्य-

कृषि मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सम्बंधी (2) 61

वॉक आउट (2) 67

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव (पुनरारम्भ) (2) 67

वैयक्तिक स्पष्टीकरण-

श्री करण सिंह दलाल, एम0एल0ए0 द्वारा (2) 71

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव (पुनरारम्भ) (2) 71

(ii) गेहूं के नकली बीज से सम्बन्धित (2) 75

वक्तव्य-

कृषि मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सम्बंधी (2) 76

वॉक आउट (2) 83

विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना (2) 84

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव (पुनरारम्भ) (2) 84

जिला कैथल एवं उसके आस-पास के एरिया में पीने के पानी की समस्या से सम्बन्धित मामला उठाना (2) 84

अल्प अवधि सूचना संख्या-2 एवं उस पर वक्तव्य (2) 86

नियम 15 के अधीन प्रस्ताव	(2) 86
नियम 16 के अधीन प्रस्ताव	(2) 86
सदन की मेज पर रखा जाने वाला कागज-पत्र	(2) 87
विधान कार्य	
(i) दि हरियाणा स्टेट यूनिवर्सिटी आफ होर्टिकल्चर साइंसिज करनाल बिल, 2015	(2) 87
(ii) दि हरियाणा गौ-सेवा आयोग (अमैंडमैंट) बिल, 2015	(2) 89
(iii) दि हरियाणा प्राइवेट यूनिवर्सिटिज (अमैंडमैंट) बिल, 2015	(2) 90
(iv) इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी, मीरपुर (अमैंडमैंट एण्ड वैलीडेशन) बिल, 2015	(2) 91
(v) दि हरियाणा पंचायती राज (सैकिंड अमैंडमैंट बिल, 2015	(2) 93
मुख्यमंत्री द्वारा बिजली की बढ़ी दरों के बारे में वक्तव्य	(2) 94
मुख्यमंत्री/अध्यक्ष द्वारा धन्यवाद।	(2) 99

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 1 दिसम्बर, 2015

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में दोपहर 10.00 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री कंवर पाल) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नकाल शुरू होता है।

NOC form DTPO

***950. Shri Randhir Singh Kapriwas :** Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) whether it is mandatory to obtain No Objection Certificate (NOC) from District Town Planner (DTPO) to get registration of the land in Tehsils under section 7 (A) in the urban areas of the state;

(b) if so, whether it is a fact the registration of land is being made in Tehsils without NOC of DTPO till to date; and

(c) if so whether there is any proposal under consideration of the Government to abolish the section 7 (A) in the State?

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : श्रीमान जी।

(क) हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 (1975 का अधिनियम संख्या 8) की धारा 7 के तहत ऐसी रिक्त भूमि जिसका क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर से कम हो तथा धारा 7क के तहत अधिसूचित शहरी क्षेत्रों में पड़ती हो, उसके क्रय विक्रय एवं उसे पट्टे पर देने के लिए सम्बंधित जिला नगर योजनाकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है।

(ख) नही श्रीमान जी।

(ग) प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

श्री रणधीर कापड़ीवास: अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बहुत गम्भीर है। हमारी सरकार यह मानती है कि करप्शन जीरो टोलरैंस पर हो लेकिन इस मामले में Section 7-A is a tool of the corruption. यहीं से ही करप्शन शुरू होती है। अगर आप जिला टाउन प्लानर से एन.ओ.सी. लेने के लिए जाते हैं तो उसके लिए भी कुछ चाहिए। यदि एन.ओ.सी. नहीं लेते हैं तो भी तहसीलों में जमीनों का पंजीकरण किया जा रहा है और it is prevailing today also. ऐसी हालत में यह सबसे खतरनाक सैक्शन है जो 1979 में पिछली सरकारों ने बनाया था और उससे पहले यह सैक्शन नहीं थी और आज इसकी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए क्योंकि जमीन बेचने और खरीदने का अधिकार हम सब का है। अगर मेरे पास जमीन का छोटा टुकड़ा है और मैंने लड़की की शादी करनी है और उसके लिए मुझे पैसे की जरूरत है तो मुझे अपनी जमीन का वह छोटा टुकड़ा बेचना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास और कोई साधन नहीं है। यह कानून इस सोच के साथ

[श्री रणधीर कापड़ीवास]

बनाया गया था ताकि अवैध कालोनियां निर्मित न हों लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं थी क्योंकि उसके लिए प्रिवेलिंग टाउन एण्ड कंट्री का कानून पर्याप्त है। यदि वह कानून काम नहीं करता और हम इस टूल का सहारा लेते हैं तो करप्शन और बढ़ती है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि करप्शन जीरो टोलरैंस पर हो इसको देखते हुए इस सैक्शन 7 ए. को खत्म किया जाना चाहिए। इस बारे में मैं आपके माध्यम से यह बात सरकार के ध्यान में लाना चाहूंगा कि हमारे अधिकारी सैक्शन 7-ए को खत्म किये जाने के पक्ष में न कभी थे, न ही अब हैं और न ही कभी होंगे इसके विपरीत वे बातों को घुमाफिराकर इसकी आवश्यकता बताकर यह सिद्ध करना चाहते हैं कि यह बहुत ज़रूरी है। एक टूल से अर्थात सैक्शन 7-ए की एक बात से जिससे करप्शन ज्यादातर होता है उससे हम यह चाहें कि अवैध कालोनियां बननी रूक जायेंगी और हमारा टाउन एण्ड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमैंट आराम से बैठ जायेगा तो यह दोहरी मार है। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज भी इस टूल के बाद भी पिछले साल का रिकार्ड देख लें और चाहे उससे पहले साल का रिकार्ड देख लें तो आप पायेंगे कि इस सैक्शन 7-ए से केवल और केवल मात्र करप्शन बढ़ा है और किसी भी स्तर पर अवैध कालोनियों का निर्माण इससे कदापि नहीं रूका है। न ही इससे सेल डीड रूकी है और न ही रजिस्ट्रियां होनी ही रूक पाई हैं। यह सब आज भी हो रहा है। इसके बावजूद भी सरकार अगर यह मानती है कि यह ज़रूरी है तो मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि फिर इसकी लीगल आईडैंटिटी क्या है? मैं सरकार से यह भी जानना चाहता हूं कि ऐसी हालत में हम करप्शन से कैसे छुटकारा पायेंगे और हम इसको फुल प्रूफ कैसे करेंगे? मैं एक बार फिर से सरकार के ध्यान में यह बात लाना चाहूंगा कि केवल इस एक बिन्दु से बड़े स्तर पर करप्शन हो रही है। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इसकी जांच करवाकर इसकी आईडैंटिटी को पूरी तरह से समझकर इसको पूरी तरह से निरस्त करवाया जाये जो कि बहुत आवश्यक है।

कैप्टन अभिमन्यु : आदरणीय अध्यक्ष जी, माननीय साथी ने जो विषय उठाये हैं उस बारे में मैं उनको बताना चाहूंगा कि यह जो 1979 में प्रावधान किया गया था जैसा कि उन्होंने स्वयं भी इसके परपज़ का उल्लेख किया है। हरियाणा प्रदेश में जैसे-जैसे अथॉराईज्ड कालोनाईजेशन का सिलसिला प्रारम्भ हुआ तो अन-अथॉराईज्ड, इर-रेगूलर और इललीगल कॉलोनाईजेशन को रोकने के लिए यह प्रावधान डाला था। यह केवल मात्र हरियाणा प्रदेश के 23 शहरों में लागू किया गया। इनमें 21 जिला मुख्यालय थे और बहादुरगढ़ व महेन्द्रगढ़ मिलाकर इस प्रकार से 23 शहरों में इसे लागू किया गया। इसके तहत रजिस्ट्री करने पर अगर किसी व्यक्ति का एक हैक्टेयर से कम ज़मीन का टुकड़ा है और वह नोटिफाईड अर्बन एरिया में आता है तो उसकी रजिस्ट्री करने पर कोई बैन नहीं है। उसको केवल मात्र इसकी एन.ओ.सी. के लिए ही एप्लाई करना होगा। इस प्रकार से किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए एन.ओ.सी. का प्रावधान है। जिस प्रकार से माननीय सदस्य ने चिंता व्यक्त की है कि एन.ओ.सी. की वजह से भ्रष्टाचार होता है। इससे भ्रष्टाचार न हो। हमारी सरकार ने ज़ीरो टरसैंट टॉलरैंस की नीति पर चलते हुए हमने एक सरल प्रारूप बनाया है और उसको ऑन लाईन अपनी वैबसाईट पर अवेलेबल करवाया है ताकि कोई भी व्यक्ति उसकी कॉपी लेकर एन.ओ.सी. के लिए एप्लाई कर सके। इसके लिए हमने समय सीमा भी निर्धारित कर दी है। विभिन्न साईज़ के हिसाब से मैं उसकी डिटेल में जाने के बजाये मैं केवल इतना ही बताना चाहूंगा कि 1000 स्क्वेयर मीटर से

नीचे की ज़मीन की रजिस्ट्री का अगर किसी व्यक्ति को एन.ओ.सी. लेना है तो विभाग को 30 दिन के अंदर-अंदर वह एन.ओ.सी. सम्बंधित व्यक्ति को देनी ही पड़ेगी। इसी प्रकार से अगर किसी व्यक्ति को अपनी एक हैक्टेयर की रजिस्ट्री की एन.ओ.सी. लेनी है तो विभाग को उस व्यक्ति को 90 दिन के अंदर-अंदर वह एन.ओ.सी. देनी पड़ेगी। विभाग लगातार इस एन.ओ.सी. की मॉनीटरिंग भी करता है। एक जिले में हमारे पास इस प्रकार की 44 एप्लीकेशंज़ आई थी। यह सभी कुछ विभाग की वैबसाईट पर अवेलेबल हैं। इसके अतिरिक्त उसमें ट्रांसपैरेंसी की भी कोशिश की गई है। जैसे माननीय सदस्य ने कहा कि कुछ ऐसे तहसीलदार हैं जिन्होंने बिना एन.ओ.सी. के आज भी रजिस्ट्रियां की हैं। इस प्रकार के जितने भी मामले हमारे संज्ञान में आये हैं उनके ऊपर बराबर कार्यवाही होती रही है। मैं माननीय सदस्य के साथ पूरे सदन की जानकारी के लिए यह भी बताना चाहूंगा कि सैक्शन 7-ए की वॉयलेशन के लिए 6 तहसीलदार/नायब तहसीलदार चार्ज़ शीट भी किये गये हैं। जैसा कि मैं यहां पर बता रहा था कि मेवात जिले से हमारे पास 44 एप्लीकेशंज़ आई हैं उनमें से केवल 10 ही पैंडिंग हैं, 30 को एन.ओ.सी. जारी कर दी गई है और शेष 4 को ऑबजैक्शन कन्वे कर दी गई हैं। इसके बाद भी विभाग इसका प्रयास कर रहा है कि केवल मात्र इससे सम्बंधित फॉरमैट को ही ऑन लाईन न किया जाये अपितु इस पूरे प्रोसीज़र को ही कम्पलीटली ऑन लाईन कर दिया जाये और जो भी नागरिक अपनी ज़मीन की रजिस्ट्री के लिए एन.ओ.सी. चाहता है वह ऑन लाईन एप्लाई कर दे और सम्बंधित तहसीलदार के कार्यालय में वह एप्लीकेशन रिफलैक्ट हो जाये जिससे मांगी गई एन.ओ.सी. भी निर्धारित समय सीमा के अंदर दे दी जाये ताकि भविष्य में इस प्रकार की किसी भी परेशानी का किसी को भी सामना न करना पड़े। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा माननीय सदस्य ने सैक्शन-7ए की लीगैलिटी पर प्रश्न उठाया है जो कि उनका मूल प्रश्न भी है। उनके सैक्शन-7ए को एग्जामिन करवाने से संबंधित सुझाव को मैं सरकार की तरफ से स्वीकृत करता हूँ। वह इल्लीगल है या लीगल हम उस को ए.जी. ऑफिस के माध्यम से एग्जामिन करवा लेंगे।

श्री रणधीर सिंह कापड़ीवास : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में एक बात और लाना चाहूँगा कि जो 90 दिन का समय एन.ओ.सी. के लिए रखा गया है वह बहुत ज्यादा है। जमीनों के सौदे बहुत पेचीदा होते हैं। जमीन बेचने वाला कहता है कि अगर आज रजिस्ट्री करवानी हो तो करवा लो, मेरे पास 10 दिन का भी समय नहीं है। आज ही जमीन खरीदनी हो तो बात करो अन्यथा मैं किसी और को बेच दूंगा। जब तक 90 दिन में एन.ओ.सी. होगी तब तक तो सौदा बिगड़ जायेगा। यह 90 दिन का समय बहुत ज्यादा है और इसी से भ्रष्टाचार होता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि इस पर विचार करके इस सैक्शन-7ए को खत्म किया जाये क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं है।

कैप्टन अभिमन्यु: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो 90 दिन के समय को ज्यादा बताया है यह 90 दिन का समय अधिकतम है। एन.ओ.सी. उससे पहले भी दी जाती है और उससे पहले दी भी जानी चाहिए। माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है कि इस पीरियड को कम किया जाये, उस पर विचार किया जा सकता है।

श्री ज्ञान चन्द गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी श्री रणधीर सिंह कापड़ीवास जी ने जो विषय उठाया है इस समय इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हमारा पंचकूला का एरिया है। पंचकुला जिले की तकरीबन 80 प्रतिशत जमीन एक्वायर करके उसको डिवैल्पमैंट के लिए छोड़

[श्री ज्ञान चन्द गुप्ता]

दिया गया है। यह डिवैल्पमैंट कब होगी इसका कुछ पता नहीं है। इसके लिए कोई मास्टर प्लान अभी तक तैयार नहीं किया गया है। उसके कारण रजिस्ट्रियाँ करवाने में दिक्कत आ रही है। जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि पिछला रिकॉर्ड निकलवा कर देख लीजिए कि कितनी-कितनी देर में और कैसे-कैसे वहाँ पर एन.ओ.सी. जारी की जाती थी। आज के दिन अगर आप बारीकी से देखेंगे तो पता चलेगा कि आज टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग में भ्रष्टाचार का बहुत बोलबाला है। आज इसको रोकने की आवश्यकता है। इसके साथ ही साथ मेरा यह भी सुझाव है कि इस सैक्शन-7ए को खत्म ही कर देना चाहिए। इसी सैक्शन-7ए का उपयोग करके वहाँ पर बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है।

श्री मूलचन्द शर्मा : अध्यक्ष महोदय, हमारा फरीदाबाद जिला एन.सी.आर. में पड़ता है और वहाँ पर दो तरह की जमीन हैं। एक तो पहाड़ी क्षेत्र है और दूसरा खादर का यानी मैदानी क्षेत्र है। माननीय साथी ने जो एन.ओ.सी. देने में भ्रष्टाचार की बात की है वह सही है। एक जैसे केसिज में एक को तो एन.ओ.सी. दे दी जाती है और उसी तरह के दूसरे केस में एन.ओ.सी. नहीं दी जाती है। एन.ओ.सीज. देने में सबसे ज्यादा सौदेबाजी होती है और यह भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा है। जिला का जो टाउन प्लानर होता है क्या उसका रोकने का काम नहीं है? वह बताये कि आज तक उसने कितनी कालोनियाँ विकसित होने से रोकी हैं? जिन कालोनियों को तोड़ा गया है वे फिर से नई बन गई हैं। इस भ्रष्टाचार के अड्डे को खत्म किया जाये। अगर किसी किसान की बेटी की शादी है या इमरजेंसी से बच्चे को पढ़ने के लिए बाहर भेजना है तो क्या वह 90 दिन तक इन्तजार करता रहेगा? जब तक उसकी फाइल का चढ़ावा नहीं चढ़ता तब तक उसको एन.ओ.सी. नहीं मिलती। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार डी.टी.पी. ऑफिस में है इसलिए इस सैक्शन-7ए को खत्म करना चाहिए। इस समस्या से हमारा फरीदाबाद जिला जितना प्रभावित हुआ है उतना कोई नहीं हुआ है।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो डी.टी.पी. ऑफिस में भ्रष्टाचार की बात कह रहे हैं। सरकार का विजन है, जीरो टोलरेंस, इसलिए मेरा निवेदन है कि इस सैक्शन-7ए को खत्म कर दिया जाना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : वे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जीरो टोलरेंस है और उनको उम्मीद है कि इस बारे में कार्रवाई हो जायेगी।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, हम इस जीरो टौलरेंस मामले में सरकार के साथ हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री सुभाष बराला : मैडम, किरण चौधरी जी, ये सदस्य तो आपकी सरकार के कामों का विश्लेषण कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : असीम जी, ढांडा जी, कापड़ीवास जी, मूलचन्द शर्मा जी प्लीज, आप सभी अपनी-अपनी सीटों पर बैठ जाईये। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, सरकार भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के प्रति गम्भीर है। यह इसी बात से उजागर होता है कि यह पूरा विषय या एक व्यवस्था जो लम्बे समय से विरासत में मिली है उस पर आज भी ट्रेजरी बैंचिज के सदस्य ही ज्यादा चिन्ता करने का काम कर रहे

हैं। ये उस जनादेश का परिणाम है जो हमें उस व्यवस्था को स्वस्थ व स्वच्छ करने के लिए मिला है और हम उसी दिशा में काम कर रहे हैं। माननीय साथियों ने पंचकूला और फरीदाबाद के संदर्भ में जो विषय उठाए हैं मैं उनकी जानकारी के लिए इतना ही बताऊंगा कि ये क्लीयरली नोटिफाईड अर्बन एरियाज में लागू है जिनके खसरा नं0 बड़े ही स्पेसिफिकली सैंशन होते हैं फिर भी यदा-कदा शिकायत आती है कि रजिस्ट्री करने वाले अधिकारी अन्य स्थानों के लिए भी एन.ओ.सी. का आग्रह करते हुए उस व्यवस्था में गड़बड़ करते हैं। इसके अतिरिक्त माननीय सदस्यों ने कुछ सुझाव दिये हैं जिनमें कहा गया है कि सैक्शन 7-ए एक्ट-1989 होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या अनअथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन को रोकने के लिए किसी और अल्टरनेटिव मेकेनिज्म की व्यवस्था की जा सकती है ताकि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमैंट अपनी इल्लीगल कॉलोनीज की पिलग्रेशन को रोकने के लिए और व्यवस्थाओं को स्वस्थ और स्वच्छ करने के विकल्पों पर भी विचार करे। मैं माननीय सदस्यों के सुझावों को स्वीकार करता हूँ।

अध्यापकों, विद्यार्थियों एवं जिला हिसार के उकलाना निर्वाचन क्षेत्र की कुछ महिलाओं का अभिनन्दन

शिक्षा मंत्री (श्री रामबिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, मेरे गांव गवर्नमैंट हाई स्कूल कुराहवटा जिला महेन्द्रगढ़ से 28 बच्चे और 8 अध्यापक इस महान सदन की कार्यवाही को देखने आये हैं हम उनका स्वागत करते हैं। उकलाना निर्वाचन क्षेत्र से कुछ बहनें भी सदन की कार्यवाही को देखने आई हैं। हम उनका भी स्वागत करते हैं। इसी तरह से डी.ए.वी. सीनियर सैकेंडरी स्कूल नारायणगढ़ के बच्चे भी सदन की कार्यवाही देखने आये हैं। हम उन सबका भी स्वागत करते हैं।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

Desilting of Hansi Branch Canal

***952. Shri Parminder Singh :** Will the Irrigation Minister be pleased to state when the Hansi Branch Canal was desilted last ?

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : श्रीमान जी, हांसी ब्रांच की बुर्जी 60000 से 84000 तक गाद निकालने का कार्य रुपये 10.00 लाख की लागत से 2012-13 में तथा बुर्जी 191991 से 198300 तक का कार्य रुपये 4.39 लाख की लागत से 2014-15 में किया गया।

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि यह हांसी ब्रांच नहर आज भी बिना गाद निकले हुए है लेकिन आपने अपने जवाब में बताया है कि हमने इस पर लगभग 14 लाख रूपये खर्च किये हैं। लेकिन आपके विभाग से जो रिपोर्ट मिली है उसमें यह बताया गया है कि विभाग इसकी गाद निकालने पर 19 लाख रूपये खर्च कर चुका है। शायद आपको इसके बारे में पूरा बताया नहीं गया होगा। इस नहर की गाद बीच-बीच में कहीं-कहीं से निकाली गई है। आज भी यह नहर गाद के कारण रूकी पड़ी है। इसका अन्दाजा यह है कि खरीफ की फसल के समय इस नहर में 1934.38 क्यूसिक पानी का डिसचार्ज है और रबी की फसल के समय इसमें 1616.68 क्यूसिक पानी का डिसचार्ज है। पीछे जब ये नहर चली थी तो इसमें 1000-1100 क्यूसिक पानी से ज्यादा कभी नहीं चला और जब खरीफ की फसल के समय जो मैक्सीमम पानी चलना चाहिए था उस समय भी इसमें 1200 क्यूसिक पानी से ज्यादा नहीं चला। इसके आगे मसूदपुर डिस्ट्रीब्यूट्री और पेटवाड़ डिस्ट्रीब्यूट्री तथा आगे हिसार मेजर

[श्री परमिन्द्र सिंह ढुल]

नहर भी निकल रही है। आज हिसार मेजर नहर के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि 4 साल पहले जिसमें 321 क्यूसिक पानी जाता था आज उसमें 210 क्यूसिक से ज्यादा पानी नहीं जा रहा है। इसी प्रकार पेटवाड़ और इसी प्रकार मसूदपुर, और हमारे सारे इलाके में यह समस्या है। आज भी अगर फिजिकल वैरिफिकेशन की जाए तो इस नहर के बीच में टापू बने हुए हैं और इसमें अभी भी गाद पड़ी हुई है। जब ये बनी थी और इसकी लाईनिंग हुई थी उसके बाद कभी भी इसकी गाद नहीं निकाली गई जिसके लिए हम वर्ष 2010 से कोशिश कर रहे हैं। इसके बावजूद इसमें एक और त्रासदी है कि हमारे वहां इसी नहर के साथ जो बीटबड़ा बन है उसके साथ लगता पब्लिक हैल्थ डिपार्टमेंट का एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं और जब भी मौका लगता है पब्लिक हैल्थ डिपार्टमेंट वाले सीवरेज का सारा का सारा पानी इस नहर में डाल देते हैं जबकि इस नहर का सारा का सारा पानी लोगों के पीने के लिए जाता है। वहां के लोगों ने इस बारे में एजीटेशन भी कई बार कर लिया है, इस बारे में कई बार मौखिक रूप से कह भी लिया। जब ये लोग इस बारे में डिप्टी कमिशनर से मिलते हैं तब तो यह पानी कुछ दिन के लिए रूक जाता है लेकिन उनको जब भी मौका मिलता है वह सारा का सारा पानी इस नहर में डाल देते हैं। जबकि वहां पर पब्लिक हैल्थ डिपार्टमेंट का एस.टी.पी. लगा हुआ है इसलिए उसके लिए उन्हें आगे जाकर आऊटलैट देना चाहिए क्योंकि इस नहर का सारे का सारा पानी आगे लोगों के पीने के लिए जा रहा है। यह नहर एक महत्वपूर्ण नहर है। मंत्री जी, इस नहर की सफाई के बारे में पूरी वैरीफिकेशन करवानी चाहिए क्योंकि वर्ष 2006 से पहले जब भी इस नहर की सफाई होती थी तो उसके लिए 19-20 लाख रूपये का हर साल रेवेन्यू सरकार को मिलता था लेकिन वर्ष 2006 के बाद वह रेवेन्यू मिलना भी बन्द कर दिया गया जिसकी वजह से यह सारा का सारा सिस्टम गड़बड़ हो गया है। क्या मंत्री जी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस नहर की रेगूलर सफाई हो ताकि इस नहर की सफाई के बाद जो गाद निकलती है उसके पैसे भी सरकार को मिले और ठेकेदार के माध्यम से लगातार इस नहर की सफाई भी होती रहे ?

श्री ओमप्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो कन्सर्न हैं वह वास्तव में बहुत गम्भीर है और विभाग ने भी उस कन्सर्न को उसी तरह लिया है। इसके लिए एक 18 करोड़ रूपये का पूरा का पूरा प्रोजेक्ट विभाग ने इस नहर के पुनर्निमाण के लिए मुनक से लेकर हांसी ब्रान्च तक बनाया है। जिसमें इस नहर की सारी गाद निकालने के लिए, मरम्मत करने के लिए और जहां पर लाईनिंग नहीं है वहां पर लाईनिंग करने के लिए विभाग ने यह प्रोजेक्ट बनाया है। इसके अलावा जो एक स्पेसिफिक बात माननीय सदस्य ने उठाई है कि इस नहर में सीवरेज का गन्दा पानी डाला जाता है। इसके लिए मैं विभाग को तुरन्त आदेश करूंगा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि इस नहर में कहीं पर भी गन्दा पानी न डाला जाए। माननीय सदस्य की चिन्ता को वाजिब मानते हुए हमने इस नहर के लिए 18 करोड़ रूपये का एक पायलट प्रोजेक्ट बनाया है जिसके तहत इस पूरी नहर का हम पुनर्निमाण करेंगे। वास्तव में जो हमारा नहरी सिस्टम है उस सारे के सारे सिस्टम के पुनर्निमाण की जरूरत है क्योंकि यह बहुत पुराना हो गया है। इस कारण तकरीबन 30 प्रतिशत पानी का लौस होता है और बहुत बड़ा नुक्सान होता है। हमने पहले चरण में 143 करोड़ रूपये की राशि नाबार्ड से लिफ्ट इरीगेशन सिस्टम को ठीक करने के लिए ली है ऐसे अन्य हिस्सों की तीव्रता को देखते हुए अलग अलग हम ले रहे हैं ताकि तेजी के साथ हम इस नहर का पुनर्निमाण करें जिससे अधिक से अधिक पानी को हम बचा सकें और किसानों के खेतों तक हम पानी पहुंचा सकें।

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने यह माना है कि हरियाणा प्रदेश के अन्दर जितना भी नहरी सिस्टम है उसका स्ट्रैक्चर लगभग 30-35 साल पहले बनाया गया था। मंत्री जी ने तो पानी का 30 प्रतिशत लौस बताया है जबकि यह 40 प्रतिशत से भी ज्यादा है। एक पायलट प्रोजैक्ट बनाकर इस सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा जिस प्रकार से पंजाब में किया गया है। आज मेरा जुलाना हल्का इसी आपदा से पीड़ित है क्योंकि सारे के सारे सिस्टम के अन्दर फाल्ट आया हुआ है जिसके कारण नहरों को टेल तक पानी कभी भी नहीं पहुंच पाता। जैसा कि मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि सरकार हर खेत तक पानी पहुंचायेगी। लेकिन आज के दिन किसी खेत के टेल तक पानी नहीं पहुंच रहा है क्योंकि सारा सिस्टम फाल्टी है। इसके बारे में हमने मंत्री जी के नोटिस में भी बार बार लाया है। मंत्री जी के नोटिस में हम यह बात भी लाये थे कि इस क्षेत्र के अन्दर दो नहरें हैं एक तो हांसी ब्रान्च और दूसरी सुन्दर ब्रान्च है। हान्सी ब्रान्च का जो डिवीजन है वह इकट्ठा 2 लाख 32 हजार एकड़ का हरियाणा में बहुत बड़ा डिवीजन है। अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2010 से बार बार यह कोशिश कर रहा हूं कि रिआर्गेनाईज करके इस डिवीजन के दो डिवीजन हो जाएं। हांसी ब्रान्च के साथ लगता जीन्द का एक डिवीजन अलग से बन जाए और सुन्दर ब्रान्च के साथ लगता जुलाना एक अलग डिवीजन बन जाए ताकि इस नहर की अच्छी प्रकार से देखरेख हो सके। एक लाख 18 हजार एकड़ एरिया एक डिवीजन में जायेगा और एक लाख 14 हजार एकड़ एरिया दूसरे डिवीजन में जाएगा। आपके विभाग के कर्मचारी वहां पर बैठेंगे। आज जीन्द डिवीजन में हालत यह है कि जहां 16 जे.ई. की पोस्टें हैं वहां पर 6 जे.ई. काम कर रहे हैं जहां 3 एस.डी.ओज. की पोस्टें हैं वहां पर एक एस.डी.ओ. ही काम कर रहा है। एक एक्सीयन है वह सारा दिन मारा मारा फिरता है। इतने बड़े एरिया की किस प्रकार से संभाल होगी ? यही कारण है कि जो सीवरेज का गन्दा पानी है वह बार बार इस नहर में डाल दिया जाता है। इसके बारे में हमने 50 बार कह लिया फिर भी बार बार डाल देते हैं जबकि इस नहर का पानी पीने के लिए तालाबों में जा रहा है। इसी कारण आपकी दोनों नहरों के साथ जो पब्लिक हैल्थ के सिस्टम नहरी पानी पर आधारित जुड़े हुए हैं उनमें एक भी सफल नहीं है, 80 प्रतिशत असफल हैं। इस पर करोड़ों रूपये सरकार के लगे हुए हैं। जो पानी दोनों नहरों से आ रहा है वह पानी किसी भी डिग्गी में नहीं जा रहा है। क्या मंत्री जी इस बारे में सुनिश्चित करेगें कि इस सिस्टम को ठीक किया जायेगा ?

श्री ओमप्रकाश धनखड़: अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने कहा कि इस सारे सिस्टम के पुनर्निमाण की आवश्यकता है। जैसा कि मैंने बताया कि इसके लिए हम कई सारे पायलट प्रोजेक्ट्स शुरू कर रहे हैं। लिफ्ट इरीगेशन सिस्टम का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी कर चुके हैं। इसी प्रकार से 300 करोड़ रूपये का प्रौजैक्ट कैनाल अगमेंटेशन का और पुनर्निमाण का है ताकि नहर के पूरे पानी का हम इस्तेमाल कर सकें। इसी प्रकार से भालोठ ब्रान्च और झज्जर ब्रान्च का भी 300 करोड़ रूपये का प्रोजैक्ट है। जैसा कि मैंने कहा कि महेन्द्रगढ़, रेवाड़ी और झज्जर का एरिया लिफ्ट इरीगेशन सिस्टम में आ गया है। इसी प्रकार से भिवानी के हिस्से को भी लिफ्ट इरीगेशन सिस्टम में जोड़ दिया जायेगा। निश्चित रूप से मेरा विभाग पिछले 2 दिन से इस काम में लगा हुआ है। विभागीय अधिकारी मंथन व चिंतन कर रहे हैं कि alternative technology से फ्लड इरीगेशन को रोककर और इस सारे पानी को बचाकर माइक्रो इरीगेशन के माध्यम से कैसे हर खेत तक पहुँचा सकें। इस कार्य के लिए इसी वर्ष हम 14 pilot projects

[श्री ओमप्रकाश धनखड़]

भी शुरू कर रहे हैं। हम 150-150, 200-200 एकड़ के एक-एक हिस्से में इन pilot projects को हर ब्लॉक तक ले जाएंगे ताकि हर खेत को पानी देने का सपना साकार हो सके।

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल: अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से प्रश्न किया था कि re-organization में हमारे डिवीज़न को दो डिवीजनों में बाँटा जाएगा अथवा नहीं ? यह बात माननीय मंत्री जी के भी और इनके विभाग के भी संज्ञान में है। मेरे हल्के की यह बहुत बड़ी समस्या है। मेरी प्रार्थना है कि माननीय मंत्री महोदय on the floor of the House यह आश्वासन अवश्य दे दें कि यह कार्य कब तक हो जाएगा ? यदि जगह की दिक्कत है तो जगह प्रोवाइड करने की जिम्मेवारी मैं खुद ले लेता हूँ।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के यहाँ जगह की तो दिक्कत है जिसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसके बाद ये सीधे ही अपने दूसरे सवाल पर आ गए हैं। मैं बताना चाहूँगा कि इरीगेशन के मामले में श्री परमिन्द्र सिंह ढुल जी इस महान् सदन का सबसे ज्यादा फायदा उठा रहे हैं। (विघ्न) इन्होंने पिछले सत्र में ड्रेन का मुद्दा उठाया था, जिसको हमने माना है। इन्होंने ड्रेन के साईफन का जो मुद्दा उठाया था, उसको भी हमने माना है। इसके अतिरिक्त इनकी एबल और रामकली माईनर को जोड़ने की बात हमने मानी हुई है, इनका किला जफरगढ़ का पुनर्निमाण का मुद्दा भी हमने माना हुआ है तथा इनके जींद रजबाहा के पुनर्निमाण का मुद्दा भी हमने माना हुआ है। कुल मिलाकर इनके 10 pilot projects मेरे पास मंजूर हैं तथा केवल इनके क्षेत्र के लिए हम 30 करोड़ 45 लाख रूपए दे रहे हैं। (विघ्न)

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से गुजारिश करूंगा कि बेशक ये pilot projects को छोड़ दें लेकिन धान की खरीद के घोटाले की जाँच अवश्य करवा दें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश धनखड़: अध्यक्ष महोदय, कल सदन में इनको बता दिया गया था कि सदन में झूठे मुद्दे नहीं चलेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री महीपाल ढांडा : अध्यक्ष महोदय, कल ये सदन से वॉक-आउट करके चले गए थे। (शोर एवं व्यवधान) ये मीडिया की सुर्खियों में आना चाहते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश धनखड़: अध्यक्ष महोदय, पिछले 5 वर्षों में केवल 12 करोड़ रूपए ही खर्च किए गए थे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री महीपाल ढांडा: अध्यक्ष महोदय, ये फर्जी मुद्दों पर सदन का समय बर्बाद करना चाहते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश धनखड़: अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि माननीय सदस्य श्री ढुल साहब के हल्के के 10 pilot projects हमारे पास मंजूर हैं जिनमें माईनर वाला pilot project भी शामिल है। यदि ये हमारी मदद कर देंगे तो हम इन pilot projects में आगे बढ़ेंगे।

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय का धन्यवाद करता हूँ तथा साथ ही साथ यह भी पूछना चाहूँगा कि जुलाना सब-डिवीज़न शीघ्र ही बन जाएगा अथवा नहीं ? यह हमारी बहुत महत्वपूर्ण माँग है। (विघ्न)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, कल बी.ए.सी. की मीटिंग में आपने मेरे एक प्रश्न के बारे में एश्योर किया था कि उसको लगा दिया जाएगा। मेरा यह प्रश्न किसानों से रिलेटिड है। आपने यह आश्वासन दिया था कि Rules of Procedure and Conduct of Business in Haryana Legislative Assembly Book के Rule-54 (Short Notice Questions) के अंतर्गत यह प्रश्न लगाया जाएगा लेकिन मेरा यह प्रश्न तो लगा नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

शिक्षा मंत्री (श्री रामविलास शर्मा): अध्यक्ष महोदय, बहन किरण चौधरी जी एक senior Parliamentarian हैं। Speaker Sir, this is Question Hour. Smt. Kiran Choudhry is not asking her question. (Interruptions)

श्री अध्यक्ष: उस में इन्होंने सप्लीमैंटरी दिया है। (शोर एवं व्यवधान)

Smt. Kiran Choudhry : Speaker Sir, I am asking the question and I know how to ask the question. (Interruptions) अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने ढुल साहब के हल्के में बहुत अच्छे काम किए हैं लेकिन हमारे पूरे दक्षिणी हरियाणा के अंदर जिसमें बाढड़ा, लोहारू, चरखी दादरी , भिवानी और तोशाम आदि क्षेत्र शामिल हैं, उन में 40 माईनर्ज़ तथा बहुत सी सब-माईनर्ज़ हैं जिनकी न तो सफाई हुई है तथा न ही उनमें आज तक पानी ही पहुँचा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री महीपाल ढांडा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या से पूछना चाहूँगा कि पिछले 10 वर्षों में हरियाणा में.1 कैसे बना था ? (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यदि माननीय सदस्य इस प्रकार से बीच में मुझे इंट्रप्ट करेंगे तो यह अच्छी बात नहीं है। (शोर एवं व्यवधान) यदि ये किसान के हितैषी नहीं हैं तो ये मेरे प्रश्न के बीच में मत बोलें। (शोर एवं व्यवधान) मैं प्रश्न ही पूछ रही हूँ । Speaker Sir, please maintain the decorum of the House. (Interruptions) Speaker Sir, this is not the way. माननीय मंत्री जी की अखबारों में बार-बार ये स्टेटमैंट्स आती हैं कि वे नहरों के अंतिम छोर तक पानी पहुँचाएंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से इस बारे में आश्वासन लेना चाहती हूं क्योंकि मैंने इस बारे में सरकार को कई पत्र भी लिखे हैं। अध्यक्ष महोदय, अगर आप चाहें तो मैं यह नाम पढ़कर सुना देती हूं। सोरा, झुप्पा, दभकोरा, सरल डिस्ट्रीब्यूट्रीज, संडवा सब माइनर, झूली सबमाइनर, ढाढम हिल डिस्ट्रीब्यूट्री, आलम, पटोदी माइनर, छपार सबमाइनर, निगाना हिल डिस्ट्रीब्यूट्रीज, दुलेरी हिल डिस्टीब्यूट्री, खरकरी डिस्ट्रीब्यूट्री, लेघां माइनर, दुलेरी डिस्ट्रीब्यूट्री, झावरी डिस्ट्रीब्यूट्री, गुडा डिस्ट्रीब्यूट्री, सरल माइनर, निगाना सिवानी लिंक, आई.एल.आलमपुर माइनर, सुंगरपुर माइनर, आलमपुर डिस्ट्रीब्यूट्रीज, ढाढम डिस्ट्रीब्यूट्री, छपार माइनर, बागनवाली माइनर, इसरवार डिस्ट्रीब्यूट्री, हसन माइनर, हरिवास माइनर और बालावास माइनर आदि टोटल 40 माइनर्ज और डिस्ट्रीब्यूट्रीज ऐसी हैं जिनमें आज पानी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि इन डिस्ट्रीब्यूट्रीज और माइनर्ज की कब तक रिपेयर होगी और कब तक पानी अन्तिम छोर तक पहुंच पाएगा क्योंकि सरकार द्वारा अखबारों के माध्यम से बार बार कहा जाता है कि हम टेल तक पानी पहुंचाने का काम करेंगें ? (शोर एवं व्यवधान) अब एक साल हो गया है इसलिए अब तो इन माइनर्ज की रिपेयर करवाई जाए और अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने का काम किया जाए।

श्री सुभाष बराला: अध्यक्ष महोदय, मैं इनके सवाल के साथ साथ मंत्री महोदय से यह भी पूछना चाहता हूं कि 10 साल तक कांग्रेस का राज रहा उस समय कितनी डिस्ट्रीब्यूट्रीज और माइनर्ज में पानी जा रहा था और कितनी उनकी डिसिल्टिंग हुई थी ?

श्रीमती किरण चौधरी: अध्यक्ष महोदय, ये बार बार पिछले 10 सालों की बात करते हैं लेकिन हम आगे की बात करना चाहते हैं। मैं यह कहना चाहती हूं कि आने वाले समय में कब तक इन माइनर्ज की रिपेयर करवा दी जाएगी ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: किरण जी, यह बात इसलिए कह रही हैं कि शायद पिछले 10 सालों में इन माइनर्ज की पोजीशन अच्छी रही हो और अब इनकी पोजीशन ठीक न हो।

श्रीमती किरण चौधरी: अध्यक्ष महोदय, पिछले 10 सालों में पानी की कोई कमी नहीं थी और मैं यह बात ऑन रिकार्ड कहना चाहती हूं कि मेरे हल्के में जितने काम पिछले सालों में हुए हैं उतने काम कहीं नहीं हुए हैं।

डा. अभय सिंह यादव: किरण जी, आप यह मान लो कि पिछले 10 सालों में आपके यहां पानी नहीं गया। (विघ्न)

श्रीमती किरण चौधरी: अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां 10 सालों तक भरपूर मात्रा में पानी था लेकिन एक साल से वहां पानी नहीं जा रहा है जिसकी वजह से किसान हा-हाकार कर रहा है। पिछले एक साल से किसी डिस्ट्रीब्यूट्री की रिपेयर नहीं करवाई गई।

श्री पृथी सिंह: अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं कि मुझे सवाल पूछने का मौका दिया गया। सरकार वायदा कर रही है कि हम अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने का काम करेंगें इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि मेरे हल्का नरवाना में दरोदी माइनर को भाखड़ा लिंक नहर से 2004 में जोड़ने का काम मंजूर हुआ था और उसका बैड चौटाला जी की सरकार में बनकर तैयार हो गया था। उसके बाद कांग्रेस की भी सरकार चली गई। मैंने पिछले सैशन में भी यह बात उठाई थी लेकिन आज तक उस माइनर को भाखड़ा नहर से नहीं जोड़ा गया। इस माइनर को भाखड़ा नहर से न जोड़ने की वजह से वहां के 16 गांवों के लोग प्यासे मर रहे हैं। मवेशियों के लिए गर्मी के मौसम में भी पीने का पानी नहीं होता है। वहां 15-20 दिनों बाद पानी आता है लेकिन वह भी बहुत कम आता है। अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से सरकार से पुरजोर अपील है कि इस माइनर को भाखड़ा नहर से जोड़ा जाए।

श्री मूलचंद शर्मा: अध्यक्ष महोदय, फरीदाबाद से गोच्छी ड्रेन निकलती है जो एन.आई.टी., बल्लभगढ़ और बड़खल में जाती है। पिछली सरकार में एक मंत्री थे जिनका सरकार बचाने के नाम से समर्थन था। सरकार उनके कारण बची थी इसलिए वहां काम तो होने ही थे। गोच्छी ड्रेन एन.आई.टी., बल्लभगढ़ और फिर बड़खल जाती है। उस ड्रेन के एंड पर 13 या साढ़े 13 करोड़ रूपये लगाए गए लेकिन उसके शुरूआत में कोई पैसा नहीं लगाया गया जिसकी वजह से हालात यह है कि पोलीथीन और गारे से पूरा नाला भरा हुआ है। जबकि इरीगेशन और लोकल बॉडीज़ डिपार्टमैंट्स दोनों ने इस नाले को बनाया है। मैं माननीय मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि विधान सभा क्षेत्र बल्लभगढ़ और बड़खल से गुजरने वाले इस नाले को भी नये सिरे से बनाने का कोई प्रावधान किया जायेगा। कांग्रेस के लोगों ने तो अपने शासन काल में अपनी जेबें भरी हैं ये अब भी

यही काम करना चाहते हैं। (विघ्न) इनको हरियाणा प्रदेश के सिर्फ और सिर्फ चार जिले ही दिखाई देते हैं भिवानी, रोहतक, झज्जर और हिसार। इन चार जिलों से बाहर का हरियाणा प्रदेश इनको दिखाई नहीं देता और न ही वहां की कोई समस्या ही इनको नज़र आती है। इनके अलावा जो हरियाणा प्रदेश के सीमांत जिले है उनकी दयनीय हालत इनके 10 साल के शासन काल में और भी बदतर हुई है। उनके बारे में ये कभी चर्चा नहीं करते। (विघ्न)

श्री तेज पाल तंवर : अध्यक्ष महोदय, मैं गुड़गांव जिले के सोहना विधान सभा क्षेत्र के बारे में बात करना चाहता हूं। वहां पर हसनपुर डिस्ट्रीब्यूट्री की ज़मीन एक्वायर हो गई जिसके बाद कहीं-कहीं नाला खोद दिया गया और बाकी का छोड़ दिया गया है। हमारे क्षेत्र में यही एकमात्र नहर निकल रही है और वह भी इतने समय से बंद पड़ी है। मेरा माननीय सिंचाई मंत्री जी से अनुरोध है कि मेरे हल्के की हसनपुर डिस्ट्रीब्यूट्री को चालू किया जाये। मैंने इसके पहले भी कई बार इस बारे में माननीय मंत्री जी से बात की है। इसके अलावा मैं एक बात यह बताना चाहता हूं कि मेरे हल्के की जो गंहगोला माईनर है वह भी रुकी पड़ी है जिसकी वजह से भूमिगत जल स्तर दिन प्रति दिन नीचे जा रहा है। इससे हमारे किसान बड़े दुखी हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस माइनर में भी जल्दी से जल्दी पानी चलाया जाये। मेरी आपके माध्यम से सरकार से यह भी मांग है कि हमारी हसनपुर डिस्ट्रीब्यूट्री को भी जल्दी से जल्दी चालू किया जाये।

जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी राज्य मंत्री (श्री घनश्याम सर्राफ) : स्पीकर सर, जैसा कि कांग्रेस के माननीय सदस्य कह रहे हैं कि इनके शासन काल के समय में भिवानी में पूरा पानी दिया जा रहा था। मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि यह ऑन रिकार्ड की बात है कि पिछले पांच साल के दौरान खरकड़ा हैड से केवल मात्र 27 प्रतिशत पानी आया है। उस समय मैंने माननीय साथी श्री आनंद सिंह दांगी जी को कहा कि हमारे हल्के में भी पानी दे दें तो इन्होंने कहा कि जब तक रोहतक की सरकार है तब तक पानी का इंतज़ार मत करो।

श्री आनंद सिंह दांगी : स्पीकर सर, इस सदन में किसी को भी इस प्रकार की बेहूदी बात करने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। मैंने स्वयं हैड पर जाकर पानी चलवाया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दांगी जी, यह बेहूदी बात नहीं है बल्कि माननीय मंत्री जी ने तो सदन में आपकी कही हुई बात ही बताई है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : स्पीकर सर, सरकार ने हमारे द्वारा बनवाये गये पानी के टैंक्स भी नहीं भरवाये हैं।

श्री घनश्याम सर्राफ : स्पीकर सर, मैं यह बात सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि हमने इस बार दादरी और भिवानी के सबसे ज्यादा पानी के टैंक्स भरवाये हैं। इसके अलावा भी जहां पर पानी नहीं था वहां पर हमने पानी के टैंक्स भरवाये हैं। इसलिए कोई कैसे कह सकता है कि हमने पानी के टैंक्स नहीं भरवाये। (शोर एवं व्यवधान) जहां पर पिछले दस साल से पानी के टैंक्स नहीं भरवाये जा रहे थे हमने वहां के पानी के टैंक्स भी भरवाये हैं।

श्रीमती किरण चौधरी : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के ध्यान में यह बात लाना चाहती हूं कि ये टैंक्स की मैंटीनैंस का पैसा भी नहीं भेज रहे हैं। मेरे हल्के में बहुत सी जगहों पर पीने का पानी तक नहीं है। मैं ऑन दि फ्लोर ऑफ दि हाउस यह बात कहती हूं कि कहीं पर पानी के कोई टैंक्स नहीं भरवाये गये हैं। हमने जो काम करवाये थे उनकी भी प्रॉपर मैंटीनैंस नहीं हो रही है। (हंसी)

श्री घनश्याम सर्राफ : स्पीकर सर, यह बात मैं पुन: दोहराता हूं कि जो टैंक्स पिछले10 साल से नहीं भरवाये गये थे हमने उनको भी भरवाया है। (हंसी)

श्री आनन्द सिंह दांगी : मंत्री जी, आप पहले जवाब दीजिए हंस बाद में लेना। कहीं ऐसा तो नहीं कि मंत्री जी का मन नाचने को कर रहा हो क्योंकि इन्होंने सभी टेलों तक पानी पहुंचाया है। (हंसी)

श्री ओमप्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, दांगी जी भी उसी एंगल में बैठे हुये हैं (हंसी) अध्यक्ष महोदय, हमने इस बात को प्राथमिकता दी कि हर टेल तक पानी पहुंचे जबकि पिछली सरकार में इसको प्राथमिकता पर नहीं रखा गया था। बहुत सारी टेलें ऐसी थी जहाँ पिछले 20 साल से पानी नहीं गया था। 270 टेलें ऐसी हैं जहाँ पर काम करना पड़ रहा है और उसके लिए बजट का प्रावधान करना पड़ रहा है। उनका पुनर्निमाण करना पड़ रहा है, उनके झाड़-झंखाड़ उखाड़ने पड़ रहे हैं ताकि उनकी टेल तक पानी पहुंचाया जा सके। भिवानी जिले में यह काम ज्यादा है। भिवानी में 112 टेलें हैं और माननीय सदस्या श्रीमती किरण चौधरी जी ने बिल्कुल ठीक कहा है, वहाँ पर 34 टेलें ऐसी हैं जिन पर पानी नहीं पहुंचा है जबकि 78 टेलों पर हमने पानी पहुंचा दिया है। यह हमारी प्राथमिकता है। यह प्रश्न मुझे आज सुबह ही मिला है फिर भी मैं इसकी जानकारी दे रहा हूँ। हम इस सारे इलाके का पुनर्वास कर रहे हैं। जिस प्रकार से हम रेवाड़ी, महेन्द्रगढ़ के इलाके का पुनर्वास का काम कर रहे हैं उसी प्रकार से हम भिवानी की भी सभी नहरों का पुनर्निमाण भी उसी प्रकार से करेंगे। निश्चित रूप से सरकार हर टेल तक पानी पहुंचाने में लगी हुई है। इस इलाके का जितना पानी है वह अवश्य टेल तक पहुंचाया जायेगा । अब हमने अपना रिपोर्टिंग सिस्टम का पैटर्न भी बदल दिया है। हमारे एस.ई. और चीफ इंजीनियर पहली प्राथमिकता पर पीने के पानी के टैंक भरते हैं और वे रिपोर्ट करते हैं कि इस बार नहर चली तो कितने टैंक भरे गये और कोई कमी रह गई तो वह कहाँ पर रह गई ? दूसरी रिपोर्ट वे पशुओं के लिए पीने के पानी की करते हैं कि कितने जोहड़ भरे गये, जब नहर चलती है तो जोहड़ों को भरने के लिए कितने क्यूसिक पानी छोड़ना था और कितने क्यूसिक पानी छोड़ा गया और जो कमी रह गई उसके क्या कारण थे। जो कमी रह गई वह पश्चिमी यमुना नहर में पानी की कम उपलब्धता के कारण रही या भाखड़ा नहर में पानी की कम उपलब्धता के कारण रही है। एक बेहतर वॉटर मैनेजमैंट सरकार की कमिटमैंट है। मैं माननीय सदस्या के कंसर्न से पूरी तरह से चिंतित हूँ।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं इसके लिए माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ लेकिन क्या मंत्री जी इस बात के लिए आवाश्न देंगे कि यह काम अगले सत्र तक पूरा हो जायेगा। अगर यह काम पूरा नहीं हुआ तो अगले सत्र में मैं फिर इस विषय को हाउस में उठाऊंगी।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा माननीय सदस्या ने सिंचाई का उठाया है और माननीय मंत्री जी ने अपना जवाब दिया है। उसमें इनकी चिन्ता भी वाजिब है। जो नहरी पानी की उपलब्धता है उसमें कुछ रूकावटें आई हैं, कुछ कमी आई हैं। वह कमी कैसे आई है, उसमें से कुछ शेयर तो पीने के पानी में चला गया है। कुछ शेयर चोरी भी होने लगा है, यह एक नई बात आ गई है। कुछ शेयर ब्लोकेज के कारण भी कम हुआ है और इसका चौथा कारण है.... (शोर एवं व्यवधान)

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु): अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाईंट ऑफ ऑर्डर है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य एक अच्छा सुझाव दे रहे हैं इसलिए उनको अपनी बात कहने देनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, डॉ. रघुवीर सिंह कादियान बहुत ही सीनियर सदस्य हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि यह प्रश्नकाल है और इसमें सुझाव न दिये जायें। प्रश्नकाल को चले हुये 44 मिनट का समय हो गया है और हम अभी तक 2 प्रश्न तक ही सीमित हैं। माननीय सदस्य से मेरा निवेदन है कि वे अपना सुझाव फिर दे दें। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, पहले भी कुछ सदस्यों ने 4-5 सुझाव दिये हैं और उनको हाउस द्वारा सुना गया है। इसलिए माननीय सदस्य को अपना सुझाव देने का अधिकार है। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, सवाल पूछना सदस्य का अधिकार है लेकिन सुझाव देने के लिए प्रश्नकाल सही फोरम नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मंत्री जी से यह प्रश्न है कि क्या मंत्री जी कोई ऐसी प्लान बनाएंगे जिससे इरीगेशन सिस्टम इम्प्रूव हो और ड्रेनेज सिस्टम में जो पिलफ्रेजिज हैं उनको रोका जायेगा या नहीं रोका जायेगा? क्या इस काम के लिए मंत्री जी कोई पायलट प्रोजेक्ट लेकर आयेंगे ?

श्री ओमप्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, कादियान साहब ने बहुत अच्छी बात उठाई है उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सारी ड्रेन सिस्टम में दोनों तरफ से हम कैसे दो-तीन बातें अच्छी कर रहे हैं। पहले तो मैं गोच्छी ड्रेन के बारे में बता दूं कि पहले एक बार गोच्छी ड्रेन की सफाई वर्ष 2012 में नगर निगम, हुडा और हमारे नहर विभाग ने मिलकर की थी लेकिन अभी वह ड्रेन नगर निगम के अधीन है जिसकी एक बार विशेष तौर से सफाई की थी। अभी मूलचन्द जी ने भी उसकी सफाई का जिक्र किया है उनको मैं बताना चाहता हूं कि वह अब नगर निगम के जिम्मे है। जहां तक गोच्छी ड्रेन के साइफन की सफाई का विषय है उसका टैंडर हमने दे दिया है वह कार्य मशीनों से होना है जिसको नहर विभाग करवायेगा। तीसरा इसमें माननीय सदस्य ने गुड़गांव कैनाल का एक सवाल उठाया है कि उसमें जो चैनल बना हुआ है उसकी बनावट ऐसी है जिससे उसमें गाद भर जाती है तो नहर विभाग इस बात पर विचार कर रहा है कि उसकी बनावट को बदले ताकि आगे से उसमें गाद न भरे वह विषय हमने ले लिया है। यही तत्कालिक

[श्री ओमप्रकाश धनखड़]

सवाल एक माननीय सदस्य ने अपने इलाके को भाखड़ा कैनाल से जोड़ने का उठाया है। अगर वह मुझे अपना यह सवाल लिख कर दे देंगे तो मैं विभाग से इसकी जानकारी लेकर कि विभाग इसमें क्या कर सकता है उसका उत्तर मैं इनको दे दूंगा। कादियान जी ने जो सवाल उठाया है उसमें हम सारे सिस्टम को ठीक कर रहे हैं और उसमें बजट का प्रोविजन किया जा रहा है जोकि सरकार एक अच्छा कार्य करने जा रही कि कहीं भी नहर टूटने से किसान के खेतों में पानी जाता है और उनकी फसल खराब होती है तो उनके कम्पनसेशन के लिए हम बजट प्रोविजन लेकर आ रहे हैं क्योंकि वह डिजास्टर मैनेजमेंट में नहीं आते थे जिससे किसानों को कोई पैसा नहीं मिलता था। अब सरकार इसके लिए एक और अच्छा कार्य करने जा रही है कि डिजास्टर मैनेजमेंट का जितना पैसा होता है अर्थात 12000 रूपये प्रति एकड़ के हिसाब से जिन किसानों का नहर और ड्रेन के कारण नुकसान होगा तो उसका पैसा भी नहर विभाग दिया करेगा। यह सरकार का एक अच्छा कदम है और इसके अलावा ड्रेन सिस्टम में रिचार्जिंग का सिस्टम बनाने के लिए उसमें बीच-बीच में बैरियर्स बनाए जाएंगे जिससे ड्रेन्स भी अच्छी हो जाएंगी। आपने जो सुझाव दिया है वह अच्छा है उसमें हम लगेंगे।

To Remove the Barrier

***939. Shri Balwant Singh Sadhaura :** Will the PW (B&R) Minister be pleased to state -

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to remove the Toll Barrier on Sadhaura to Kala-Amb road which was setup in the year 2004; and

(b) if so, the time by which the above said Toll-barrier is likely to be removed to?

राव नरवीर सिंह (लोक निर्माण मंत्री) :

(क) नहीं, श्रीमान जी।

(ख) सवाल ही नहीं उठता।

श्री बलवन्त सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि हुडको से सरकार ने लोन लिया था और वर्ष 2004 में यह टोल बैरियर लगा था और भी कई बैरियर लगे थे इसकी अवधि वर्ष 2012 तक थी तो मैं यही जानना चाहूंगा कि इसको वर्ष 2012 से क्यों एक्सटैंड कर दिया जबकि हुडको का सारा लोन क्लीयर हो गया है। सरकार ने उसका सारा पैसा वापिस कर दिया है। फिर यह टोल बैरियर क्यों लगा है?

लोक निर्माण मंत्री (राव नरबीर सिंह) : अध्यक्ष महोदय, सरकार इस बारे में एक नई पॉलिसी बनाने जा रही है। हरियाणा में जो तकरीबन 24 टोल टैक्स बैरियर थे उनमें से हमने 8 टोल टैक्स बैरियर हटा दिये हैं 16 टोल टैक्स बैरियर अभी बाकी हैं। निकट भविष्य में जल्दी ही एक पॉलिसी बनाएंगे जिसके तहत हरियाणा में जो रोड इण्टर कनैक्टिविटी के होंगे उन पर ही टोल टैक्स बैरियर रखेंगे प्रदेश के अन्दर कई टोल ऐसे हैं जिनसे मैं भी प्रभावित हूं। क्योंकि मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी दो पुराने टोल पहले से चल रहे हैं। लोगों की मांग को देखते हुए इसके लिए जल्दी ही नई पॉलिसी बनाकर सदन में बता दी जाएगी।

मुख्य संसदीय सचिव (श्री श्याम सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र रादौर में भी बहुत दिनों से एक टोल टैक्स लगा हुआ है और जिस सड़क पर वह टोल लगा हुआ है वह सड़क भी टूटी हुई है। रादौर में कोई सड़क बनी हुई नहीं है सारी सड़कें टूटी हुई हैं और टूटी हुई सड़क पर टोल लगा हुआ है।

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हरियाणा में जो टोल तय हो चुके हैं और लग रहे हैं। वहां विधायक अधिकारी या कोई इस तरह की विशिष्ट लिस्ट है जिनको बिना टोल के जाने की इजाजत हो। अध्यक्ष महोदय, एन.एच.ए.आई. भारत सरकार का एक डिपार्टमैंट है लेकिन टोल बैरियर्स में जो अलग से रास्ता होता है उसको भी जानबूझ कर बन्द करके लम्बी-लम्बी लाईने लगा दी जाती हैं। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जिन लोगों को इस तरह की छूट वाले रास्ते से जाना है क्या उनके लिए उन रास्तों को कायम करने की छूट देने का आश्वासन देंगे ? उसमें चाहे वह नैशनल हाईवे है या स्टेट हाईवेज हैं। मेरा दूसरा सवाल है कि जो एक्स एम.एल.एज हैं वह भी चण्डीगढ़ आते हैं क्या उनको भी सरकार इस तरह टोल टैक्स में छूट देने पर विचार करेगी ?

राव नरबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, जहां तक नैशनल हाईवे पर चण्डीगढ़ आने की बात है तो वह हाई सैंट्रल बी.एण्डआर. डिपार्टमैंट के अण्डर आता है। उसको सैंट्रल बी. एण्ड आर. डिपार्टमैंट ही देखेगा और जहां तक स्टेट हाईवे की बात है वहां पर वी.आई.पीज. के, एम.एल.एज. के, एम.पीज. के, जजिज के या ऑफिसर्ज के जाने के लिए रास्ता होता है लेकिन कई बार इस बारे में भी शिकायत मिली हैं कि वहां भी जाम लग जाता है तो जहां-जहां शिकायत मिलती है हम उन रास्तों को खुलवाने की कोशिश करते हैं।

श्री करण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस तरह के वी.आई.पीज. लोगों के लिए इस रास्ते को खुला रखना चाहिए।

राव नरबीर सिंह: अध्यक्ष महोदय, श्री करण सिंह दलाल जी से मेरे व्यक्तिगत संबंध हैं वे जैसा कहेंगे हम उस रास्ते को वैसा ही करवा देंगे।

Construction of Stadium in Dadri

***956. Shri Rajdeep Singh Phogat :** Will the Sports & Youth Affairs Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct any sports stadium equipped with National level facilities in Dadri; if so, the time by which the construction work of the said stadium is likely to be started ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : नहीं, श्रीमान जी।

श्री राजदीप सिंह फोगाट: अध्यक्ष महोदय, दादरी उप-मण्डल हरियाणा का सबसे बड़ा उप-मण्डल है। दादरी शहर के अन्दर जनता कालेज के अन्दर एक स्टेडियम होता था लेकिन आज वह भी स्टेडियम जनता कालेज ने तोड़ दिया है। अगर हम खेल की बात करें तो पूरे हिन्दुस्तान में भिवानी जिले का खेल में पहला नम्बर है और भिवानी जिले में दादरी पहला स्थान रखता है। दादरी में गीता बलाली और बबीता बलाली जैसे बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो इन्टरनेशनल स्तर पर अपना जौहर दिखा चुके हैं। मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध है

[श्री राजदीप सिंह फोगाट]

कि दादरी का स्टेडियम जो अब बन्द हो चुका है उसके लिए दादरी में एक नेशनल लेवल का स्टेडियम बनाने का काम करें। इसके साथ ही साथ खातीवास और समसपुर गावों का एक प्रपोजल भी सरकार के पास आया हुआ है, उस पर भी सरकार गौर करे।

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, भिवानी के पूरे जिले में काफी स्टेडियम हैं। जहां तक माननीय सदस्य ने दादरी की बात की है। दादरी शहर के अन्दर स्टेडियम के लिए कहीं पर भी जमीन अवेलेबल नहीं है। अगर ऐसी कोई जमीन वहां पर उपलब्ध है तो माननीय सदस्य हमें बता दें परन्तु दादरी से चार किलोमीटर दूर दादरी-रोहतक रोड पर दादरी आई.टी.आई. के पास दस एकड़ जमीन सरकार ने ले ली है और उस जमीन की चारदिवारी का काम चल रहा है। वहां पर हम स्टेडियम बना देंगे।

श्री राजदीप सिंह फोगाट: अध्यक्ष महोदय, कोई भी खिलाड़ी दादरी शहर से गाँव की तरफ खेलने नहीं जायेगा। जिस जनता कालेज की मैंने बात की है वह बहुत पुराना कालेज है और वह सरकार से ऐडिड कालेज है। आदरणीय मंत्री श्री धनखड़ साहब भी उस कालेज के विद्यार्थी रहे हैं। उस कालेज का जो स्टेडियम टूट चुका है वहां पर काफी जगह है मेरा अनुरोध है कि उस जगह को एक्वायर करके वहां पर स्टेडियम बनाने का सरकार काम करे।

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, मुझे पता है कि माननीय सदस्य क्रिकेट के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। हम इनको अच्छा स्टेडियम बनाकर देंगे जिसमें क्रिकेट की सुविधा भी देंगे इसके अलावा बाकी दूसरे खेलों की सुविधा भी देंगे।

श्री राजदीप सिंह फोगाट: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह स्टेडियम कब तक बन कर तैयार हो जायेगा ?

Shri Anil Vij: Speaker Sir, the work of stadium is on.

श्रीमती मैना सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, चौटाला गाँव में भी एक स्टेडियम चौधरी साहेबराम जी के नाम पर है। उस स्टेडियम की हालत बहुत खराब है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि उस स्टेडियम को भी ठीक करने के बारे में सरकार विचार करे।

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, मैंने विभाग को आदेश दे दिए हैं और बाकायदा इस बारे में एक टीम बना दी गई है। उस टीम को कहा गया है कि हरियाणा प्रदेश में जितने भी स्टेडियम्ज हैं उनकी दशा और दिशा देखी जाए। जितने भी स्टेडियम जो बन रहे थे और कम्पलीट हो गये हैं उन स्टेडियम्ज को भी इसी दिसम्बर माह में हम इनआगुरेट करने जा रहे हैं ताकि खिलाड़ियों को उसका फायदा मिल सके।

श्री नसीम अहमद: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मेवात के बारे में इनका क्या विचार है ?

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को तो सरकार का धन्यवाद करना चाहिए कि हमने पहली बार मेवात में कोच भेजे हैं और मेवात के लोगों के मुझे धन्यवाद आये हैं। वहां पर भी सरकार स्टेडियम बनाने के बारे में सोच रही है। चन्द जिलों या क्षेत्रों का नहीं बल्कि हम सारी स्टेट का विकास करना चाहते हैं।

श्री नसीम अहमद: अध्यक्ष महोदय, मेवात जिले में राष्ट्रीय स्तर का एक भी स्टेडियम नहीं है। कोई कोच अभी तक तो हमें कहीं पर दिखाई नही दिया हैं।

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, हम सारे स्टेट के स्टेडियम्ज की डी.पी.आर. बना रहे हैं और इसमें मेवात का एरिया भी शामिल है। (शोर एंव व्यवधान)। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले मैं मेवात दौरे पर गया था और मेवात के हालात देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैं वहां पर पब्लिकली मंच से बोलकर आया हूं कि दिल्ली के इतना नजदीक होने के बावजूद भी मेवात में आज तक आजादी नहीं पहूंची है। ऐसा मुझे वहां के हालात देखकर लगा कि वहां पर कोई फैसिलिटीज नहीं हैं। वहाँ पर अधिकारियों के मकान तक नहीं है। मैं खुद देखकर आया हूँ कि वहाँ पर बहुत बुरा हाल है। वहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय खुद भी गए थे। हम वहाँ पर विकास करना चाहते हैं, हमें थोड़ा समय तो अवश्य चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय परसों फिर वहाँ जा रहे हैं। अब मेवात हरियाणा राज्य का हिस्सा प्रतीत होता है।

श्री करण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, विज साहब की नज़र कुछ और तरह की है। अब इनकी नज़र मेवात जिले पर पड़ने जा रही है। मेरी इनसे प्रार्थना है कि ये उस जिले पर मेहरबानी रखें क्योंकि वह बहुत अच्छा इलाका है। (हंसी)

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, मेरी नज़र से सिर्फ श्री करण सिंह दलाल जी को बचना चाहिए, बाकि किसी को कोई खतरा नहीं है। (हँसी)

Tetails of Industial Grouth

***961. Shri Aseem Goel:** Will the Industries and Commerce Minister be pleased to state —

15:00 बजे

(a) the details of the industrial growth of the state for the last ten years; and

(b) whether there was any decrease in the Industrial growth during these years; if so, the reasons thereof ?

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यू) : श्रीमान जी।

(क) गत वर्षों के दौरान राज्य की औद्योगिक वृद्धि का ब्यौरा, अंकित की गई औद्योगिक विकास दर के अनुसार निम्नलिखत है:-

वर्ष	2005-06	2006-7	2007-8	2008-9	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 अस्थायी
औद्योगिक उत्पादन सूचकांक दर (%में)	8.2	10.4	6.2	3.7	12.1	9.5	6.0	4.7	2.6	5.9
औद्योगिक उत्पादन सूचकांक	108.2	119.4	126.8	131.5	147.4	161.5	171.2	179.3	184.0	194.8

(ख) हां श्रीमान् वर्ष 2007-08, 2008-09, 2010-11, 2011-12, 2012-13, और 2013-14 में औद्योगिक वृद्धि में तत्कालिक पिछले वर्ष की तुलना में कमी आई थी। औद्योगिक वृद्धि में कमी आने का मुख्य कारण सामान्यत: आर्थिक प्रगति में धीमान और नीतियों में उचित प्रोत्साहन की कमी को माना जाता है।

[कैप्टन अभिमन्यु]

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को गत 10 वर्षों में 2005 से 2015 के दौरान राज्य की औद्योगिक वृद्धि का ब्यौरा संक्षेप में देना चाहूँगा। यह औद्योगिक वृद्धि किसी वर्ष में 8.2 प्रतिशत् से लेकर 12.1 प्रतिशत् उच्चतम गई, किसी वर्ष में वह घटकर 6.2 से 3.7 प्रतिशत् और 4.7 प्रतिशत् तक दर्ज की गई तथा यहाँ तक कि वर्ष 2013-14 में यह वृद्धि दर कुल मिलाकर 2.6 प्रतिशत् तक दर्ज की गई थी। यह बात सही है कि पिछले 10 वर्षों में हमारी औद्यागिक वृद्धि दर शुरूआत से लेकर अंतिम समय तक इस कदर घटती चली गई कि पूरे देश में शायद सबसे न्यूनतम स्तर पर हमारी औद्योगिक वृद्धि दर आ गई थी तथा इस प्रकार से अंतिम राज्यों की श्रेणी में हमारी औद्यागिक वृद्धि दर आ गई थी जिसके कारण पिछले दिनों हम उद्यम प्रोत्साहन नीति लेकर आए थे तथा इस बारे में हमने एक श्वेत-पत्र भी जारी किया था। हमने औद्योगिक वृद्धि दर में कमी के कारणों को खोजने की कोशिश की थी। मुख्य तौर पर मैं कहना चाहूँगा कि इसका general economic slow down of macro economic growth कारण था जो वर्ष 2006-07 के बाद एक वर्ष के लिए आया था। मुख्य तौर पर एक उद्योग को जो adequate policy support मिलनी चाहिए थी तथा जो incentives मिलने चाहिए थे उनकी कमी के कारण औद्योगिक वृद्धि दर में कमी आई है। आज पूरा देश जानता है कि ऐसे कौन-कौन से पैरामीटर्ज़ हैं जो इंडस्ट्री की ग्रोथ को प्रभावित करते हैं। उन पैरामीटर्ज़ में ease of doing business तथा non availability of fiscal incentives भी हैं। इसमें खास तौर से M.S.M.E. Sector के ऊपर फोकस में जो कमी रही है वह अपने आप में औद्योगिक वृद्धि दर में कमी का एक बड़ा कारण रहा है तथा सरकार को जिस प्रकार के initiatives लेने चाहिए थें, वह नहीं ले पाई। आज देश व प्रदेश में make in India, skill India के नाते से एक वातावरण बनाया गया है तथा अनेक प्रोत्साहन दिए गए हैं। दुनिया में Ease of doing business में भी पिछले दिनों हमारी रैंकिंग सुधरी है तथा भारत सरकार के प्रोग्राम के अनुसार हर क्वार्टर में इसका असैसमैंट हो रहा है और बहुत जल्द ही वे इसका real time assessment करने जा रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि औद्योगिक वृद्धि दर में जो कमी आई थी, नई उद्यम प्रोत्साहन नीति आने के बाद यह कमी दूर होगी और हरियाणा राज्य तेजी से औद्योगिक विकास करेगा।

श्री असीम गोयल: अध्यक्ष महोदय, जैसे कि अभी सदन में बताया गया है कि हमारी सरकार industrial growth को आगे बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाने जा रही है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि क्या पूरे प्रदेश में समान रूप से औद्योगिक विकास किया जाएगा क्योंकि पिछली सरकारों के समय में समान रूप से औद्योगिक विकास नहीं किया गया था ? मैं माननीय मंत्री जी से यह भी पूछना चाहता हूँ कि क्या हमारी सरकार पूरे हरियाणा राज्य के अंदर जिला स्तर पर भी industrial growth लागू करने का प्रावधान करने जा रही है ? इसके लिए हमारी सरकार द्वारा क्या उपाय किए जाएंगे ?

कैप्टन अभिमन्यु: अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जब हमारी नई उद्यम प्रोत्साहन नीति को लागू किया था उस वक्त उन्होंने इस बात को उद्धृत किया था कि हमारी सरकार का संकल्प है कि हरियाणा राज्य का समान रूप से विकास किया जाएगा। सबका साथ, सबका विकास की नीति पर आधारित यह उद्यम नीति हम लेकर आए हैं। माननीय सदस्य को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि नई उद्यम नीति के अंतर्गत जो अति पिछड़े क्षेत्र हैं उनमें उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं हमने लागू की हैं। मैं यह भी कहना चाहूँगा कि

केवल कुछ क्षेत्रों में नहीं बल्कि जिन क्षेत्रों में माननीय सदस्य का यह मानना है कि उन क्षेत्रों में औद्योगिक विकास हुआ होगा, गत वर्षों में अनदेखी की जाती रही है हमारी सरकार के समय में उसकी पुनर्रावृत्ति नहीं होगी। इस संबंध में आँकड़े तो कुछ और ही ब्यान कर रहे हैं। पिछली सरकार के समय में कुछ उद्योगों को लाकर तथा उनको कुछ प्रोत्साहन देकर कुछ योजनाएं लागू की गई थी। अध्यक्ष महोदय, आप यह जानकर हैरान होंगे कि करीब 150-175 करोड़ रूपए की जो राशि प्रोत्साहन के तौर पर उद्योगों को दी जानी चाहिए थी वह राशि आज तक भी बकाया है। उद्यमी दर-दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं लेकिन उनको प्रोत्साहन राशि नहीं मिल पाई। आँकड़ों में वे सारी चीजें रिफ्लेक्ट नहीं होती हैं। हमारी कोशिश है कि सरकार की जो सोवरन कमिटमैंट है उसको निभाएं। पिछली सरकार ने भी कमिटमैंट की थी और प्रोत्साहन नीति के नाते जो उनको देना चाहिए था, हम उन कमिटमैंट्स को भी निभाएंगे। हरियाणा में जो उद्योग का ट्रस्ट डैफीसिट बना था उस ट्रस्ट डैफीसिट को खत्म करते हुए हमारी कोशिश है कि सरकार की क्रैडिबिलिटी को रिस्टोर करते हुए एक ऐसा वातावरण बनाएं जिसमें हरियाणा में औद्योगिक निवेश को अधिक से अधिक प्रोत्साहन मिले।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नकाल समाप्त होता है ।

नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Registration of land through E-Disha Kendras.

***963. Shri Gian Chand Gupta:** Will the Revenue and Disaster Management Minister be pleased to state —

(a) Whether it is a fact that registration of land deeds through E-Disha Kendras has been started in the State; if so, the details of total number of registrations made in the State till to date; and

(b) whether it has helped to check corruption; if so, the extent thereof together with the action taken against the officers/ officials, who delayed the registration process ?

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) :

(क) जी हां श्रीमान, राज्य में ई-दिशा केन्द्र के माध्यम से दिनांक 23-11-2015 तक कुल 475898 दस्तावेज पंजीकृत हुए हैं। दिनांक 23-11-2015 तक पंजीकृत दस्तावेज का विवरण अनुबन्ध "क" पर है।

(ख) जी हां श्रीमान जी, यह प्रक्रिया भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ही नहीं अपितु अधिक पारदर्शिता तथा कार्यशैली में तेजी लाती है। इस पंजीकरण प्रक्रिया के तहत किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा देरी करने बारे मामला सरकार के संज्ञान में नहीं आया है।

(कैप्टन अभिमन्यु)

अनुबन्ध क

TEHSIL-WISE APPOINTMENT & DEED REGISTRATION-SUMMARY REPORT

District	Tehsil	Appointments	Registered	Rejected	Not Registered	Delivered	Delivered Pending
Ambala	Ambala	8714	7344	4	1366	7284	60
	Naraingarh	4085	3564	35	486	3532	32
	Ambala Cant	4190	3169	8	1013	3112	57
	Brara	2582	2290	39	253	2274	16
	Saha	2227	1699	38	290	1666	33
	Shahzadpur	1923	1685	11	227	1665	20
	Mulana	1548	1150	2	396	1148	2
	Sub Total	25069	20901	137	4031	20681	220
Bhiwani	Bhiwani	9887	8866	12	1009	8698	168
	Dadri	6045	5629	1	415	5460	169
	Tosham	4745	4492	33	220	4444	48
	Siwani	2987	2663	3	321	2630	33
	Bhiwani Khera	2678	2375	0	303	2373	2
	Badhra	2238	2048	1	189	1989	59
	Luharu	2055	1852	29	174	1852	0
	Bondkalan	1666	1575	0	91	1529	46
	Bahal	1731	1499	0	232	1324	175
	Sub Total	**34032**	**30999**	**79**	**2954**	**30299**	**700**

Faridabad	Faridabad	19161	16049	84	3028	16010	39
	Ballabgarh	12321	10540	4	1777	10520	20
	Tigaon	8874	6677	0	2197	6417	260
	Mohna	1709	1249	0	460	1183	66
	Sub Total	42065	34515	88	7462	34130	385
Fatehabad	Fatehabad	8648	7450	5	1193	7446	4
	Tohana	4726	4448	0	278	4448	0
	Ratia	4747	4255	2	490	4224	31
	Bhattukalan	2894	2606	0	288	2579	27
	Bhuna	2902	2560	0	342	2556	4
	Kulan	1597	1432	0	165	1432	0
	Jakhla	1184	1109	0	75	1109	0
	Sub Total	26698	23860	7	2831	23794	66
Gurgaon	Gurgaon	27264	24770	7	2487	23674	1096
	Sohna	3031	2769	1	261	2769	0
	Farrukhnagar	3417	2738	0	679	2737	1
	Pataudi	3085	2666	0	419	2662	4
	Manesar	2693	1429	0	1264	1391	38
	Sub Total	**39490**	**34372**	**8**	**5110**	**33233**	**1139**

Hissar	Hissar	13128	11350	281	1497	11278	72
	Hansi	6669	4834	20	1815	4737	97
	Adampur	5218	4043	9	1166	3954	89
	Barwala	3148	2922	22	204	2839	83
	Narnaund	2903	2295	0	608	2196	99
	Uklana	2548	2192	0	356	1722	470
	Balsamand	1919	1579	0	340	1569	10
	Bas	1584	1416	1	167	1388	28
	Sub Total	**37117**	**30631**	**333**	**6153**	**29683**	**948**
Jhajjar	Bahadurgarh	9195	6855	0	2340	6848	7
	Jhajjar	7335	6006	14	1315	6004	2
	Beri	2644	2352	3	289	2330	22
	Matanhail	2328	2077	2	249	2072	5
	Salhawas	936	865	0	71	864	1
	Sub Total	22438	18155	19	4264	18118	37
Jind	Jind	8924	7438	43	1443	7045	393
	Narwana	8349	6450	59	1840	6396	54
	Uchana	4369	3636	4	729	3515	121
	Safidon	3504	3176	39	289	3169	7
	Pilukhera	2296	2078	0	218	2019	59
	Julana	2222	2018	1	203	1997	21
	Alewa	2212	1826	1	385	1179	47
	Sub Total	**31876**	**26622**	**147**	**5107**	**25920**	**702**

Kaithal	Kaithal	8141	7435	2	704	7434	1
	Pundri	4522	3842	2	678	3839	3
	Gulha	4194	3501	7	686	3495	6
	Kalayat	3495	2477	18	1000	2477	0
	Dhand	2589	2027	3	559	2019	8
	Siwan	1040	915	11	114	910	5
	Rajaund	2133	874	0	1259	873	1
	Sub Total	**26114**	**21071**	**43**	**5000**	**21047**	**24**
Karnal	Karnal	11390	9303	307	1778	9248	57
	Assandh	4255	3121	1	1133	3114	7
	Gharaunda	3810	2960	0	850	2940	20
	Indri	3650	2994	1	655	2938	56
	Nilokheri	2625	2411	0	214	2407	4
	Nising	2180	1928	9	243	1927	1
	Nigdu	1740	1502	0	238	1465	37
	Ballah	1871	1447	0	424	1441	6
	Sub Total	**31521**	**25668**	**318**	**5535**	**25480**	**188**

Kurukshetra	Thanesar	11410	8934	1647	829	8670	264
	Pehowa	5059	4083	285	691	4075	8
	Shahabad	4254	3525	31	698	3511	14
	Ladwa	2883	2285	18	580	2261	24
	Ismilabad	1885	1504	28	353	1503	1
	Babain	1933	1501	91	341	1496	5
	Sub Total	**27424**	**21832**	**2100**	**3492**	**21516**	**5**
Mahindergarh	Narnaul	4546	4088	15	443	4085	3
	Mahindergarh	4443	3507	0	936	3505	2
	Karina	3355	2935	0	420	2935	0
	Nangal Chowdhary	2516	2244	1	271	2241	3
	Ateli	2318	1993	3	322	1968	25
	Satnali	1771	1395	0	376	1389	6
	Sub Total	**18949**	**16162**	**19**	**2768**	**16123**	**39**
Mewat	Nuh	4585	3591	6	988	3584	7
	Tauru	2767	2301	8	458	2300	1
	Punhana	2573	2129	51	393	2125	4
	Ferozepur Zirka	1408	1150	0	258	1150	0
	Nagina	1148	977	0	171	977	0
	Sub Total	**12481**	**10148**	**65**	**2268**	**10136**	**12**
Palwal	Palwal	11990	10109	2	1879	10044	65
	Hodal	5755	5104	112	539	5004	100
	Hathin	4094	3601	35	458	3487	114
	Hassanpur	1164	1117	0	47	1116	1
	Sub Total	**23003**	**19931**	**149**	**2923**	**19651**	**280**

Panchkula	Kalka	3694	3298	4	392	3252	46
	Panchkula	2840	2548	26	266	2509	39
	Raipur Rani	1695	1305	0	390	1260	45
	Barwala	1237	1112	1	124	1081	31
	Morni	289	263	0	26	260	3
	Sub Total	**9755**	**8526**	**31**	**1198**	**8362**	**164**
Panipat	Panipat	9749	8276	5	1468	8276	0
	Samalkha	3992	3317	3	672	3317	0
	Matloda	2873	2598	1	274	2598	0
	Israna	2064	1966	13	85	1966	0
	Bapoli	2045	1652	91	302	1652	0
	Sub Total	20723	17809	113	2801	17809	0
Rewari	Rewari	8787	7169	1	1617	6961	208
	Dharuhera	3532	2580	0	952	2503	77
	Bawal	2792	2367	0	425	2353	14
	Kosli	2031	1873	10	148	1845	28
	Dahina	2767	1930	21	816	1802	128
	Manethi	1909	1409	0	500	1324	85
	Nahar	1374	1124	13	237	1052	72
	Sub Total	**23192**	**18452**	**45**	**4695**	**17840**	**612**
Rohtak	Rohtak	14147	12479	0	1668	12366	113
	Meham	4094	3451	1	642	3249	202
	Sampla	2458	2292	1	165	2229	63
	Kalanaur	2417	2116	0	301	2094	22
	Sub Total	**23116**	**20338**	**2**	**2776**	**19938**	**400**

(कैप्टन अभिमन्यु)

Sirsa	Sirsa	10361	9139	2	1220	8912	227
	Dabwali	6412	5862	3	547	5839	23
	Rania	5443	4857	1	585	4615	242
	Nathusari Chopta	4835	4150	0	685	4099	51
	Ellenabad	3965	3779	0	186	3729	50
	Kalanwali	3744	3490	0	254	3289	201
	Goriwala	1886	1712	0	174	1542	170
	Sub Total	**36646**	**32989**	**6**	**3651**	**32025**	**964**
Sonipat	Sonipat	11767	9930	98	1739	9706	224
	Gohana	7134	6171	2	961	5939	232
	Ganaur	4333	3977	12	344	3971	6
	Rai	3286	2851	5	430	2651	200
	Kharkhoda	2836	2572	28	236	2496	76
	Khanpur	1419	1210	0	209	1208	2
	Sub Total	**30775**	**26711**	**145**	**3919**	**25971**	**740**
Yamunanagar	Jagadhri	15099	12274	0	2825	11715	559
	Chhachhraul	3976	3440	4	532	3107	333
	Bilaspur	3679	3015	2	662	2996	19
	Radaur	3088	2609	1	478	2513	96
	Mustafabad	2624	1899	3	722	1874	25
	Sdhaura	1652	1396	1	255	1221	175
	Sub Total	**30118**	**24633**	**11**	**5474**	**23426**	**1207**
Haryana	**Grand Total**	**572602**	**484325**	**3865**	**84412**	**475182**	**9143**

State Total

From: 25, Dec. 2014 Till: 24, Nov. 2015

	Appointment	Registered	Rejected	Not Registered	Delivered	Pending
State Total	**575410**	**486685**	**3885**	**84840**	**755898**	**10787**

*The dates which are not including in this report implies Holiday or No activity.

Description of Terminoloies

1. Appointments No. of Appointments Issued for Deed Registration
2. Registered No. of Deeds Registered Against Appointment
3. Rejected Deeds Rejected by Sub Registrar/Party refused to register before sub Registrar.
4. Not Registered Party absent/Party Refused to register deed and did not present itself with Sub Registrar
5. Delivered No of Deeds which ware registered and Delivered
6. Pending Registered but delivery is still pending

नियम 46 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

(3)27

Agriculture, Horticulture University in Jind

***910. Dr Hari Chand Middha:** Will the Agriculture Management Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to set up an Agriculture Horticulture University in Jind city?

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : सरकार एक क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र राजकीय बाग एवं नर्सरी, जीन्द में स्थापित कर रही है।

Construction of Sanctuary

***913. Sh. Kehar Singh:** Will the Animal Husbandry and Dairying Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct any sanctuary for the cows and bulls under the Gauvansh Sanrakshan and Gausamvardhan Bill and to provide fixed fund to Gaushalas; if so, the details thereof ?

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : श्रीमान जी, राज्य में विभिन्न स्थानों पर पांच गौ अभ्यारण्य स्थापित किए जाने के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं जिनकी स्थापना के लिए सरकार द्वारा हरियाणा गौ सेवा आयोग के माध्यम से राशि उपलब्ध करवाई जाऐगी। गौशालाओं के लिए हरियाणा गौ सेवा आयोग व भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड द्वारा गौशालाओं को समय-समय पर वित्तीय सहायता इनके आधारभूत बोर्ड गौशालाओं को समय-समय पर वित्तीय सहायता इनके आधारभूत ढ़ांचे के सुदृढ़ीकरण के लिए उपलब्ध करवाई जाती है।

Repair of Road

***928. Shri Om Parkash Barwala:** Will the PW (B&R) Minister be pleased to state —

(a) Whether it is a fact that road from Barwa to Siwani at NH-65 has been damaged completely; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to repair the abovesaid road ?

लोक निर्माण मंत्री (राव नरबीर सिंह) : श्रीमान जी, स्टेटमैंट सदन के पटल पर रख दी गई है।

स्टेटमैन्ट

राष्ट्रीय राजमार्ग-65 केवल गंगवा, बड़वा व सिवानी के गांव वाले भागों में क्षतिग्रस्त हुआ है। क्षतिग्रस्त भागों के सुधारीकरण के लिए 23.41 करोड़ रुपये का अनुमान हरियाणा राज्य के द्वारा कार्य को करवाने हेतु निधि जमा करवाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को भेजा गया है।

Receipt of Stamp Duty

***934. Shri Karan Singh Dalal:** Will the Revenue and Disaster Management Minister be pleased to state the year-wise and District-wise receipts of Stamp Duty accrued from Registration of Conveyance deeds in the state for the year 2012-13, 2013-14 and 2014-15 till date?

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : श्रीमान जी, वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15 तथा 2015-16 (23-11-2015 तक) राज्य के सभी जिलों में कन्वैंस प्रलेख के पंजीकरण से प्राप्त स्टाम्प शुल्क का विवरण इस प्रकार है:-

क्रम संख्या	वर्ष	प्राप्ति (करोड़ में)
1.	2012-13	515.11
2.	2013-14	694.01
3.	2014-15	803.32
4.	(23-11-2015-2016 तक	484.47

कन्वैंस प्रलेख के पंजीकरण से प्राप्त स्टाम्प शुल्क का जिलावार विवरण अनुबन्ध 'क' पर है।

अनुबन्ध-क

जिलावार कन्वैंस प्रलेख से प्राप्त स्टाम्प शुल्क (रुपये करोड़ों में)

क्रम सं0	जिला	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16 till date
1.	अम्बाला	73.74	57.77	71.93	50.72
2.	भिवानी	63.45	54.00	43.55	22.70
3.	फरीदाबाद	58.81	108.04	107.80	54.31
4.	फतेहाबाद	01.07	0.73	0.81	0.50
5.	गुड़गांव	26.38	149.06	230.17	202.31
6.	हिसार	34.78	29.19	20.16	13.01
7.	झज्जर	98.19	105.02	62.64	45.31
8.	जीन्द	43.46	50.28	51.46	27.42
9.	कैथल	40.98	41.49	88.65	16.76
10.	करनाल	2.29	3.99	7.80	2.56
11.	कुरुक्षेत्र	1.66	2.30	2.81	1.17
12.	महेन्द्रगढ़	0.39	0.27	0.26	0.17
13.	मेवात	0.49	0.31	0.11	0.12

[कैप्टन अभिमन्यु]

14.	पलवल	1.04	1.57	3.20	1.42
15.	पंचकुला	9.01	7.98	6.94	4.15
16.	पानीपत	3.98	3.84	5.97	4.81
17.	रेवाड़ी	7.17	19.63	18.22	7.28
18.	रोहतक	8.57	13.14	51.58	9.18
19.	सिरसा	1.08	0.80	1.88	1.25
20	सोनीपत	36.65	42.28	24.22	16.33
21.	यमुनानगर	1.92	2.32	3.16	2.45
	जोड़	515.11	694.01	803.32	484.47

To Desilt the Gonchhi Drain

***942. Shri Narender Bhadana:** Will the Irrigation Minister be pleased to state

(a) Whether there is any proposal under consideration of the Government to desilt the Gonchhi drain and Gonchhi drain siphon and to set right the connectivity direction in Gonchhi drain to Gurgaon canal ; and

(b) it so, the time by which abovesaid work is likely to be started?

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) :

(क) श्रीमान जी, सिंचाई विभाग के पास गोच्छी ड्रेन की गाद निकालने को कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। गोच्छी ड्रेन के साईफन की गाद निकालने के लिए 520000 रुपये की लागत का अनुमान स्वीकृत किया जा चुका है और इसके टैण्डर निकाले जा चुके हैं।

(ख) गोच्छी ड्रेन के साईफन की गाद निकालने का कार्य दो महीने के अन्दर आरम्भ किए जाने की संभावना है और गोच्छी ड्रेन को गुड़गांव कैनाल से जोड़ने की दिशा के प्रस्ताव के निरीक्षण का कार्य तीन महीने के अन्दर कर दिया जाएगा।

Construction of Grain Market

***924. Shri Prithi Singh:** Will the Agriculture Minister be pleased to state

(a) Whether it is a fact that there is a very old Sub-Yard in village Dhamtam Sahib in Narwana Assembly constituency ; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to utilize the land of the abovesaid sub-yard for the construction of Mandi; if so, the time by which the said proposal is likely to be materialized?

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) :

(क) जी हां श्रीमान जी।

(ख) जी नहीं श्रीमान जी।

Sanctioned Posts in DHBVN

***948. Shri Randhir Singh Kapariwas:** Will the Chief Minister be pleased to state the number of posts of officials and officers sanctioned in Electricity Department (DHBVN) in District Rewari and the number of officers and officials working against the said posts alongwith the number of posts lying vacant at present togetherwith the time by which the abovesaid vacant posts are likely to be filled up?

मुख्य मंत्री (श्री मनोहर लाल) : श्रीमान जी, एक वक्तव्य सदन के पटल पर रखा है।

वक्तव्य

पद की श्रेणी	स्वीकृत पद	कार्यरत स्थिति	रिक्त स्थिति	टिप्पणी
श्रेणी-क 1 एस0ई0 3 कार्यकारी अभियंता	04	04	0	
श्रेणी-ख (एस0डीओ0)	11	9	02	नये सृजित पदों के कारण रिक्ति।
श्रेणी-ग	1313	561	752	332 कर्मचारी आऊटसोर्स पर लगाए।
श्रेणी-घ	73	36	37	15 कर्मचारी आऊटसोर्स पर लगाए।
कुल योग	1401	610	791	

2. रिक्तियों को आवश्यकतानुसार समय-समय पर भर दिया जाएगा।

Overhauling of Irrigation Water Supply

***953. Shri Parminder Singh Dhull:** Will the Irrigation Minister be pleased to state—

(a) the total expenditure incurred by the State Government from, 2010 to September, 2014 for maintenance and upkeep of the existing irrigation water supply network including drains, minors of the Julana constituency ; and

(b) whether Government has initiated any pilot project to undertake reforms pertaining to overhaul of irrigation water supply ?

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) :

(क) श्रीमान जी, खर्च की गई राशि 1279.01 लाख रुपये है।

(ख) हां श्रीमान जी, विभिन्न पायलट प्रोजैक्टों का विवरण अनुबंध 'क' पर है।

अनुबन्ध 'क'

The pilot projects taken up by the department to overhaul of irrigation water supply are as under:-

* As a first step towards realising the vision of Govt. i.e. Har Khet Ko Panni, a project of improving capacity of various pump houses and canals of the JLN lift irrigation system costing Rs. 143.00 crore has been approved. The project would be taken up in a phased manner.
* To encourage micro irrigation for optimum utilization of avaiable surface water, department in association with Command Area Development Authority (CADA), a pilot project costing Rs. 25.00 crore demonstratig sprinkler and drip irrigation for 13 districts has been prepared. It is targeted that the project shall be implemented by the end of financial year 2015-16.
* A pilot project for recharging the ground water by installation of 390 injection wells amounting Rs. 641 crore is likely to be start soon.

Renovation of Government Hospital Dadri

***935. Shri Rajdeep Phogat:** Will the Health Minister be pleased to state whether it is a fact that the Government Hospital of Dadri city is un dilapidated condition; if so whether there is any proposal under consideration of the Government to renovate the building of said Hospital togetherwith the time by which it is likely to be renovated?

श्री अनिल विज: नहीं श्रीमान जी। यद्यपि सिविल डिस्पैन्सरी के सोलह कमरों में से आठ का नवीनीकरण किया जा रहा है।

***935. Shri Karan Singh Dalal:** Will the Agriculture Minister be pleased to state whether any proposal/application for conducting trial of GM Mustard crop has been received by the Government; if so, the details of such proposal/application togetherwith action taken thereon?

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : नहीं श्रीमान। प्रश्न के शेष भाग उत्पन्न नहीं होते।

---

*934. **Shri Nagender Bhadana:** Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade the Partapgarh Sewer Disposal and treatment plant; if so, the time by which the work on it is likely to be started?

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्रीमती कविता जैन) : नहीं श्रीमान जी; इसका सवाल उत्पन्न नहीं होता।

Exemption of stamp duty

*916. **Shri Kehar Singh:** Will the Revenue and Disaster Management Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to exempt stemp duty on the Mutual exchange of Land by the farmers of a village; if so, the details thereof ?

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : नहीं श्रीमान जी,सवाल नहीं उठता।

Construction of Cans!

*929. **Shri Om Parkash Barwa:** Will the Irrigation Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that underground water in Block Siwani of Loharu constituency is saline and no canal is available there; and

(b) if so whether there is any proposal under consideration of the Government to construt any canal in abovesaid area?

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) :

(क) नहीं श्रीमान जी।

(ख) इस बात का प्रश्न ही नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Construction of Road

*180. **Shri Hari chand Middha:** Will the PW (B&R) Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a road from the railway station of village Barsola of Jind Assembly constituency to village Chhapra of Uchana Assembly constituency ?

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : जी नहीं श्रीमान जी।

Repair of Road

188. Shri Kehar Singh: Will the PW (B&R) Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to repair the road from Jainty Mor to Kondal Manpur; if so, the time by which the said work is likely to be started togetherwith the details therof?

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : जी हां श्रीमान जी। मुरम्मत का कार्य 15-12-2015 तक आरम्भ किये जाने की संभावना है।

Sanctioned Strength of IAS Officers in the State

197. Shri Karan Singh Dalal: Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the sanctioned strength of IAS in the State;

(b) the names and number of cadre strength of sanctioned post of Addl. Chief Secretaries and Financial Commissioners in the State by the Government of India; and

(c) the persent strength of the Addl. Chief Secretaries and Financial Commissioners in the State?

मुख्य मंत्री (श्री मनोहर लाल) : श्रीमान जी,वांछनीय सूचना अनुबन्ध-क पर दी गई है एवं वह विधानसभा के पटल पर रखी जाती है।

अनुबन्ध-क

वित्तीय आयुक्तों के स्वीकृत पदों से सम्बन्धित वांछनीय सूचना निम्न प्रकार है:-

(क) राज्य में आई0ए0एस0 काडर की स्वीकृत संख्या 205 है।

(ख) राज्य में 80000/- के वेतनमान में और उच्चतर प्रशासकीय ग्रेड में निम्नलिखित स्वीकृत पद हैं।

क्रम संख्या	पदनाम	पदों की संख्या
	मुख्य सचिव ग्रेड (रु0 80000/- नियत)	
1.	सरकार के मुख्य सचिव	01
2.	वित्तीय आयुक्त-सह-प्रधान सचिव	01
3.	मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव	01
	उच्चतर प्रशासकीय ग्रेड (रु0 67000-79000)	
4.	वित्तीय आयुक्त/प्रधान सचिव	12
5.	मुख्यमंत्री के अपर प्रधान सचिव	01

आदेश संख्या11/1/2012-एस (1) दिनांक 1-6-2012 द्वारा, राज्य सरकार ने वित्तीय आयुक्त-सह-प्रधान सचिव के पदों को अतिरिक्त मुख्य सचिव पुर्ननामित किया है एवं वित्तीय आयुक्त/प्रधान सचिव के पद को प्रधान सचिव पुर्ननामित किया है। निरन्तरता में जारी आदेश क्रमांक 11/1/2012-1एस (1) दिनांक 1-6-2012 के अनुसार, अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं प्रधान सचिव विभिन्न संवैधानिक प्रावधनों के तहत वित्तिय आयुक्त की शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

(ग) राज्य में अतिरिक्त मुख्य सचिवों वित्तीय आयुक्तों की वर्तमान संख्या निम्न प्रकार है:-

क्रम संख्या	पदनाम	पदों की संख्या
1.	अतिरिक्त मुख्य सचिव	21
2.	प्रधान सचिव	10

Replacement of Obsolete Electricity Wires

208. Shri Rajdeep Phogat: Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to replace electricity wires in the Dadri city and villages of Dadri constituency; if so the time by which the said wires are likely to be replaced ?

मुख्य मंत्री (श्री मनोहर लाल) : श्रीमान, पुरानी बिजली की तारों को आवश्यकतानुसार समय-समय पर बदला जाता है। 1-4-2013 से दादरी शहर में 23.00 किलोमीटर और दादरी निर्वाचन क्षेत्र में 181 किलोमीटर पुरानी तारों को बदला जा चुका है।

Sansad Adars Gram Yojna

181. Shri Hari Chand Middha: Will the Development and Panchayat Minister be pleased to state—

(a) the name of the Legislators who have adopted the villages under the Sansad Adars Gram Yojna in State;

(b) the facilities proposed to be provided by Government to the village adopted by the legislators; and

(a) the amount likely to be spent on such village?

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : श्रीमान जी,

(क) विधायक आदर्श ग्राम योजना के तहत गांवों को गोद लेने वाले विधायकों के नामों का विवरण निम्न प्रकार से है।

[श्री ओमप्रकाश धनखड़]

क्र0सं0	विधायक का नाम
1	श्री असीम गोयल
2.	श्रीमती संतोष गोयल
3.	श्री नायाब सैनी
4.	श्री घनश्यामदास सर्राफ
5.	पंडित टेक चन्द शर्मा
6.	चौ0 नागेन्द्र भड़ाना
7.	पंडित मूलचन्द शर्मा
8.	श्री सुभाष बराला
9.	श्रीमती बिमला चौधरी
10.	राव नरबीर सिंह
11.	श्री तेज पाल तनवर
12.	श्री ओम प्रकाश धनखड़
13.	श्री नरेश कौशिक
14.	श्रीमती प्रेम लता
15.	श्री हरि चन्द मिढ़ा
16.	श्रीमती रेनुका बिश्नोई
17.	श्री कुलदीप सिंह
18.	कैप्टन अभिमन्यु
19.	डॉ0 कमल गुप्ता
20.	श्री जय प्रकाश
21.	श्री मनोहर लाल
22.	श्री कुलवन्त सिंह
23.	श्री दिनेश कौशिक
24.	श्री करण देव कम्बोज
25.	श्री बख्शीश सिंह विर्क
26.	श्री कृष्ण कुमार बेदी
27.	श्री सुभाष सुधा
28.	श्री पवन सैनी
29.	श्री जसविन्द्र सिंह संधू
30.	श्री राम बिलास शर्मा
31.	श्रीमती संतोष यादव

33. डॉ0 अभय सिंह यादव
34. श्रीमती लतिका शर्मा
35. श्री ज्ञान चन्द गुप्ता
36. श्री रविन्द्र मछरौली
37. श्री कृष्ण लाल पंवार
38. श्री महीपाल ढांडा
39. श्री केहर सिंह रावत
40. डॉ0 बनवारी लाल
41. श्री रणधीर सिंह कापड़ीवास
42. श्री आनन्द सिंह ढांगी
43 श्री मनीष ग्रोवर
44. श्रीमती कविता जैन
45. श्री केवर पाल
46. श्री श्याम सिंह राणा
47. श्री घनश्याम दास अरोड़ा
48. श्री बलवन्त सिंह

(ख) प्रत्येक गोद लिए गांव में आवश्यकताओं की पहचान करके ग्राम विकास योजना तैयार की जाएगी और उसी अनुसार सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी।

(ग) ग्राम विकास योजना के अनुसार ही इन सुविधाओं पर सम्भावित राशि खर्च की जाएगी। यह राशि राज्य और केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के अभिसरण के साथ-साथ कॉर्पोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी (सी0एस0आर0) के माध्यम से खर्च की जाएगी।

Repair of Rest House

189. Shri Kehar Singh: Will the PW (B&R) Minister be pleased to state—

(a) whether it is fact that the building of the Rest House of Hathin town and Mandkola of Hathin Assembly are in dilapated condition; and

(b) If so, whether there is any proposal under consideration of the Government to repair or to construct the new buildings of the above said Rest house; if so the time by which the said work is likely to be started together with the details thereof ?

लोक निर्माण मंत्री (राव नरवीर सिंह) :

(क) हां, श्रीमान जी।

(ख) नहीं, श्रीमान जी।

CCTV Cameras in the Markets

209. Shri Rajdeep Phogat: Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to install the CCTV cameras for security in the main markets of Dadri city; if so the time by which these are likely to be installed?

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्रीमती कविता जैन) : दादरी शहर के मुख्य बाजारों में सुरक्षा के लिए सी0टी0वी0 कैमरे लगाने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में दादरी शहर में सुविधाजनक स्थानों पर सी सी टी वी कैमरे लगाने के लिए पुलिस विभाग के साथ परामर्श करके 89.27 लाख रुपये का एक अनुमान तैयार करके पत्र क्रमांक 4477, दिनांक 9-7-2015 के द्वारा उपायुक्त, भिवानी को आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया है। उपरोक्त के अतिरिक्त दादरी शहर में सी सी टी वी कैमरे लगाने के लिए सांसद निधि स्कीम के अन्तर्गत श्री धरमबीर, माननीय सांसद द्वारा 7.50 लाख रुपये की सिफारिश की गई है जिसके लिए निविदा सम्बन्धी कार्य प्रक्रिया में हैं।

Punjabi language As a Compulsory Subject

182. Shri Hari Chand Maddha: Will the Education Minister be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to implement the Punjabi Language as a compulsory subject in the schools of Haryana stae; and

(b) if so the time by which it is likely to be implemented?

शिक्षा मंत्री (श्री रामबिलास शर्मा) : नहीं श्रीमान जी।

CCTV Cameras in front of Banks

210. Shri Rajdeep Phogat: Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any scheme under consideration of the Government to install the CCTV cameras for security front of the various banks in the villages of Dadri constituency; if so, the time by which these are likely to be installed?

मुख्य मंत्री (श्री मनोहर लाल) : वर्तमान सरकार के पास दादरी विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले गांवों में स्थित बैंकों की सुरक्षा के लिए उनके सामने सी सी टी वी कैमरे लगाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, इसलिए प्रश्न के दूसरे भाग के उत्तर का कोई औचित्य नही है।

Desilting the Hansi Branch

183. Shri Hari Chand Maddha: Will the Irrigation Minister be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to desilt the Hansi Branch Canal;

(b) whether it is a fact that an amount of rupees three crore had been sanctioned for the desilting of Hansi Branch Canal; and

(c) if so, the portion of canal where the abovesaid amount has been utilized ?

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) :

(क) जी हां, श्रीमान जी। हांसी ब्रांच में गाद की पटरी को हटाने, बुर्जी संख्या 105625 से लेकर 238326 तक टुकड़ों में साईड की लाईनिंग और बेड की लाईनिंग का 1827 लाख रुपये का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ख) नहीं, श्रीमान जी।

(ग) नहीं, श्रीमान जी।

CCTV Cameras in front of School

210. Shri Rajdeep Phogat: Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to install the CCTV cameras for security in the front of schools and colleges of rural areas as will as the urban area; if so, the time by which these cameras are likely to be installed?

मुख्य मंत्री (श्री मनोहर लाल) : श्रीमान जी। वर्तमान सरकार के पास ग्रामीण क्षेत्रों तथा शहरी क्षेत्रों के विद्यालयों तथा महाविद्यालयों के सामने सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, इसलिए प्रश्न के दूसरे भाग के उत्तर का कोई औचित्य नहीं है।

विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना

श्री करण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, मैंने स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज के खिलाफ एक प्रिवीलेज मोशन दिया था, मुझे उसका फेट बताया जाए। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: मुझे आपका प्रिविलेज मोशन का नोटिस रूल 280 एवं 281 के तहत मिला है और यह अभी विचाराधीन है।

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल: अध्यक्ष महोदय, हमने बिजली के बढ़े हुए दामों पर एडजर्नमैंट मोशन दिया था, हमें भी उसका फेट बताया जाए। (विघ्न)

धान खरीद घोटाले का मामला उठाना

डा. रघुवीर सिंह कादियान: अध्यक्ष महोदय, हमने धान की खरीद के घोटाले बारे काम रोको प्रस्ताव दिया था जिसको आपने कालिंग अटैंशन मोशन में बदल दिया। सरकार की तरफ से धान की खरीद के घोटाले की इन्कवायरी बारे नहीं बताया गया कि यह इन्कवायरी करवाई जाएगी या नहीं ? (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, यह बहुत सीरियस मामला है इसलिए इस बारे में हमें एश्योर करवाया जाए कि इस घोटाले की इन्कवायरी करवाई जाएगी या नहीं? (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: इंडियन नैशनल लोकदल के सदस्य बिजली की बात कर रहे हैं और कांग्रेस के सदस्य धान घोटाले की बात कर रहे हैं। (विघ्न)

श्री सुभाष बराला: अध्यक्ष महोदय, कल धान की खरीद के बारे बहुत लम्बी चर्चा हुई थी। मंत्री महोदय ने इस बारे में सारी बातें क्लीयर कर दी थी। इन लोगों द्वारा फर्जी घोटाले का नाम लेकर इस तरह का काम किया जा रहा है इसलिए इनको बोलने की इजाजत न दी जाए। (विघ्न)

श्री कुलदीप शर्मा: अध्यक्ष महोदय, धान की खरीद में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है इसलिए इसकी जांच सी.बी.आई. से करवाई जाए।

(इस समय कांग्रेस पार्टी के सदन में उपस्थित सभी सदस्य श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा, श्रीमती किरण चौधरी और श्री करण सिंह दलाल को छोड़कर हाउस की वैल में आकर नारेबाजी करने लगे)

श्री अध्यक्ष: धान की खरीद में कोई घोटाला नहीं हुआ है और आप जबरदस्ती घोटाला बना रहे हैं। सरकार ने इस बारे पूरा जवाब दे दिया है और मैं सरकार के जवाब से संतुष्ट हूं। जो तर्क उन्होंने दिए हैं वे वाजिब तर्क हैं। हरियाणा की जनता से अभी तक कोई सिंगल शिकायत नहीं आई है। (शोर एवं व्यवधान) कल की आपकी खबर छप गई होगी, क्या आज भी आप इस मुद्दे पर वाक आउट करना चाहते हैं। (विघ्न)

श्री आनन्द सिंह दांगी: अध्यक्ष महोदय, अगर सरकार जीरो टोलरैंस की बात करती है तो मैं कहना चाहूंगा कि सरकार धान खरीद घोटाले की सी.बी.आई. से इन्कवायरी करवाए।

बैठकों का स्थगन

(i)

श्री अध्यक्ष: आप सभी अपनी अपनी सीटों पर बैठें। (विघ्न)जब इन्कवायरी के लिए कुछ नहीं है तो कैसे जांच करेंगे। मेरा निवेदन है कि आप अपनी आत्मा की आवाज पर फैसला लें। (शोर एवं व्यवधान) ठीक है, हाउस 15 मिन्ट के लिए ऐडजर्न किया जाता है। मैं विपक्ष के नेता एवं कांग्रेस पार्टी के सदस्य श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा से कहूंगा कि वे इस बारे में मेरे चैम्बर में आकर मुझसे मिलें।

(The Sabha then * adjourned at 11.04 A.M. and re-assembled at 11.19 A.M.)

(ii)

(इस समय उपाध्यक्ष महोदया पदासीन हुईं।)

उपाध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यगण, सदन की कार्यवाही को 20 मिनट के लिए फिर स्थगित किया जाता है।

[*11.19 बजे] **(The Sabha then *adjourned at 11.19 A.M. and reassembled at 11.39 A.M.)**

सदस्यों का नाम लेना

उपाध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यगण, मुझे डॉ. अभय सिंह यादव, विधायक की तरफ से इस महान सदन का ध्यान एक अत्यावश्यक एवं लोक महत्व के विषय की ओर दिलाने के लिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : उपाध्यक्ष महोदया, कल जो धान खरीद घोटाले के बारे में काम रोको प्रस्ताव दिया गया था जिसको बाद में कालिंग अटैन्शन मोशन में कन्वर्ट कर दिया था और उस पर बाद में बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे लेकिन वह डिस्कशन किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई। इसलिए हमारा विचार यह है कि पहले उस धान खरीद घोटाले की जांच करवाई जाये। (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदया : माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने स्वयं कहा है कि उनको इसमें कुछ गड़बड़ दिखाई नहीं देती है। अगर वे इस बात से संतुष्ट होंगे कि इसमें कोई घोटाला हुआ है तो वे इसकी इन्क्वायरी करवा लेंगे। इस पर कल 4 घंटे डिस्कशन हो चुकी है और मुख्यमंत्री महोदय ने इस विषय पर हर बात को तथ्यों सहित रखा है। आप बैठ जाईये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री महिपाल सिंह ढांडा : उपाध्यक्ष महोदया, कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पूरी बात तथ्यों सहित सदन के सामने रख दी थी अब उसमें जांच की कोई जरूरत नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

(इस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य डॉ0 रघुवीर सिंह कादियान, श्री जगबीर सिंह मलिक, श्री श्रीकृष्ण, श्री जयतीर्थ, श्रीमती शकुन्तला खटक, श्रीमती गीता भुक्कल, श्री जयवीर सिंह, श्री कुलदीप शर्मा, श्री उदयभान, श्रीमती किरण चौधरी, श्री ललित नागर व श्री आनन्द सिंह दांगी सदन की वैल में आ कर बोलने लगे।)

उपाध्यक्ष महोदया : आप लोग अपनी सीटों पर जा कर बैठिये। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : उपाध्यक्ष महोदया, हमारी सरकार से यही मांग है कि धान खरीद घोटाले की जाँच करवाई जाये। (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदया : अगर आप अपनी सीटों पर नहीं जायेंगे तो मुझे आपको नेम करना पड़ेगा। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : उपाध्यक्ष महोदया, धान खरीद घोटाले की जाँच करवाई जाये। (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदया : मैं आपको वार्निंग देती हूँ। आप अपनी सीटों पर जाईये। अगर आप अपनी सीटों पर जा कर नहीं बैठेंगे तो मुझे आपको नेम करना पड़ेगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदया, हमारी माँग यह है कि सरकार धान खरीद में हुये घोटाले की जाँच करवाये। (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदया : मैं आपको दोबारा वार्निंग देती हूँ कि आप अपनी सीटों पर जाकर बैठिये। अगर आप अपनी सीटों पर जा कर नहीं बैठेंगे तो मुझे आपको नेम करना पड़ेगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिक : उपाध्यक्ष महोदया, हमारी माँग यह है कि धान खरीद में जो किसानों के साथ लूट हुई है उसकी जाँच करवाई जाये। (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदया : मैं आपको फिर से वार्निंग देती हूँ कि आप अपनी सीटों पर जा कर बैठिये। अगर आप अपनी सीटों पर नहीं बैठेंगे तो मुझे आपको नेम करना पड़ेगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री आनन्द सिंह दांगी : उपाध्यक्ष महोदया, सरकार को इस घोटाले की जाँच करवाने में क्या ऐतराज है ? (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदया : आप अपनी सीटों पर जा कर बैठिये। अगर आप नहीं मान रहे हैं तो मैं श्री आनन्द सिंह दांगी, श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा, श्रीमती गीता भुक्कल, श्री जगबीर सिंह मलिक, श्री जयतीर्थ, श्री जयवीर सिंह, श्रीमती किरण चौधरी, श्री कुलदीप शर्मा, श्री ललित नागर, डॉ. रघुवीर सिंह कादियान, श्रीमती शकुंतला खटक, श्री श्रीकृष्ण एवं श्री उदयभान को नेम करती हूँ। आप कृपा करके सदन से बाहर जाईये (इस समय सार्जेन्ट-ऐट-आर्म्स, द्वारा वॉच एण्ड वार्ड स्टाफ की मदद से नेम किये गये सदस्यों श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा को छोड़कर को सदन से बाहर निकाला गया।)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : उपाध्यक्ष महोदया, क्या आपने मुझे भी नेम किया है? (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदया : हाँ, मैंने आपको भी नेम कर दिया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : आपने मुझे नेम कैसे किया मैं तो वैल में गया ही नहीं ? (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदया : आपको नेम कर दिया है क्योंकि आप भी खड़े हुए थे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : उपाध्यक्ष महोदया, ये क्या बात हुई ?आप इस तरह मुझे नेम नहीं कर सकती। (शोर एवं व्यवधान)

(इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए)

श्री अध्यक्ष : मैं हुड्डा साहब का नाम नेम किये गये सदस्यों में से वापिस लेता हूं। प्लीज आप सभी बैठ जाईये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से आज हमारे साथियों को नेम किया है यह कल से एक ज्वलंत मुद्दा था जिसको सभी विपक्ष ने उठाया और हमारी पूरे विपक्ष की एक ही मांग थी कि जो धान का घोटाला हुआ है उसकी हाई कोर्ट के जज द्वारा जांच कराई जाए। लेकिन सरकार इस बात पर अडिग है वह इस घोटाले की जांच पर कोई कदम नहीं उठाना चाहती।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : हुड्डा साहब, क्या आपकी मैमोरी फॉरमैट हो गई है क्या आपको नहीं पता कि आपने 10 साल तक लोगों के साथ क्या किया है। (शोर एवं व्यवधान)

वॉक् आउट

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, बहुमत के आधार पर सरकार हमें दबा नहीं सकती। आप हमें नेम कर सकते हैं, सदन से बाहर कर सकते हैं लेकिन लोगों की आवाज हम दबने नहीं देंगे। जो भी आपका रवैय्या रहा है उसको देखते हुए हम सदन से वॉक आऊट करते हैं।

श्री अध्यक्ष: हुड्डा साहब, आपकी बात हो गई है, सारी बातें डिटेल में बता दी गई हैं फिर भी आप सदन से बाहर जा रहे हैं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, आप हमारी बात नहीं सुन रहे हैं इसलिए मैं सदन से वॉक आऊट करता हूं।

(इस समय कांग्रेस पार्टी के सदन में उपस्थित सदस्य श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा धान खरीद घोटाले की जांच कराने संबंधी बात न सुने जाने के विरोध में सदन से वॉक आऊट कर गये।)

विशेषाधिकार के प्रश्न का मामला उठाना

श्री करण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, मैंने श्री अनिल विज जी के खिलाफ एक प्रिविलेज मोशन का नोटिस दिया है क्योंकि श्री अनिल विज जी ने कल सदन को गुमराह किया था। फतेहाबाद की एस.पी. ने पब्लिक व्यू में यह कहा था कि सरकार शराब बिकवा रही है जिसमें भारतीय जनता पार्टी और इण्डियन नेशनल लोकदल के सदस्य शामिल हैं। वहां की एस.पी. ईमानदारी से अपना काम कर रही थी। विज साहब ने कल जानबूझकर उन तथ्यों को छुपाकर सदन को गुमराह किया है। आप मेरे प्रिविलेज मोशन को एडमिट करके उस पर विचार करें और मुझे इसका फेट बतायें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: दलाल साहब, आप बैठिये। जो दलाल साहब कह रहे हैं उनकी कोई भी बात रिकार्ड न की जाए। प्लीज आप बैठिये।

श्री करण सिंह दलाल: स्पीकर सर, ******

श्री महीपाल ढाण्डा: अध्यक्ष महोदय, आप विपक्ष के सदस्यों को बताईये कि जो भी बात सदन में रखनी है वह अच्छे ढंग से करें। सदन का समय बर्बाद न करें क्योंकि हरियाणा प्रदेश की अढ़ाई करोड़ की जनता यह सब देख रही है। इन लोगों ने सदन का तीन घण्टे का समय ऐसे ही बर्बाद कर दिया। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल इनकी हर बात का जवाब दे दिया है और सारी बात सुनकर ये आखिर में केवल मात्र अखबारों में फोटो खिंचवाने के लिए हा हा करते हुए सदन से बाहर निकल जायें तो क्या कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, आप इनको कहिये कि ये या तो सदन में तैयारी करके आयें या फिर सदन का समय खराब न करें।

श्री अध्यक्ष: यह बात ठीक है कि ये केवल मात्र अखबारों में फोटो खिंचवाने के लिए ऐसा कर रहे हैं।

श्री करण सिंह दलाल : स्पीकर सर, x x x

श्री अध्यक्ष: दलाल साहब, आप बैठिये, आपकी कोई बात रिकार्ड नहीं की जा रही है।

श्री मनीष ग्रोवर: स्पीकर सर, पिछले दस सालों से कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश में रही है और अब ये अपने आप को किसानों के हितैषी बताते हैं। जबकि पूरे हरियाणा के किसानों की जमीन कांग्रेस पार्टी के समय में रीयल एस्टेट को बेच दी थी। कांग्रेस पार्टी के सदस्य किसानों के नाम पर नकली आंसू बहा रहे हैं। पिछले दस सालों की कांग्रेस पार्टी के समय की आप जाँच करवाईये। ये पूंजीपतियों के हितैषी हो सकते हैं लेकिन किसानों के हितैषी नहीं हो सकते। किसी सरकार ने इतनी जमीनें नहीं बेची जितनी कांग्रेस पार्टी के समय में बेची गई थी।

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना

श्री जयप्रकाश: अध्यक्ष महोदय, मैंने कर्मचारियों को नियुक्त करने और पंजाब के समान वेतनमान देने के बारे में एक कालिंग अटैंशन मोशन दिया है। हरियाणा प्रदेश में आज जो आऊट सोर्सिंग प्रथा चल रही है या तो सरकार उसको कंट्रोल करना चाहिए या फिर पक्के तौर पर कर्मचारियों की भर्ती करनी चाहिए। मैंने यह बात माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी लाई थी कि ठेकेदार सरकार से तो ज्यादा पैसा ले लेते हैं लेकिन जिन कर्मचारियों को आऊट सोर्स पर रखते हैं उनको कम पैसे देते हैं। जिन कर्मचारियों को रखते हैं उनकी तीन महीने में छुट्टी कर देते हैं।

श्री अध्यक्ष: जयप्रकाश जी, यह तत्कालिक विषय नहीं है इसलिए आपकी कालिंग अटैंशन मोशन को मैंने डिस अलाऊ कर दिया है इसलिए अब आप बैठ जाईये।

श्रीमती संतोष चौहान सारवान के जन्म दिन पर बधाई

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): अध्यक्ष महोदय, सदन में जिस प्रकार का वातावरण रहता है उस वातावरण को ठीक करने के लिए कभी कभी बीच में यदि कोई अच्छा सुझाव आता है तो उस पर भी अमल कर लेना चाहिए। मेरे मन में एक बात आई है कि जिन दिनों में हाऊस चल रहा होता है तो सदन में अच्छा व सुखद वातावरण भी बनना चाहिए यदि किसी सदस्य का जन्म दिन अथवा उससे संबंधितद कोई मंगल प्रसंग हो तो उसे बधाई देनी चाहिए। मुझे यह जानकारी मिली है कि हमारी माननीय विधायिका श्रीमती संतोष चौहान सारवान का आज जन्मदिवस है जिसके लिए मैं उनको सदन की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। (थंपिंग)

विशेषाधिकारों के प्रश्न की सूचना

श्री करण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, मेरी प्रिविलेज मोशन के बारे में स्थिति स्पष्ट करें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: दलाल साहब, आपका यह प्रस्ताव सैशन शुरू होने के बाद आया है जो अभी विचाराधीन है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, ये माननीय साथी अकेले ही चलते हैं। ये किसी के साथ नहीं हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, श्री करण सिंह दलाल जी किसी के भी साथ नहीं हैं। न तो ये श्री भूपिन्द्र सिंह हुड्डा जी के साथ हैं और न ही श्रीमती किरण चौधरी जी के साथ हैं। (शोर एवं व्यवधान) जब हुड्डा साहब सदन छोड़कर चले गए तब इन्होंने उनका साथ नहीं दिया। जब श्रीमती किरण चौधरी सदन से बाहर निकाली गई तब भी इन्होंने उनका साथ नहीं दिया। इनकी तो बस अपनी डफली, अपना राग है। (हँसी)

श्री करण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, हरियाणा की जनता इनको माफ नहीं करेगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री तेजपाल सिंह तँवर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से श्री अभय सिंह चौटाला जी से अपील करता हूँ कि जब वे पूरे प्रदेश के विकास के लिए काफी मेहनत करते हैं तो सदन में भी उनको अच्छी-अच्छी बातें करनी चाहिएं थीं। सदन में सकारात्मक बातें न करके यदि हम ऐसे ही सदन से वॉक-आउट करेंगे तो अच्छी बात नहीं है। इसी प्रकार से श्री करण सिंह दलाल जी हमारे बहुत माननीय विधायक साथी हैं तथा वे इस सदन में कई बार चुनकर आए हैं। ये भी ऐसा ही व्यवहार इस सदन में करते हैं। श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी, जिन्होंने पिछले 10 वर्ष इस प्रदेश में अपनी हुकूमत चलाई है, उनका भी ऐसा ही रवैया देखने में आया है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि सदन में सोच-समझकर ही बात कहनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान) गलत बात कतई नहीं सुनी जाएगी चाहे वह बात कोई भी कहे। (शोर एवं व्यवधान) आप लोगों ने बहुत दिनों तक इस प्रदेश में कार्य किया है, अब भारतीय जनता पार्टी को अपना काम करने दीजिए। बीच में अड़ंगा मत डालिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जय प्रकाश: अध्यक्ष महोदय, कृपया माननीय सदस्य को समझाएं कि यह हरियाणा विधान सभा का सदन है यह कोई गाँव की चौपाल नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: तेजपाल जी, आपकी बात कम्पलीट हो चुकी है। अब आप बैठिए। (शोर एवं व्यवधान)

नाम लिए गए सदस्यों को वापस बुलाने बारे निवेदन

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, आज आपको इस विधान सभा के माननीय स्पीकर बने हुए एक वर्ष का समय हो गया है। इससे पहले आपने विधान सभा के 3 सत्र चलाए हैं और जहाँ कहीं भी प्रदेश से जुड़े हुए जो मुद्दे थे, तीनों सत्रों के दौरान विपक्ष के लोगों ने अपनी तरफ से उन पर चर्चा की तथा आपने भी सबको अपनी बात कहने का बहुत समय दिया। यदि कभी ऐसे हालात भी सदन में पैदा हुए कि किसी को मजबूरन सदन के वैल में आना पड़ा तो भी आपने बड़ी दरियादिली दिखाकर, संयम के साथ उस परिस्थिति को संभालने का काम किया है। आज एक ऐसा मुद्दा सदन में आया है जिसके लिए मैं सदन के नेता से भी रिक्वैस्ट करूंगा कि धान खरीद का जो मामला है उसको लेकर कांग्रेस के साथियों ने चर्चा कराने की मांग की और इस घोटाले की इन्कवायरी करवाने की मांग की। सरकार की तरफ से इस बारे में कोई ठोस जवाब न आने की वजह से उनको मजबूरन वैल में आना पड़ा। कांग्रेस की पिछले 10 सालों में यह परम्परा रही है कि विपक्ष को अपनी बात नहीं रखने दी जाती थी। भारतीय जनता पार्टी के दो चार साथी जो उस वक्त हमारे साथ थे और आज यहां बैठे हुए हैं वे इस बात को जानते हैं। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के पिछले 10 सालों में यदि प्रदेश के लोगों के साथ कहीं कोई जबरदस्ती हो रही थी या अन्याय हो रहा था, कहीं सरकार किसी की जमीन को जबरदस्ती ले रही थी और हमने उस विषय को उठाने की कोशिश की तो स्पीकर महोदय दूसरी तरफ मुंह करके बिना किसी को देखे नेम कर देते थे। हम बाहर बैठकर अपनी असैम्बली चलाया करते थे। हम बाहर बैठकर प्रैस के माध्यम से अपनी बात लोगों तक पहुंचाने का काम करते थे। अध्यक्ष महोदय, हमें आपसे यह उम्मीद नहीं थी कि आप भी इस तरह से सबको नेम करके बाहर कर देंगे। अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से सदन के नेता से रिक्वैस्ट है कि आप उस परम्परा को आगे न बढ़ाएं और मैं प्रार्थना करता हूं कि उन नेम किये गये साथियों को सदन में बुलाया जाए ताकि वे प्रदेश के हितों की बात यहां कह सकें। (विघ्न)

श्री करण सिंह दलाल: अभय सिंह जी, आपको यह कहना चाहिए कि सरकार यदि धान की खरीद के घोटाले की इन्कवायरी करवाने के लिए तैयार है तो उनको बुलाया जाए। (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, सैशन का आज आज का दिन बचा है इसलिए कांग्रेस के साथियों को बुलाया जाए ताकि वे इस चर्चा में हिस्सा ले सकें और अपनी बात कह सकें। मैं फिर से यही कहूंगा कि अगर आप भी इसी परम्परा को आगे बढ़ाएंगे तो कांग्रेस के शासनकाल और आपके इस शासनकाल में लोगों को कहीं कोई अंतर नजर नहीं आएगा। मैं सदन के नेता से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के साथियों को दोबारा से बुलाने के लिए स्पीकर साहब को कहें। (विघ्न)

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): अध्यक्ष महोदय, हमने पिछले साल भर का अपना कार्यकाल देखा है। मैं समझता हूं कि समय समय पर चाहे हमारे विपक्ष के मित्र हों, चाहे हमारे अन्य पार्टियों के नेता हों या अन्य सदस्यगण हों, सभी जनता से मिलते हैं और सबकी जनता से बातचीत होती है, मीडिया से भी उनकी बातचीत होती है। मैं बड़े संतोष से इस बात को व्यक्त करता हूं कि हमने एक साल में जो किया है उसमें हमने कुछ नई परम्पराएं बनाई हैं, कुछ रास्ते तय किए हैं और कुछ नए रास्ते भी खोजें हैं। आज तक की जितनी भी समस्याएं हैं हमने उनका हल निकालने के लिए आउट आफ दि बाक्स नई नई चीजों पर विचार किया है। अध्यक्ष महोदय, हमारी नियत एकदम स्पष्ट है और हमने जो मार्ग तय किया है हमें उस पर चलना है। मैं एक बात के लिए हाउस को आश्वस्त करना चाहूंगा कि जीरो टोलरैंस करप्शन की जो बात हमने कही है हमें उस पर चलना है। पारदर्शिता के नाते से जो हमने अपनी बात कही है हम उस पर चलेंगे। जो हम करेंगे वही बताएंगे और जो कर चुके हैं वही बताएंगे और जो आगे करने वाले हैं वही बात हम आपके सामने रखेंगे तथा इसके अलावा आलतू फालतू की बात नहीं करेंगे। हम अंत्योदय के दर्शन को आगे रखते हुए गरीब की, किसान की और मज़दूर की, समाज के सभी वंचित वर्गों की, एस.सी. वर्ग की और बी.सी. वर्ग की सभी समस्याओं को दूर करने का हम प्रयास करेंगे लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम अपनी किसी मांग को मनवाने के लिए दबाव की राजनीति करें। लोकतंत्र में दबाव काम करता होगा लेकिन परम्पराओं को ठीक करने के लिए दबाव तभी ठीक रहता है जब उसमें कोई सत्यता हो। अगर कहीं कोई बात है ही नहीं और हमने यह स्टैंड ले लिया कि हमने तो यह सोचा इसलिए यही होना चाहिए और अगर वह नहीं होगा तो हम नहीं मानेंगे। यह सिर्फ और सिर्फ "मैं न मानूं" वाली बात है। मैं समझता हूं कि ऐसा किसी को भी नहीं करना चाहिए। मैंने यह बात कल भी कही थी और मैं आज फिर इस बात को कह रहा हूं कि जहां पर किसी भी प्रकार की गड़बड़ हुई हो अगर हमारे सामने कोई किसी प्रकार का तथ्य आयेगा तो हम उसकी हर प्रकार से जांच करवाने के लिए तैयार हैं। सभी विभागों का अपना-अपना काम होता है। इस मामले में भी सम्बधित विभाग ने अपना काम किया है। विभाग ने प्रक्योरमैंट करवाई और मण्डियों में यह मामला सामने आया। इस मामले में किसानों, आढ़तियों, मिलर्ज़, सरकारी विभागों और एफ.सी.आई. सभी का अहम रोल है। इस सम्बंध में केन्द्र सरकार की हिदायतों का भी हमें पालन करना होता है। इसके बाद सरकार को भी अपने स्तर पर देखना होता है कि वास्तव में क्या ठीक है और क्या गलत है। अगर हमें कहीं ये किसी प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उस बारे में सरकार अपने स्तर पर जांच करवाती है। अगर सरकार की व्यवस्था अपनी भूमिका को छोड़कर किसी दूसरी भूमिका पर चली जायेगी तो फिर सरकार का रोल खत्म हो जाता है। इस मामले में स्थिति यह है कि आज न तो किसान के

पास ही धान है और न ही मण्डियों में धान है बल्कि आज वह धान राईस मिलर्ज़ के पास पहुंच गया है इसलिए मैंने यह कहा है कि मिलर्ज़ के पास इस समय जो धान पड़ा है उसकी फिजीकल वैरीफिकेशन करवाई जाये। इस मामले में आरोप का एक मुख्य बिन्दू यह है कि मण्डियों में धान खरीद की फर्जी बिलिंग की गई है। इस फर्जी बिलिंग की सच्चाई जानने का एक ही रास्ता है कि हम मिलर्ज़ के स्टॉक की फिजीकल वैरीफिकेशन करवायें। जैसा मैंने बताया कि हमने गेहूं के स्टॉक की भी फिजीकल वैरीफिकेशन करवाई थी जिसमें हमें 4-5 जगहों पर गड़बड़ मिली थी। उस समय हमने दोषियों के खिलाफ एफ.आई.अर. दर्ज़ करवाकर आगे की कार्यवाही की थी। (विघ्न) मैं इस बात को इसलिए दोहरा रहा हूं कि विपक्ष के माननीय सदस्यों की तरफ से बार-बार यही सवाल उठाया जा रहा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि कल वाले विषय को हमें यहीं पर समाप्त कर देना चाहिए और आज आगे की कार्यवाही के बारे में सोचना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखकर मैं माननीय अध्यक्ष महोदय जी से अपील करूंगा कि वे विपक्ष के सभी साथियों को सदन में वापिस बुला लें क्योंकि अगर सभी पार्टियों के सभी माननीय सदस्य हाऊस में रहेंगे और हाऊस की कार्यवाही में अधिक से अधिक भागीदारी करेंगे तो उससे एक अच्छा संवाद होगा जिससे बहुत अच्छी चीज़ें निकलकर सामने आयेंगी। (विघ्न) इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने समूचे विपक्ष के माननीय साथियों की मांग को मानते हुए मिलर्ज़ के स्टॉक की फिजीकल वैरीफिकेशन करवाने का निर्णय लिया है। हमने समूचे विपक्ष की बात को मानते हुए ही यह निर्णय लिया है कि हम सम्बंधित विभाग के एफ.सी.आर. की देखरेख में मिलर्ज़ के स्टॉक की फिजीकल वैरीफिकेशन करवायेंगे। मिलर्ज़ के धान की स्टॉक की फिजीकल वैरीफिकेशन के दौरान जहां भी गड़गड़ मिलेगी उन दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी और किसी भी सूरत में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जायेगा। मिलर्ज़ की धान के स्टॉक की फिजीकल वैरीफिकेशन के दौरान अगर हमारे सामने कोई ऐसे तथ्य भी आयेंगे जिनके अंदर बहुत बड़ी जानकारी छिपी होगी हम उसकी भी बड़ी से बड़ी जांच करवायेंगे। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं पुन: माननीय अध्यक्ष महोदय से यह अपील करता हूं कि वे विपक्षी के सभी माननीय साथियों को सदन में वापिस बुला लें। हम तो यही चाहते हैं कि हम सभी आपस में मिल बैठ कर पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर प्रदेश के सभी वर्गों के हित में अच्छे से अच्छा संवाद करें। हम यह मानते हैं कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि हमारे द्वारा हमेशा ज्यादा से ज्यादा शोर शराबा करने से ही मसले हल होते हैं। वास्तव में खामोशी का भी अपने आप में बहुत बड़ा महत्व होता है। हम खामोश हैं इस बात का कोई विपरीत अर्थ कदापि न निकाला जाये क्योंकि हमारी खामोशी में भी पूरे हरियाणा प्रदेश के सभी वर्गों का सर्वोच्च हित छिपा हुआ है। खामोशी के महत्व के ऊपर मैं आपके सामने दो लाईनें अर्ज़ करना चाहूंगा :-

"खामोशी से भी नेक काम होते हैं,

हमने देखा है पेड़ों को छाया देते हुए।"

जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पेड़ कभी बोलते नहीं हैं लेकिन वे सभी को बिना किसी भेदभाव के छाया देते हैं।

वॉक-आऊट

श्री करण सिंह दलाल : स्पीकर सर, आप स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ दिए गए मेरे प्रिविलेज मोशन को एडमिट नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं इसके विरोध में सदन से वॉक-आऊट करता हूं।

(इस समय इंडियन नैशनल कांग्रेस के सदन में उपस्थित सदस्य श्री करण सिंह दलाल उन द्वारा स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज के खिलाफ दिए गए प्रिविलेज मोशन को एडमिट न किए जाने के विरोध में सदन से वॉक-आऊट कर गये।)

धान खरीद घोटाले का मामला उठाना

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : स्पीकर सर, मैं आपकी इज़ाजत से डॉ. अल्लामा इकबाल की दो पंक्तियां यहां पर ब्यान करना चाहता हूं :-

"इकबाल बड़ा उपदेशक है मन बातों से मोह लेता है,

गुफ्तार का गाज़ी बन तो गया, किरदार का गाज़ी बन न सका।"

यहां पर गाज़ी का मतलब योद्धा से है। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री बातों के योद्धा तो बन गये हैं लेकिन उनके लिए अभी किरदार का योद्धा बनना बाकी है। जब मनोहर लाल जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो प्रदेश के हर व्यक्ति के मन में उनके पुराने जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करने की जिज्ञासा होती है। लोग यह जानना चाहते हैं हमारे मुख्यमंत्री का अब तक का जीवन कैसा रहा। जब लोगों को यह पता चला कि माननीय मनोहर लाल जी वर्ष 1970 से 1975 के आस-पास आर.एस.एस. से जुड़ गये थे और तभी से माननीय मुख्यमंत्री देश और समाज की निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे थे। इस प्रकार से इन्होंने लगभग 40-45 साल तक आर.एस.एस. कार्यकर्ता के रूप में देश और समाज की निस्वार्थ भाव से सेवा की है। इससे हमने यह बात तो निर्विवाद रूप से स्वीकार कर ली है कि इन्होंने देश और समाज की सेवा के लिए एक त्यागी का जीवन जिया है। यह अलग बात है कि चाहे मैं आर.एस.एस. की विचारधारा से सहमत होऊं या न होऊं। जब माननीय मनोहर लाल जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी के तौर पर हरियाणा प्रदेश की बागडोर सम्भाली तो हमें यह भरोसा हो गया था कि आज हमें एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जो पुरानी सरकारों के समय में किसान और मज़दूर सहित प्रदेश के दूसरे वर्गों का शोषण हुआ है अर्थात उनके साथ जो अन्याय हुआ है उससे इनको मुक्ति मिलेगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने यहां पर किसानों के साथ हुए धान घोटाला की उच्चस्तरीय जांच की मांग की थी। (शोर एवं व्यवधान) हम यह चाहते हैं कि आप इसकी निष्पक्ष जांच करवायें। यह हमारी माननीय स्पीकर साहब के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण,इस विषय पर काफी विस्तृत चर्चा हो चुकी है। आपके विधायक दल के नेता ने इस बारे में पूरी डिटेल में चर्चा की है। (शोर एवं व्यवधान)

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : अध्यक्ष महोदय, पहले जो साथी नेम करके बाहर भेजे गये हैं, उनको अन्दर हाउस में बुलाया जाये। इसके अलावा मेरा यह भी कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय धान खरीद घोटाले की हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच करवायें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इस विषय पर पहले ही काफी चर्चा हो चुकी है, हमने चर्चा में कोई कमी नहीं रहने दी है। जिस प्रकार से पिछली सरकार के बारे में कहा गया है कि उन्होंने कभी चर्चा नहीं होने दी लेकिन हमने चर्चा में कोई कमी नहीं छोड़ी है। मेरे ख्याल से यह एक रिकॉर्ड होगा कि हमने एक ही इशू पर लगभग 4 घंटे चर्चा करवाई है। इसके बावजूद भी इल्जाम लगाये जा रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलाल : सर, इल्जाम आप पर नहीं है, इल्जाम तो सरकार पर है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, यह बात ठीक नहीं है। न ही तो स्पीकर और न ही सरकार यह चाहती है कि हम यह सदन आपके बगैर चलायें। सरकार की सोच यही है कि अगर आप अच्छा सुझाव देते हैं तो सरकार उसको मानने के लिए तैयार है लेकिन वह सुझाव जंचना भी चाहिए। दूसरी बात यह है कि रूल्ज ऑफ प्रोसीजर एण्ड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली के रूल 103 में यह प्रावधान है कि आपने जो विषय एक बार उठा लिया आप उसको दोबारा से नहीं उठा सकते। इस विषय पर कल पूरी चर्चा हो चुकी है इसलिए आज दोबारा से इस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। आपके सदस्यों को बुलाने में हमें कोई ऐतराज नहीं है। हम तो चाहते हैं कि पूरा हाउस बैठ कर किसी विषय पर चर्चा करे। मैं इजाजत देता हूँ कि कांग्रेस के साथियों को वापिस बुला लिया जाये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, बुलाने से पहले हमारी यही शर्त है कि अगर इन्कवायरी करवाओ तो हम आयें धरना नहीं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, मैं भी शर्त के साथ ही कह रहा हूँ कि अगर आप इन्कवायरी की शर्त के साथ अन्दर आना चाहते हैं तो आप बाहर ही रहें। हम इस शर्त पर वापिस नहीं बुलायेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री सुभाष बराला : अध्यक्ष महोदय, यह एक खुली किताब की तरह है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस स्पष्टता के साथ सारा मामला हाउस के सामने रखा है उसके बाद इस पर इन्कवायरी करवाने का कोई औचित्य नहीं है।

ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे श्री अभय सिंह यादव, विधायक द्वारा राज्य के वैज्ञानिक, व्यवहारिक और लाभकारी फसलों को उगाने के लिए सरकार द्वारा प्रभावशाली हस्तक्षेप करने बारे ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-6 प्राप्त हुई है। मैंने इसको स्वीकार कर लिया है। अब श्री अभय सिंह यादव अपनी सूचना पढ़ें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, हमने आपको बहुत सारे कालिंग अटैन्शन नोटिस दिये थे आप उनका फेट हमें बता दीजिए। हमने बिजली की बढ़ी हुई दरों के बारे में कालिंग अटैन्शन नोटिस दिया है उसका क्या हुआ? इसके अलावा फतेहाबाद-भूना रोड और हिसार रोड पर बाई-पास के लिए जमीन अधिग्रहण को लेकर किसान धरने पर बैठे हुये हैं। मुख्यमंत्री जी, मैं यह मामला आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। यह मामला कैथल वाले मामले जैसा ही है जिसमें कैथल में किसान तितरम मोड़ पर इसलिए धरने पर बैठे हुये थे क्योंकि किसानों का मुआवजा साथ लगती जमीन से कम था। मुख्यमंत्री जी, यह भी उसी तरह का इशू है जिसमें उनको यहाँ धरने पर बैठने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उस समय आपने दरियादिली दिखा कर उनकी जमीन के भाव बराबर किये थे। इसमें भी आपको तुरन्त उन किसानों को राहत देनी चाहिए और उनके भाव भी साथ लगती उस जमीन के बराबर दिलवाये जायें जिसके भाव उनसे ज्यादा हैं और उन किसानों को संतुष्ट किया जाना चाहिए। इसी प्रकार से हमने सरकारी कर्मचारियों के धरना-प्रदर्शन आदि पर सरकार द्वारा रोक लगाए जाने पर कालिंग अटैन्शन नोटिस दिया हुआ है, उस पर आपने क्या निर्णय किया है आप उसके बारे में भी बता दें ?

श्री अध्यक्ष : वह मैंने नामंजूर कर दिया है।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से हरियाणा रोडवेज के लिए आपने जो नई पॉलिसी बनाई है उसके बारे में भी हमने कालिंग अटेंशन नोटिस दे रखा है उसके बारे में भी बता दें कि आपने उस पर क्या निर्णय लिया है? इसी तरह कानून व्यवस्था के बारे में भी हमने आपको एक कालिंग अटेंशन मोशन दिया था आप उसके बारे में भी हमें बताएं कि उसके लिए आपने क्या फैसला किया और आवारा पशुओं के बारे में भी आपको हमने एक कालिंग अटेंशन मोशन दिया था उस पर भी हमने आपसे चर्चा कराने की बात की थी उस पर आपने क्या किया है आप हमें इसके बारे में विस्तार से बताएं क्योंकि हमने कल भी आपको जो कालिंग अटेंशन मोशन दिये थे उनमें से आपने हमें केवल मात्र एक ही कालिंग अटेंशन मोशन पर बोलने के लिए अलाऊ किया है।

श्री अध्यक्ष : अभय जी, नियम के मुताबिक एक दिन में केवल दो कालिंग अटेंशन लगा सकते हैं उनमें एक आपका लगाथा है और एक कांग्रेस पार्टी का लगाया है।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आज भी हमने आपको जो जरूरी मुद्दे हैं उन पर ही कालिंग अटैंशन मोशन दे रखे हैं।

श्री अध्यक्ष : अजय जी, आपका प्रदेश में आवारा पशुओं के बारे में जो कालिंग अटेंशन मोशन है उसको हमने लगा दिया है।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, इसमें जो बिजली का मामला है वह बहुत अहम मुद्दा है। बिजली का जो ईशू है वह कोई छोटाईशू नहीं है। हम इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री जी से भी मिले थे। हमने इनके सामने बताया था कि आज हरियाणा प्रदेश में या पूरे देश में डैमेस्टिक बिजली के सबसे ज्यादा रेट अगर कहीं पर हैं तो वह हरियाणा प्रदेश में है जहां पर आपने चार थर्मल पावर की अलग-अलग यूनिट्स लगा रखी हैं जिन पर सरकार ने हजारों करोड़ रूपया खर्च कर रखा है और वहां जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको हजारों करोड़ के हिसाब से तनख्वा दी जा रही है। आपने वह सारे के सारे थर्मल पावर प्लांट बन्द करके केवल मात्र अपने किसी चहेते व्यक्ति से सस्ती बिजली खरीद कर हरियाणा के उपभोक्ताओं को महंगी बिजली देने का काम किया है। हम इसी विषय के ऊपर चर्चा करना चाहते हैं। हमने इसी विषय को लेकर पहले मुख्यमंत्री जी से भी बात की थी। मुख्यमंत्री जी को स्वयं अधिकारियों ने गुमराह किया हुआ था। इन्होंने हमें यह कहा था कि 8 प्रतिशत बिजली के रेट बढ़े हैं लेकिन जब इन्होंने उसकी डिटेल में जाकर देखा तो स्वंय इनके सामने आया था कि सच में ही 28 से 30 प्रतिशत बिजली के रेट बढ़े हुए है और जो अब भी वैसे ही बढ़े हुए बिल आ रहे हैं लोगों का एक पैसा भी वापिस नहीं हुआ है। इस बात को लेकर हमारी पार्टी ने 23 तारीख से लगातार अनिश्चित कालीन धरना शुरू कर रखा है लेकिन अब तक सरकार के किसी भी व्यक्ति ने जाकर इस विषय के बारे में चर्चा नहीं की तो सरकार की इसमें क्या मंशा है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए ही हो इसी पर हमने आपको कालिंग अटेंशन मोशन दे रखा है उस पर चर्चा होनी चाहिए क्योंकि यह बहुत बड़ा मुद्दा है। आज जहां हरियाणा प्रदेश में आपने जो पावर की चार यूनिट्स लगा रखी हैं उससे होना तो ये चाहिए था कि कल को हम सरप्लस बिजली पैदा करके दूसरी स्टेट को देते। लेकिन आज चारों की चारों यूनिट्स बन्द हैं। अगर कल को आप उन यूनिट्स को चालू भी

करोगे तो फिर हजारों करोड़ रूपये खर्च होंगे। इसलिए हम सरकार से पूछना चाहते थे कि जो ये यूनिट्स बन्द है उनके बन्द होने के क्या कारण हैं और बिजली के रेट क्यों बढ़े, क्यों उन उपभोक्ताओं के ऊपर बिजली के बढ़े हुए बिलों की मार पड़ी जो लगातार बिजली के बिल भर रहे थे। आज उन लोगों को मजबूर होकर सरकार के खिलाफ लामबन्द होना पड़ रहा है आज हर व्यक्ति इस बात को सोचने पर मजबूर हो गया है कि जहां मैं सरकार के खाते में अपना ईमानदारी से पैसा जमा कराकर, अपना बिजली का बिल देकर और कम बिजली लेकर के भी पूरा बिल देने का काम करता था। आज उसके सामने ये सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो गई कि वह किस तरह से अपना बिजली का बिल भरेगा। क्योंकि किसान के ऊपर तीन फसलों की मार पड़ चुकी है।

श्री अध्यक्ष : अभय जी, आपने काफी बता दिया है।

श्री अभय सिंह चौटाला : नही सर, काफी नही। जो बात है उस ईशू पर मैं आपसे चर्चा तो करना चाहूंगा या फिर आप यह कह दो कि आप इस पर चर्चा नहीं कर सकते।

श्री अध्यक्ष : मैं आपको यह बता देता हूँ कि आपके कालिंग अटैंशन मोशन को नामंजूर क्यों किया।

श्री अभय सिंह चौटाला : आप इस पर चर्चा करव दो। आपको इस पर चर्चा कराने में क्या दिक्कत है।

श्री अध्यक्ष : मैं यह बता देता हूं कि इसको नामंजूर क्यों किया गया।

श्री अभय सिंह चौटाला : आपने तो इसको डिसअलाऊ कर दिया लेकिन यह विषय पूरे प्रदेश का है यह केवल मेरा अकेले का कोई ईशू नहीं है और न ही कोई पार्टी का ईशू है। (शोर एवं व्यवधान) आज पूरा प्रदेश इस बात से दुखी है। हर व्यक्ति इस बात को लेकर दुखी है।

श्री अध्यक्ष : आप मुझसे ही जानकारी मांग रहे हैं और मुझे ही बोलने नहीं दे रहे। मैं आपको इसके बारे में जानकारी दे देता हूं। बढ़े हुए बिजली शुल्क के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है यह हरियाणा विद्युत नियायक आयोग के अन्तर्गत आता है जो एक स्वतंत्र संस्था है। यह संस्था हरियाणा सरकार के नियन्त्रण में नहीं आता। सॉफटवेयर में आई खराबी के कारण आए गलत बिलों को ठीक करने के लिए सभी एस.डी.ओज ऑफिस में विशेष काऊंटर खोले गये हैं जहां गलत बिलों को ठीक किया गया है। पावर वितरण कम्पनी ने यह निर्णय भी लिया है कि अगर किसी भी ग्राहक से अतिरिक्त राशि शुल्क वसूल की गई है वह राशि समायोजन के माध्यम से वापिस की जाएगी। बढ़े हुए बिल का बकाया अब आगामी पांच बिलों में समायोजित किया जाएगा। उन बिलों पर कोई अतिरिक्त शुल्क लागू नहीं किया जायेगा।

श्री अभय सिंह चौटाला: स्पीकर सर, हमने जवाब आपसे नहीं मांगा।

श्री अध्यक्ष: अभय सिंह जी, मैंने आपको कारण बताया है कि इस कारण से आपके इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को डिसअलाऊ किया गया है।

श्री सुभाष बराला: अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि एक महत्वपूर्ण और करण्ट विषय पर श्री अभय सिंह यादव जी बोलने का मौका दिया जाए।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, आप यह कह रहे हैं कि बिजली के रेट बढ़ाना सरकार की परव्यू में नहीं आता बल्कि यह तो आयोग का काम है। अध्यक्ष महोदय, आयोग को भी सरकार ही बनाती है। सरकार ही यह तय करती है कि किसको आयोग का चेयरमैन बनाना है और किसको आयोग का मैम्बर बनाना है। केवल मात्र यह बात कहकर आप लोगों को गुमराह नहीं कर सकते और सरकार यह बात कहकर अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती और न ही अपना पीछा छुड़ा सकती है कि आयोग ने बिजली के रेट बढ़ाये हैं। जब हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो हमें यह बताया था कि यह तो पिछली सरकार का निर्णय है, पिछली सरकार ने ये बिजली के रेट तय किये थे और पिछली सरकार के निर्णय की वजह से हमने बिजली के रेट बढ़ाये हैं। उस वक्त मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से यह कहा था कि क्या पिछली सरकार ने जितने भी निर्णय लिये थे क्या वे सारे आपने लागू कर दिए ? केवल मात्र आपको यही एक मुद्दा अच्छा लगा जिसकी वजह से आपको लगा कि बिजली के रेट बढ़ाने से आपकी सरकार को रेवेन्यू आयेगा और किसान की और उपभोक्ता की जेब कटेगी। केवल मात्र आम जनता की जेब काटने के लिए आपने इस निर्णय को अडाप्ट कर लिया। बाकी के जो सारे फैसले थे उनको लागू नहीं किया अगर सारे निर्णय अडाप्ट करने थे तो बुढ़ापा पेंशन को भी तो 1500 रूपये प्रति माह करना चाहिए था। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर सदन में चर्चा करवाई जाए।

श्री अध्यक्ष: अभय सिंह जी, मैंने आपके ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को डिसअलाऊ कर दिया है। इसलिए अब आप अपनी सीट पर बैठ जाईये।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश का एक सबसे अहम मामला था। बिजली के रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब तो गाँवों में लोगों ने एक सामूहिक निर्णय ले लिया है कि आगे से हम बिजली के बिल नहीं भरेंगे।

श्री अध्यक्ष: अब तो सभी लोग कह रहे हैं कि हम बिजली के बिल भरेंगे। मैंने सभी माननीय सदस्यों को सदन में बोलने का मौका दिया है। कल विपक्ष के 21 सदस्यों को बोलने का मौका दिया जबकि सत्ता पक्ष का कोई माननीय सदस्य नहीं बोला। हमने सभी विपक्षी सदस्यों को बोलने का पूरा मौका दिया है। अभय सिंह जी अब आप अपनी सीट पर बैठ जाईये।

श्री सुभाष बराला: अध्यक्ष महोदय, जिन लोगों ने विपक्ष में रहते हुए हरियाणा की जनता को गुमराह किया था। हरियाणा की जनता से यह कहा था कि हमारा राज आयेगा उस समय बिजली के बिल भरने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि न तो मीटर होगा और न ही मीटर रीडर होगा। जनता को यह बात कहकर गुमराह करने वाले आज किस मुँह से बिजली की व्यवस्था की बात करते हैं। हरियाणा प्रदेश की जनता ने इनको बता दिया कि हरियाणा की जनता गुमराह होने वाली नहीं है। जनता ने इनको आईना दिखा दिया है। जब इनेलो पार्टी विपक्ष में थी उस समय इनेलो के नेताओं ने जनता को गुमराह किया था उसके बाद जब इनेलो पार्टी की सरकार बनी उस समय तत्कालीन सरकार ने जनता के कितने बिल माफ किये थे?

श्री अध्यक्ष: अभय सिंह जी, जब मैंने इसके बारे में स्पष्ट निर्णय दे दिया और आपको बता दिया कि यह कालिंग अटैंशन डिसअलाऊ कर दी गई है तो फिर उस पर सदन में चर्चा कैसे हो सकती है ? अब इस पर चर्चा नहीं हो सकती इसलिए अब आप बैठ जाईये।

(इस समय इण्डियन नेशनल लोकदल पार्टी के सदन में उपस्थित सभी सदस्य (श्री अभय सिंह चौटाला, श्री मक्खन लाल सिंगला, श्री हरिचन्द मिड्ढा और श्रीमती नैना सिंह चौटाला को छोड़कर) हाउस की वैल में आ गये और जोर जोर से बोलने एवं नारेबाजी करने लगे ।)

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु): अध्यक्ष महोदय, इतना महत्वपूर्ण मुद्दा सदन में चर्चा के लिए डाक्टर अभय सिंह यादव को दिया है। यह किसानों के हित का मुद्दा है। मैं विपक्ष के साथियों से निवेदन करूंगा कि वे किसानों की राजनीति लम्बे समय तक करते रहे। किसानों के इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर विपक्ष के साथियों को भी सुझाव देने चाहिए क्योंकि यह तो किसानों के लाभ के लिए मुद्दा है। डाक्टर अभय सिंह यादव जी का जो मुद्दा है वह भविष्य में हरियाणा की कृषि को और किसानों की व्यवस्था को किस प्रकार से सुधारा जाए उसके बारे में है। विपक्ष के सदस्य इस चर्चा में अपने सुझाव दें और इस चर्चा में भाग लें। हर बार नकारात्मक विषय लेकर शोर मचाना और केवल अखबार में फोटो खिंचवाना इसके अतिरिक्त तो विपक्ष के सदस्यों की राजनीति समाप्त हो गई है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री अभय सिंह चौटाला जी, अपनी सीट पर बैठ चुके हैं, इस बारे में शायद आपको पता नहीं चला है। (शोर एवं व्यवधान) कृपया आप सभी माननीय सदस्य भी अपनी-अपनी सीट पर चले जाएं। (शोर एवं व्यवधान) क्या आप लोगों की यह जिद्द है कि आज आपको नेम होना है। (शोर एवं व्यवधान) पिछले 10 वर्षों में आप सभी माननीय सदस्यों ने नेम होने का आनंद खूब उठाया है। (शोर एवं व्यवधान) अब आप ऐसा क्यों कर रहे हैं ? (शोर एवं व्यवधान) हम किसी भी माननीय सदस्य को बिल्कुल भी नेम नहीं करना चाहते हैं। (शोर एवं व्यवधान) कृपया आप सभी अपनी सीटों पर जाकर बैठिए। इस सदन में इस समय 3 गंभीर मुद्दे चर्चा में हैं जो किसानों से जुड़े हुए हैं। (शोर एवं व्यवधान) मैंने 2 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगा दिए हैं। (शोर एवं व्यवधान) मैंने कहा था कि इस पर विचार करूँगा। इसको मैंने विचार के लिए रखा था। (शोर एवं व्यवधान) कृपया आप ऐसा न करें। कृपया आप सभी अपनी सीटों पर जाकर बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान) मैंने ऐसा कब कहा था कि इसको मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के रूप में स्वीकार कर लिया है। (शोर एवं व्यवधान) मैंने धान के विषय में कहा था कि उसको ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में कन्वर्ट कर दिया है। उसको मैंने रख लिया है। मैंने कहा था कि इस पर पूरी चर्चा करवा देंगे। (शोर एवं व्यवधान) मैंने दोनों विषयों को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में कन्वर्ट कर दिया है। (शोर एवं व्यवधान) इसके बारे में मैंने नहीं कहा है। (शोर एवं व्यवधान) मैंने कब कहा है कि मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया है। (शोर एवं व्यवधान) मैंने कन्वर्ट नहीं किया है। आपका ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आया था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री नसीम अहमद: अध्यक्ष महोदय, कृपया आप इस पर चर्चा करवा लीजिए, इसमें क्या फर्क पड़ता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री नसीम अहमद जी, मैं आपको वार्न करता हूँ। (शोर एवं व्यवधान)

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल: अध्यक्ष महोदय, ... (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: ढुल साहब, मैं आपको वार्न करता हूँ। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जाकिर हुसैन: अध्यक्ष महोदय, ... (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जाकिर हुसैन जी, मैं आपको वार्न करता हूँ। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणबीर सिंह गंगवा: अध्यक्ष महोदय, ... (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री रणबीर गंगवा जी, मैं आपको वार्न करता हूँ। (शोर एवं व्यवधान)

आप सभी माननीय सदस्य, नरम भी हैं और सख्त भी हैं। इसीलिए मुश्किल पैदा हो रही है। आप एक तरफ तो सोच रहे हैं कि सब ठीकठाक चल रहा है लेकिन आंतरिक रूप से आपकी यह मजबूरी है कि आपको वॉक-आउट करने के लिए कह दिया गया है। (शोर एवं व्यवधान) आपको यह कह दिया गया है कि आज आपको वॉक-आउट करना ही है। (शोर एवं व्यवधान) जिस चीज के लिए मेरा मन नहीं कर रहा है, कृपया मुझ से आप वह करवाने के लिए मुझे मजबूर न करें। (शोर एवं व्यवधान) मैं किसी माननीय सदस्य को भी नेम नहीं करना चाहता हूँ। जरनैल सिंह जी, (शोर एवं व्यवधान) केहर सिंह जी, आप सभी अपनी अपनी सीटों पर जाकर बैठ जाएं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री कुछ कहना चाहते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

शिक्षा मंत्री (श्री रामबिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, कॉंग्रेस पार्टी और इंडियन नैशनल लोकदल पार्टी के विधायकों में कम्पीटीशन हो गया है। (शोर एवं व्यवधान) जब सदन में इनकी सीटों की अलॉटमैंट है तो वे वहां जाकर क्यों नहीं बैठ रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, जब **इनको सीट अलॉटमैंट हुई है तो फिर ये क्यों वैल में आकर शोर मचा रहे हैं ? (शोर एवं व्यवधान)**

सदस्यों का नाम लेना

श्री अध्यक्ष: मैं आप सबको फिर से वार्न करता हूं कि आप अपनी अपनी सीट पर जाएं नहीं तो मुझे नेम करना पड़ेगा। (शोर एवं व्यवधान) आप लोग नहीं मान रहे हैं इसलिए मैं अब श्री अनूप सिंह धानक, सरदार जसविन्द्र सिंह संधू, श्री केहर सिंह, श्री नगेन्द्र भडाना, श्री नसीम अहमद, श्री ओमप्रकाश बरवा, श्री परमिन्द्र सिंह ढुल, श्री पृथी सिंह, श्री राजदीप, श्री रामचन्द्र कम्बोज, श्री रणबीर गंगवा, प्रो रविन्द्र बलियाला, श्री वेद नारंग और श्री जाकिर हुसैन को नेम करता हूं। आप कृपा सदन से बाहर जाएं। (इस समय सार्जेंट एंड आर्म्स द्वारा और वॉच एण्ड वार्ड स्टाफ की मदद से नेम किए गए सदस्यों को सदन से बाहर निकाला गया।)

श्री महीपाल ढांडा: अध्यक्ष महोदय, मैं किसान के हितैषी होने का ढोंग करने वाले इंडियन नैशनल लोकदल के साथियों से पूछना चाहता हूं कि ये किसान के विरोधी हैं या हितैषी हैं। किसान की फसल और उसके फसल चक्र के ऊपर अपनी बात रखने की बजाय मात्र अखबार की सुर्खियों में छपने के अलावा इनके पास कोई दूसरी बात नहीं है। मैं समझता था कि इंडियन नैशनल लोकदल के सदस्य पूरी समझदारी और गम्भीरता के साथ किसानों की बात यहां रखेंगे और पूरी तैयारी के साथ हाउस में आते होंगे लेकिन मुझे बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि ये भी उसी कैटेगरी में खड़े हो गए जिनका किसान के हित से कोई लेना देना नहीं है। ये मात्र बिजली के बढ़े हुए दामों पर बिना बात का इशू बनाने में लगे हुए हैं। (विघ्न) मुख्यमंत्री महोदय ने पहले ही कह दिया है कि बिजली के बढ़े हुए दाम वापिस ले लिए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, जब बढ़े हुए दाम वापिस ले लिए गए हैं तो फिर ये किस बात का विरोध कर रहे हैं। सड़कों पर उतरकर जो लोग किसानों के हितैषी होने का ढोंग करते हैं उस ढोंग का नजारा आज हरियाणा

प्रदेश की जनता देख रही है। (विघ्न)इंडियन नैशनल लोकदल के लोग किसानों पर गोलियां चलाने का काम करते हैं और आज ये किसानों के हितैषी होने की बात करते हैं। अध्यक्ष महोदय, ये किसान के हितैषी नहीं बल्कि किसान के विरोधी हैं।

संसदीय कार्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा): स्पीकर सर, माननीय श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश में जो सरकार है वह 1-1 करके इस सदन में नई और अच्छी परम्पराओं को स्थापित कर रही है। हमारी सदन ने इस सदन का तीसरा सत्र बुलाया है जो अपने आप में एक सराहनीय कार्य है। बी.ए.सी. की मीटिंग में कांग्रेस और इनैलो के सभी साथियों ने विधान सभा का एक वर्ष में तीसरा सत्र बुलाने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बधाई दी है। स्पीकर सर, दो दिन के इस सत्र में हरियाणा सरकार ने सभी विधायक साथियों को अपने-अपने हल्के और प्रदेश से जुड़ी समस्याओं को विधान सभा के पटल के माध्यम से सरकार के ध्यान में जाने का अवसर दिया है। मैं यह बात भी मानता हूं कि हमारी सरकार प्रदेश के सभी वर्गों के हित के लिए पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ कार्य कर रही है जिससे हमारी सरकार ने विपक्ष के हाथ से सभी मुद्दे छीन लिये हैं। समूचे विपक्ष ने कल यहां पर बिना किसी मुद्दे के चार घंटे खराब कर दिये। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं था फिर भी आपने विपक्ष के सभी साथियों को अपनी-अपनी बात रखने के लिए चार घंटे और 22 मिनट का समय दिया। यह इस विधान सभा का इतिहास है कि किसी कालिंग अटैंशन मोशन के ऊपर इतनी लम्बी-चौड़ी बहस करवाई गई हो। मैं यहां पर पांचवी बार चुनकर आया हूं और इसी प्रकार से भाई जय प्रकाश बरवाला जी यहां पर कई बार चुनकर आ चुके हैं। अध्यक्ष जी, जो आपके द्वारा कल के कालिंग अटैंशन मोशन के ऊपर चर्चा करवाई गई इससे समूचे विपक्ष और विशेषकर इनैलो नेता श्री अभय सिंह चौटाला जी, किरण चौधरी जी और भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने स्वयं माना कि उनकी पार्टी का कोई विधायक ऐसा नहीं रहा जिसने अपनी बात न कही हो। आज वे इस बात को साबित नहीं कर सके कि वे जिस मुद्दे पर इतना ज़ोर देकर शोर-शराबा कर रहे हैं उसमें घोटाला क्या हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक-एक बिन्दु के ऊपर अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट किया। उन्होंने विपक्ष की जानकारी के लिए यह भी बताया कि जो यह धान को खरीदने की प्रक्रिया है उसमें किसान अपनी धान को कम्बाईन से कटवाकर सीधा मण्डी में ले आता है जिस कारण से उसमें नमी की मौजूदगी निर्धारित मात्रा से ज्यादा रहती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने करनाल की अनाज मण्डी में स्वयं जाकर अपने सामने धान का मॉस्चर चैक करवाया था। मॉस्चर चैक करने पर उसमें 24 प्रतिशत मॉस्चर पाया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा यह सब किसान भाईयों की मांग के ऊपर करवाया गया। स्पीकर सर, आज विपक्ष की दोनों पार्टियों इनैलो और कांग्रेस में यह होड़ हो गई कि आज कौन पहले शोर-शराबा करके सदन से बाहर जायेगा। इस पर मैंने विशेष तौर से अभय चौटाला जी को कहा कि वे कांग्रेस के पीछे मत चलें क्योंकि उनकी पार्टी का जो पुराना इतिहास रहा है वह ऐसा नहीं है अर्थात उनकी पार्टी का पुराना इतिहास कांग्रेस के पीछे चलने वाला नहीं रहा है। यह बात विशेष रूप से पूरे सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी तो अमरबेल की तरह है। अगर अमरबेल किसी भी पेड़ पर चढ़ जाये तो उस पेड़ के पत्ते सूख जाते हैं। यहां तक कि अगर अमरबेल को बड़बेरी के पेड़ पर भी डाल दिया जाये तो अमरबेल उसके पत्तों को भी सुखा देती है। उस पर बेर लगना तो दूर की बात उसके पत्ते तक

[श्री राम बिलास शर्मा]

सूख जाते हैं। कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य इस बात से खुश हो सकते हैं कि उनकी पार्टी ने बिहार में लालू प्रसाद यादव के साथ गठबंधन करके उसने बिहार विधान सभा में अपनी सदस्य संख्या को चार से बढ़ाकर 27 कर लिया है। जिस लालू प्रसाद यादव की पार्टी के साथ इनकी पार्टी ने गठबंधन करके बिहार विधान सभा में अपनी सदस्य संख्या को चार से बढ़ाकर 27 किया है उसको सारे का सारा देश अच्छी तरह से जानता है। मेरा कांग्रेस पार्टी के माननीय साथियों से यही अनुरोध है कि इससे इनको राज़ी नहीं होना चाहिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत बिहार में बढ़ा है क्योंकि बिहार में भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा 24 प्रतिशत वोट प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार से लालू प्रसाद जी की पार्टी को 18 प्रतिशत वोट मिले हैं। जहां तक नीतिश कुमार जी की सीटों की बात की जाये तो उनकी पार्टी की 44 सीटें पहले से कम हो गई हैं। जब नीतिश कुमार भारतीय जनता पार्टी की मदद से बिहार में विधान सभा का चुनाव लड़े थे तो उस समय उनकी पार्टी की बिहार विधान सभा में 44 सीटें ज्यादा आई थी। कुल मिलाकर मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी भी चार-छः महीने की बात है बिहार की असली तस्वीर पूरे देश के सामने आ जायेगी। इसलिए मैं विशेष तौर से कांग्रेस पार्टी के मित्रों से यह बात पुनः कहना चाहता हूं कि उनको बिहार की विधान सभा में अपनी पार्टी के सदस्यों की संख्या 4 से 27 हो जाने पर ज्यादा राज़ी नहीं होना चाहिए। स्पीकर सर, विपक्ष के पास सदन में उठाने के लिए जनहित का कोई भी मुद्दा नहीं है। पिछले 10 सालों में हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने किस प्रकार से सरकार चलाई उसकी सच्चाई आज हम सभी के सामने है। ये आज किसान के हितैषी होने की बात करते हैं जबकि वास्तविक सच्चाई है कि हरियाणा में अपने 10 साल के शासन काल में इन्होंने कभी भी किसान की सुध नहीं ली। आज हरियाणा प्रदेश की मंडियों में किसान की बासमती धान 3200 रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक रही है। कल और आज जब ये कांग्रेस के साथी यहां पर शोर- शराबा करके सदन की कार्यवाही को बार-बार बाधित कर रहे थे तो हमने उनसे यही पूछा कि आप यह तो बतायें कि वास्तव में क्या घोटाला हुआ है ? घोटाले के प्रूफ के तौर पर यहां पर प्रस्तुत करने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं है। अपनी बात के समर्थन में यहां प्रस्तुत करने के लिए उनके पास एक कागज़ भी नहीं है। मैं उनसे बार-बार यही पूछना चाहता हूं कि क्या हरियाणा में धान की खरीद वर्ष 2015 में ही शुरू हुई है। ऐसी बात नहीं है क्योंकि हमारे हरियाणा प्रदेश का मेहनतकश किसान वर्षों से धान पैदा कर रहा है। तराइड़ी के आस-पास का बासमती धान पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यह सभी कुछ हमारे प्रदेश के मेहनती किसान की बदौलत है। मैं कांग्रेस पार्टी के माननीय साथियों से यही कहना चाहता हूं कि अगर वे वास्तव में ही किसान के शुभचिन्तक हैं तो हमें यह बतायें कि हम कहां पर और किस बात की जांच करवायें। स्पीकर सर, आज की तारीख में वास्तविकता यह है कि मण्डियों से सारे का सारा धान मिलर्ज़ के पास चला गया है और किसान को उसके द्वारा बेची गई धान की पूरी की पूरी पेमैंट हो चुकी है। माननीय मंत्री श्री करण देव कम्बोज़ जी ने पिछले 10 साल की मण्डियों की धान की खरीद की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी है और जे.फार्म जिसके तहत किसान की पेमैंट हुई है उसकी भाई जयप्रकाश जी ने तस्दीक की है, वह धान तो हमारी सरकार का खरीदा हुआ नहीं था। अब ये एक नया मुद्दा यह ले आये हैं कि धान की बिजाई ज्यादा नहीं हुई थी। अध्यक्ष महोदय, गेहूँ के बारे में भी यहाँ पर चर्चा हुई है। गेहूं के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि जब से हरियाणा बना है तब से लेकर पिछले साल हमने पलवल में पानी में तैरता हुआ गेहूँ जिसमें 80 प्रतिशत तक

मॉईस्चर लॉस था, 1450/- रूपये प्रति क्विंटल के भाव से ही खरीदा है। हमने हरियाणा में 72 लाख मीट्रिक टन गेहूँ खरीदा था। हमने किसान का एक-एक दाना 1450/- रूपये प्रति क्विंटल के भाव से ही खरीदा था। सतनाली राजस्थान के साथ लगता हुआ एक छोटा सा गांव है। पहली बार हमने सतनाली में बालू रेत के टिब्बों पर 4 लाख बोरी गेहूँ की खरीद की थी। इनके पास कहने के लिए अब कोई बात नहीं बची है। हुड्डा साहब 10 साल तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे और इनके समय में साढ़े 6 रूपये का मुआवजे का चैक भी किसानों को दिया गया जो कि उन्होंने यह कहते हुये वापिस कर दिया कि इसमें तो एक बीड़ी का बंडल भी नहीं आ सकता। इसके विपरीत हमारी सरकार ने 1100/- करोड़ रूपये का मुआवजा बांटा है जो अब तक का सबसे अधिक और सबसे तेज बांटा गया मुआवजा है। आज हरियाणा की 50 साल की उम्र है और इन 50 सालों में कभी भी किसान ने यह महसूस नहीं किया कि हमारी हमदर्द कोई सरकार है। मुख्यमंत्री महोदय ने उसी समय कह दिया था कि एक एकड़ में चाहे 50 भाई-बहन हिस्सेदार हों लेकिन 500/- रूपये से कम का चैक किसी का नहीं काटा जायेगा, हमें चाहे कितना भी मुआवजा देना पड़े। हरियाणा में पहली बार 12 हजार रूपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया गया था और ये गिरदावरी पर लड़ते रहे कि गिरदावरी ठीक ढंग से नहीं की गई है। नेता प्रतिपक्ष श्री अभय सिंह चौटाला जी ने 92 गांवों की लिस्ट दी थी कि वहाँ पर गिरदावरी में अनियमितता बरती गई है। हमने उसकी तीन-तीन बार गिरदावरी करवाई लेकिन उसमें कोई अनियमितता नहीं पाई गई। अध्यक्ष महोदय, किसान को कोई परेशानी नहीं है लेकिन मामला यह है कि कुर्सी के काटे का कोई इलाज नहीं है। वहम की दवाई तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं थी। हुड्डा साहब अब सपने देख रहे हैं। भ्रष्टाचार की बात श्री अभय सिंह चौटाला जी उठाते हैं तो उधर से कांग्रेस खड़ी हो जाती है कि ये भी भ्रष्टाचार की बात करते हैं। अध्यक्ष महोदय, बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से खाय। माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी सीधे-साधे और सरल अवश्य हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी की विकास की चक्की धीरे जरूर चलती है लेकिन बहुत बारीक पीसती है। अध्यक्ष महोदय, ये अपनी गईयों को नहीं रो रहे हैं ये तो जेठ की रहियों को रो रहे हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यह आज जो सात का तीसरा सत्र बुलाया है यह आपने निमंत्रण दे कर बुलाया है। बिजनेस एडवाईजरी कमेटी की मीटिंग में सभी पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श करके ही सत्र की अवधि 2 दिन के लिए तय की गई है, हमारी सरकार तो इसकी सीटिंग बढ़ाने के लिए भी तैयार थी। स्पीकर सर, जब इन माननीय सदस्यों को जनता ने चुन कर भेजा है और आपने उनको सुविधा प्रदान करते हुये सीट अलॉट की है। जब कोई सदस्य अपनी सीट पर खड़े हो कर नहीं बोल सकता तो हाउस की वैल में वह बोलने के लिए नहीं बल्कि अखबारों की सुर्खियों में आने के लिए जाता है। यह हरियाणा का महान सदन हरियाणा की अढ़ाई करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको इस बात के लिए आपको बधाई देता हूँ कि आपने सभी सदस्यों को बोलने के लिए पूरा समय दिया है। आज जब मजबूरन नेम करने की नौबत आई तो दोनो पार्टियों (इनैलो और कांग्रेस) में होड़ लगी हुई थी। कल इनैलो के साथियों ने कांग्रेस वालों को बता दिया कि कल आप हाउस में शोर नहीं मचा पाये तो आपका फोटो अखबारों में नहीं छप सका। इसलिए जब तक आप हाउस की वैल में नहीं जाओगे तब तक मीडिया के पत्रकार आपका फोटो अखबार में नहीं छापेंगे। इसलिए आज दोनों पार्टियों में कम्पीटीशन बना हुआ था। अध्यक्ष महोदय, हमने आज एक मुद्दाविहीन विपक्ष को सदन से वॉक-आउट करते देखा है। कल भी इसी तरह से हुआ था। ऐसा कई बार होता है।

[श्री राम बिलास शर्मा]

अध्यक्ष महोदय, विपक्ष की भूमिका निभाना सबके बस की बात नहीं है, उसके लिए जजबात चाहिए वर्षों-वर्षों तक विपक्ष की भूमिका निभाए हुए हम सब लोग श्री अनिल विज के बारे में ये बात कर रहे थे कि कांग्रेस की सरकार में तो उठा कर फैंका करते थे। स्पीकर सर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप ऐसा नहीं करते। परन्तु ये जो घटना क्रम कल से हो रहा है ये नहीं होना चाहिए आपको अगर कोई सदस्य आकर कह दे कि सत्र का टाईम बढ़ाया जाए तो उस पर विचार कर सकते हैं परन्तु जब कोई मुद्दा नहीं होता, जब जुबान से कहने के लिए कुछ नहीं होता, जब जानकारी ही नहीं होती और सरकार की आलोचना करने के लिए भी कोई मुद्दा नहीं होता जब विधायक वैल में आता है। हमने साढ़े चार घण्टे की बातचीत के बाद दोनो दलों से अलग से बुलाकर पूछा कि आप बताईये तो सही घोटाला कहां हुआ है। कल ये कह रहे थे कि यह बीज का 150 रूपये क्या है तो हमने कहा कि यह मोश्चर का जो कट है वह है। क्या यह हरियाणा में बी.जे.पी. की सरकार बनने के बाद शुरू हुआ है ? यह मोश्चर कटने की परम्परा तो तब से चली आ रही है जब से किसान धान की पैदावार कर रहा है। क्योंकि मंडियों में ताजा-ताजा धान आता है उसमें मोश्चर होता है जिसको मिल का मालिक ड्रायर से उसको सुखा लेता है। मुख्यमंत्री जी ने आगे के लिए भी यह कह दिया कि हम सरकारी तौर पर ड्रायर लगाएंगे ताकि किसान पर जो मोश्चर लगता है वह सरकार वहन करे और ये ऐसी मुद्दा विहीन बात करते हैं और यह कहते हैं कि नहीं हमारे खाते में ये बात लिखो कि विपक्ष के कारण इन्क्वायरी की जाए तो हमने कहा हम इन्क्वायरी किस की कराएं। किसान की करें, आढ़ती की करें, मिल मालिक की करें, सरकार किसान की इन्क्वायरी इस बात के लिए कैसे करे कि किसान ने धान क्यों बोये। अब अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजार में हरियाणा की उत्तम किस्म की जो बासमती धान है ईरान उसका सबसे बड़ा खरीददार है इस बार ईरान ने दो महीने बाद पाबन्दी हटाई उसके बाद आज हरियाणा का किसान एक दम संतुष्ट है कि उसको 3200 रूपये क्विंटल मिल रहा है। स्पीकर सर, आपने उदारता में कोई कसर नहीं छोड़ी परन्तु मित्रों के पास मुद्दे नहीं रहे इस बात पर कम्पीटीशन हो गया कि झगड़ा करें तो किस बात पर करें जो घोटाला हुआ उसको वह एस्टेब्लिस नहीं कर सके। उसको वह बता नहीं सके कि यह घोटाला हुआ है। स्पीकर साहब, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इसके बाद भी सवा चार घण्टे बहस चलाई इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं ।

मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाएं

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ नई घोषणाएं कर रहा हूं। हम लोगों ने जैसा पहले भी संकल्प लिया कि हम एक अच्छी सरकार चलाएंगे। शासन-प्रशासन तो अपना काम करता ही है लेकिन जनभागेदारी एक बहुत बड़ा विषय है। सरकार द्वारा एक अच्छी डिलिवरी, एक अच्छा एडमीनीस्ट्रेशन दिया जा सकता है। पारदर्शी शासन व प्रशासन दिया जा सकता है। लेकिन जनभागेदारी में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हम लोगों ने विचार किया है। हालांकि नाम से तो अभी भी ग्राम सभा की वर्ष में दो या चार बार बैठकें होती हैं लेकिन इसको और प्रभावी ढंग से बनाने के लिए हमने यह विचार किया है कि हर एक ग्राम सभा की वर्ष में कम से कम चार बैठकें हुआ करेंगी अर्थात एक तिमाही में एक और उनको उन निश्चित तिथियों पर न करके एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से उनकी तिथियां निश्चित करेंगे और एक एजेंडा भी तय करेंगे। अभी तक

2 अक्टूबर, 26 जनवरी, 15 अगस्त शायद कुछ ऐसी ये बैठकें होती हैं जो मात्र एक औपचारिकता होती हैं जिसकी एक खानापूर्ति करके भेज दी जाती है। लेकिन ग्राम सभा की बैठकें होती नहीं हैं। जैसे हम मानते हैं पंच परमेश्वर पंचायत का स्वरूप परमेश्वर का स्वरूप होता है लेकिन ग्राम सभा के साथ तालमेल बैठाकर इसको आगे बढ़ाया जाएगा तो इससे मैं समझता हूँ कि हम ग्रामीण क्षेत्र की बहुत बड़ी-बड़ी समस्याओं का हल कर पाएंगे। विकास कार्यों में होने वाला जो भ्रष्टाचार है खासकर के जो नीचे काम होता है उतना ही भ्रष्टाचार अधिक होता है इसकी जानकारी हमें है। उसको भी हम समाप्त करेंगे जिसके लिए हम एक सिस्टम बना रहे हैं सोशल ऑडिट सिस्टम और उस सोशल ऑडिट सिस्टम की मोहर हम ग्राम सभा में लगवाएंगे। हर गांव में पांच से लेकर ग्यारह व्यक्ति तक ग्राम पंचायत से अतिरिक्त यानि उसमें पूर्व सरपंच सब होंगे। वहां जितने एक्स-सर्विसमैन हैं जो जे.सी.ओ. या इससे ऊपर के जो रिटायर होंगे उनको इसमें शामिल किया जा सकता है। सेवा-निवृत्त कर्मचारी या अधिकारी जो कम से कम स्नातक स्तर के होंगे उनको उसमें जोड़ा जा सकता है। सेवा-निवृत अध्यापक, गाँव का नम्बरदार जो होगा वह भी उसमें जुड़ेगा। इस प्रकार 5 से लेकर;11 लोगों की एक सोशल ऑडिट टीम गाँव की बनाई जायेगी जिस पर मोहर उस ग्राम सभा की होगी। विकास का जो हर काम है उसके जो एस्टिमेट्स हैं वे भी उस सोशल ऑडिट टीम से पास करायेंगे और उस काम के लिए जो फाईनल पेमेंट होगी उस फाईनल पेमेंट का इम्पलीमेंटेशन भी उस सोशल ऑडिट टीम के माध्यम से होगा ताकि किसी प्रकार की कोई गुंजायश न बचे और विकास कार्यों में गुणवत्ता और पारदर्शिता ये दोनों चीजे हम सोशल ऑडिट टीम के माध्यम से करायेंगे। हर गाँव की कौन सी दो या तीन समस्याएं हैं, उन समस्याओं को भी हम ग्राम सभा में चर्चा करके हम जानकारी लेंगे ताकि प्राथमिकता पर हरियाणा में जो भी समस्याएं हैं जो हमारे ध्यान में हैं फिर भी गाँव की प्राथमिकता जिन समस्याओं की पहले है उनके विकास का काम हम पहले करेंगे। ऐसी एक परम्परा हम हरियाणा में शुरू करने वाले हैं। इसी प्रकार से श्रम अधिनियम, जितने भी हरियाणा में उद्योग के साथ जुड़े हुए हैं, लेबर के साथ जुड़े हुए हैं उसमें हम लोगों ने आगे कुछ सुधार करने का तय किया है। सबसे पहली बात तो यह है कि 25 सितम्बर अन्त्योदय दिवस अर्थात पण्डित दीन दयाल उपाध्याय जी की जयन्ती के दिवस पर हमने यह घोषणा की थी कि एक नवम्बर से मजदूर का जो न्यूनतम वेतन होगा जोकि हमारे चुनाव घोषणा-पत्र का भी हिस्सा है वह हम 300 रूपये प्रति दिन की व्यवस्था करेंगे। जो अभी तक 5800 या कुछ रूपये था उसको हमने बढ़ाकर 7600 रूपये किया जो वर्किंग डेज के हिसाब से लगभग 300 रूपये प्रति दिन बैठता है। जो उच्च-कुशल श्रमिक हैं उनके वेतन की बढ़ोत्तरी 6637 रूपये से 9700 रूपये हमने कर दी है जोकि लगभग 45 प्रतिशत की वृद्धि है। इसलिए मजदूर को उसके काम के हिसाब से, उसके जीवन-यापन के हिसाब से, उसके परिवार की खुशहाली के हिसाब से वह आगे बढ़े और उसको उचित पैसे मिलें। इसके लिए हमने योजना बनाई है। श्रमिक और उद्योग इसके बीच में भी तालमेल अच्छा हो। किसी प्रकार का भ्रष्टाचार जो अभी तक होता रहा है उसको हम दूर कर सकते हैं। वेतन अदायगी अधिनियम जो सन् 1936 का बना हुआ है, लगभग 80 साल पहले का वह अधिनियम है जिसके अनुसार 18000 रूपये से ऊपर मासिक की यदि किसी श्रमिक की मजदूरी है तो उसका नकद देना यह अनिवार्यता है। उस समय शायद यह आवश्यक रहा होगा कि नकद ही देना है लेकिन आज नकद देने में ही कई प्रकार की शिकायतें मिली हैं। इसलिए इसको सीधा श्रमिक के बैंक खाते में अथवा चैक के द्वारा उसको उसकी मजदूरी की पेमेंट की जाए। इसके लिए हम अगले सत्र में इस अधिनियम के

[श्री मनोहर लाल]

अन्दर एक संशोधन लेकर आयेंगे। यह जानकारी मैं सदन में देना चाह रहा हूं। इसी प्रकार जो औद्योगिक विवाद होते हैं उसके अन्दर कोई भी उद्योग जो 100 या उससे अधिक श्रमिकों का नियोजन करता है सभी उसमें ले-ऑफ, छंटनी अथवा संस्था बंद करने की जो सरकार की अनुमति लेने की आवश्यकता होती है उसको भी 100 की बजाए 300 मजदूरों तक इस अधिनियम में संशोधन करके करेंगे ताकि आसानी से उद्योग और श्रमिक में किसी प्रकार का विवाद न आए तो इस संशोधन को भी हम अगले सत्र में लेकर आयेंगे। ऐसी ये दो घोषणाएं मुझे सदन में करनी थी। (इस समय मेजें थपथपाई गईं।)

नेम किये गये सदस्यों को वापिस बुलाने संबंधी निर्णय

श्री जयप्रकाश: अध्यक्ष महोदय, विपक्ष की पार्टियों के सदस्यों को आपने जो नेम किया है मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि उनको आप सदन में वापिस बुला लें ताकि सदन सुचारू रूप से चले। सिर्फ बिजली के बिलों का ही मामला था। कोई बड़ी बात नहीं थी। यह बात आपके सामने भी आई है कि कहीं पर बिजली के बिल ज्यादा आ गए हैं क्योंकि कहीं न कहीं कोई गलती हुई है। माननीय सदस्य इस मुद्दे को वे उठा रहे थे। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे यह अनुरोध है कि यदि कॉंग्रेस पार्टी व इंडियन नैशनल लोकदल के सभी माननीय सदस्यों को सदन में बुला लिया जाए तथा उसके बाद विधान सभा के सत्र को चलाया जाए तो बहुत अच्छा होगा।

शिक्षा मंत्री (श्री रामबिलास शर्मा): अध्यक्ष महोदय, आप तो उदारमना हैं। मैं भी आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि कॉंग्रेस पार्टी व इंडियन नैशनल लोकदल के सभी माननीय सदस्यों को सदन में बुला लिया जाए।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता स्वयं एक प्रतिनिधि मण्डल के साथ हमें मिलने के लिए आए थे तथा उस दिन हमारी आपस में विस्तार से चर्चा भी हो गई थी तथा बहुत सी बातें स्पष्ट भी हो गई थीं। बेशक इस बात को ये चाहे स्वीकार करें अथवा न करें। मैं समझता हूँ कि यदि आप सदन में कॉंग्रेस पार्टी व इंडियन नैशनल लोकदल पार्टी के सभी माननीय सदस्यों को बुलाकर हाऊस चलाते हैं तो अपने समापन भाषण में इस सत्र के अंत में इस विषय के ऊपर मैं एक वक्तव्य देने के लिए तैयार हूँ।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण ! ठीक है कॉंग्रेस पार्टी व इंडियन नैशनल लोकदल पार्टी के सभी माननीय सदस्यों को सदन में वापिस बुलाया जाता है।

श्री करण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, यदि सरकार धान की खरीद के मामले में जाँच करवाने के लिए तैयार है तो अन्य माननीय सदस्य भी सदन में आ जाएंगे। (शोर एवं व्यवधान)

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव-

(i) राज्य में वैज्ञानिक, व्यावहारिक और लाभकारी फसलों को उगाने के लिए सरकार द्वारा प्रभावशाली हस्तक्षेप करने संबंधी

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मुझे श्री अभय सिंह यादव, विधायक द्वारा राज्य में वैज्ञानिक, व्यावहारिक और लाभकारी फसलों को उगाने के लिए सरकार द्वारा प्रभावशाली हस्तक्षेप करने के बारे में ध्यानाकर्षण सूचना सं0 6 प्राप्त हुई है। मैंने उसको स्वीकार कर लिया है। अब श्री अभय सिंह यादव, विधायक अपनी सूचना पढ़ेंगे और उसके बाद संबंधित मंत्री महोदय इस बारे में अपना वक्तव्य देंगे।

श्री अभय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि आपने सदन में मेरे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को चर्चा के लिए स्वीकार किया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस महान सदन का ध्यान एक अत्यावश्यक एवं लोक महत्त्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि हमारे राज्य में औद्योगिक विकास के होते हुए भी, प्रान्त की अर्थव्यवस्था का मुख्य जोर अभी भी इसकी कृषि पर दिया जाता है। राज्य की समस्त समृद्धि मुख्यत: इसकी ग्रामीण जनसंख्या से झलकती है जो कि प्रत्यक्ष रूप में कृषि एवं इसकी सहायक गतिविधियों पर निर्भर है। हरित क्रांति का प्रभाव राज्य ने दर्शाया है तथा एक समय कृषि उत्पाद में जबरदस्त वृद्धि दिखाई गई थी। परन्तु इस समय यह क्षेत्र एक संकट से गुजर रहा है तथा कृषि अर्थव्यवस्था जीवन-निर्वाह के स्तर तक भी जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रही है प्रमुख कारणों में से एक कारण यह है कि राज्य में फसल चक्र अवैज्ञानिक तथा अलाभकारी है। मिट्टी रसायन, बाजार क्षमता तथा चुनौती, आर्थिक व्यवहार्यता, पानी की उपलब्धता तथा संसाधन संकट इत्यादि में परिवर्तन होते हुए भी, परम्परागत फसलें बोई जा रही हैं। इसका प्रभाव हमारे किसान की समग्र दशा में पूर्ण रूप से स्पष्ट है। अस्वस्थकर एवं अलाभकारी फसलें बार-बार प्राकृतिक आपदाओं जैसे ओलावृष्टि, अनियमित वर्षा तथा कीटों के हमले प्राय: झेल रही कृषि ने अर्थव्यवस्था को छिन्न-भिन्न कर दिया है। किसान अपना ऋण लौटाने की क्षमता खोते हुए निजी एवं बैंक तथा चीनी मिलें ऋण हो गए हैं। यह दोनों केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा कृषि उपकरण, बीजों तथा उर्वरकों पर कृषि सब्सिडी रूप में भारी राशि खर्च किये जाने के बावजूद हुआ है। अत: राज्य में फसल चक्र को अधिक वैज्ञानिक, अधिक वास्तविक और अधिक किफायती बनाने में एक प्रभावपूर्ण हस्तक्षेप करने के लिए विशेष पग उठाये जाने की अत्यन्त आवश्यकता है।

वक्तव्य

कृषि मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी

Agriculture Minister (Sh. Om Parkash Dhankar) : Agriculture Department is implementing crop diversification scheme since 2013-14. Three activities mainly laying of demonstration plots of alternative crops, providing subsidy on water saving implements and encouraging use of underground pipelines are being undertaken under the Scheme. An amount of Rs. 43.05 Crore has been spent of crop diversifcation duning 2013-14 and Rs. 45.85 crore during 2014-15. In the current year, an allocation of Rs. 99.50 Crore has been received from the Government of India for crop diversification.

श्री अभय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं विस्तार से इस सदन में अपनी बात रखने का प्रयत्न करूँगा। हरियाणा राज्य में हरित क्राँति आई और हरित क्राँति के साथ ही हरियाणा राज्य का स्थान पूरे हिन्दुस्तान के अन्न उत्पादक राज्यों में एक अग्रणी भूमिका में रहा है। हमारा राज्य गंगा और सिंध के मैदान का एक हिस्सा हैं। हमारी जमीन उपजाऊ है। हमारे यहां पानी की

13.00 बजे

उपलब्धता भी है। परंतु हरित क्रांति के बाद पिछले कुछ सालों में जो विशेष बात हुई वह यह है कि किसान अपनी प्राचीन फसल चक्र पद्धति को भूल गया और त्वरित लाभ के लिए किसान ने उन फसलों को उगाना शुरू कर दिया जिनमें पानी की ज्यादा आवश्यकता थी। इसके साथ ही एक बात यह भी हुई कि किसान ने ज्यादा पैदावार लेने के लिए कैमिकल

[श्री अभय सिंह यादव]

फर्टिलाइज़र्स और रासायनिक खादों का जरुरत से ज्यादा इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया। ऐसे ही पैस्टीसाइड्स, इन्सैक्टीसाइड और खरपतवार नाशक दवाओं का भी अंधाधुंध प्रयोग होना शुरू हो गया। इन सब की वजह से आज यह हालत हो गई है कि अगर हम सारे राज्य की कृषि व्यवस्था पर नजर डालें तो हमारा किसान कहीं-कहीं पर वॉटर लोगिंग की प्रॉब्लम से जूझ रहा है जिसके कारण वहां पर हमें एक दूसरी किस्म का राजस्थान निर्मित होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसा कि आज हम सभी को विदित है कि हमारा दक्षिणी हरियाणा सूखे की चपेट में है। हमारे हरियाणा प्रदेश में कहीं पानी की उपलब्धता बहुत ज्यादा है तो कहीं पानी है ही नहीं। आज हमारे प्रदेश के कई जिलों में गेहूं और धान का जबरदस्त कॉम्बीनेशन उपलब्ध है जिसके कारण ज़मीन की उर्वरता निरंतर घटती जा रही है लेकिन इसके बावजूद भी हमारा किसान इसकी परवाह किए बगैर उसी फसल चक्र में फंसा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं बचपन से कृषि से जुड़ा हुआ हूं। मैं इस महान सदन को अवगत करवाना चाहता हूं कि जब मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता था, मैंने उस समय हल चलाना शुरू किया था। जब मैंने हल चलाना शुरू किया तो मेरी लम्बाई हल के हत्थे से कम थी जिसके कारण मैं अपने दोनों हाथों से हल के उस हत्थे को पकड़कर हल चलाता था। अध्यक्ष महोदय, मैंने कृषि को बड़े नजदीक से देखा है। मैंने कृषि को देखा ही नहीं है अपितु मैंने कृषि को जिया है और मुझे किसान की एक एक गतिविधि का पता है। जब मैं पीछे की बातें याद करता हूं तो मुझे लगता है कि जो हमारे पूर्वज थे वे आज के समय से अधिक वैज्ञानिक ढंग से कृषि करते थे। मुझे याद है कि हर किसान को हर फसल के लिए खेत में डाले जाने वाले बीज के वजन के बारे में सही पता होता था कि एक एकड़ ज़मीन में कितना बीज लगेगा। उस समय मशीनें नहीं होती थी और हाथों से ही बीज की बुआई की जाती थी। किसानों को हाथों से ही अंदाजा होता था कि एक एकड़ में चने का 20 किलोग्राम बीज लगेगा। मैंने स्वयं अपने हाथों से चने की बिजाई की है। हमारे यहां पर सख्त ज़मीन है उसमें वर्टीकल हल के द्वारा ही बिजाई की जाती थी। जो ये वर्टीकल हल होते हैं इनको एक आदमी पकड़कर चलाता है और दूसरा साथ चलते हुए पीछे से बीज डालता है। इस प्रकार से बीज डालने की भूमिका मैंने कई साल अदा की है। बीज़ बोने वाले व्यक्ति को यह बात सिखाई जाती थी कि बीज को अंगुली और अंगूठे के बीच से डालना है। उसको यह भी बताया जाता था कि बीज को मुट्ठी में लेकर अंगुली और अंगूठे के बीच से इस प्रकार से डालना है अर्थात मुट्ठी की मूवमैंट ऐसे रखनी है कि बीज का दाना एक के बाद एक बराबर ज़मीन में जाता रहे। जो दूसरा आदमी होता था उसके पास बीज़ का थैला होता था और बीज़ समाप्त होने की स्थिति में दूसरे हाथ से मुट्ठी में बीज डालकर उसकी निरंतरता बनाये रखी जाती थी। कुल मिलाकर मेरे कहने का यह अर्थ है कि इतना सब होने के बावजूद भी एक एकड़ में चने का निर्धारित बीज़ 20 किलोग्राम ही लगता था। इसके अलावा उस समय इस बात का भी प्रॉपर ध्यान रखा जाता था कि विभिन्न फसलों के बीज की कितनी-कितनी गहराई पर बिजाई करनी है। जैसे अगर हमें चने का बीज बीजना है तो उसको कितनी गहराई पर बीजना है और इसी प्रकार से गेहूं के बीज को कितनी गहराई पर बीजना है। यह सभी कुछ निर्धारित था। मुझे याद है कि किसान उस समय ज़मीन जोतने के लिए जिन देसी उपकरणों का प्रयोग करता था उसे उनका सांईटिफिक मीनिंग नहीं पता था। जब हलवाहा ज़मीन जोतने के लिए खेत में जाता था तो उस समय उसके हाथ में एक कुल्हाड़ा होता था और उस कुल्हाड़े का मुख्य काम हल को बैलों से जोड़ने वाले लट्ठे के एंगल को धरती के साथ निर्धारित करने का होता था।

लट्ठे के आगे या पीछे लकड़ी की एक पतली सी परत लगाने से हल का ज़मीन के साथ एंगल बदल जाता था। इसके बाद किसान इस बात की भी जांच करता था कि जिस निर्धारित गहराई पर चने या गेहूं का बीज़ वास्तव में डाला जाना चाहिए क्या वह उसी गहराई में डाला जा रहा है या नहीं? इसकी तसल्ली के लिए हल के ज़मीन पर दो चक्कर लगाने के बाद वह हाथ से वहां की मिट्टी हटाकर यह चैक करता था कि उसके द्वारा डाला गया बीज़ वास्तव में ही सही गहराई पर डाला जा रहा है। इसके साथ ही जहां तक फसल-चक्र की बात थी हमेशा से ही यह निश्चित था कि ज़मीन से चने की फसल लेने के बाद कभी भी ग्वार की फसल की बिजाई न की जाये। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जब चना बोया जाता था तो उसके बाद उस ज़मीन पर बाजरे की बिजाई की जाती थी। ऐसे ही ग्वार की फसल लेने के बाद उस ज़मीन पर दूसरी फसल के तौर पर गेहूं की बिजाई की जाती थी। एक ज़मीन से गेहूं की फसल लेने के बाद उस ज़मीन पर दूसरी फसल के रूप में सरसों की बिजाई नहीं की जाती थी। इस प्रकार से अगर हम गहराई से विचार करें तो हम पायेंगे कि उस समय का किसान कितने साईंटिफिक तरीके से अपनी खेती करता था लेकिन अगर हम आज के संदर्भ में देखें तो हम पायेंगे कि आज के दिन खेती के मामले में चारों तरफ एक अंधी दौड़ लगी हुई। किसानों को यही पता नहीं होता कि वह अपनी ज़मीन पर लगातार धान की फसल कितने सालों से ले रहा है। इसी प्रकार से उसको यह भी पता नहीं होता कि वह अपने खेत में गेहूं की फसल कितने साल से ले रहा है। आज का किसान तथ्यों को गहराई से जाने बिना ही गेहूं और धान की खेती के फसल-चक्र में उलझा हुआ है। इन सब कारणों से ही खेती की उत्पादकता दिनोंदिन बहुत नीचे चली गई है। इसके साथ ही साथ कृषि उत्पादों की गुणवत्ता का ग्राफ भी दिनोंदिन तेज़ी के साथ नीचे जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, आज की जो स्थिति है अगर हम उसको देखें तो हम पायेंगे कि हमारा किसान वर्ग असुरक्षा की भावना से ग्रस्त है। पहले का जो किसान था वह अपने आप में काफी हद तक आत्मनिर्भर था। आजकल बहुत से पॉलिटिकल इश्यूज़ बनाये जाते हैं कि अमुक-अमुक गांव में इतने किसानों ने आत्महत्या कर ली इत्यादि इत्यादि। किसान की इस स्थिति के लिए किसी सरकार या किसी अन्य शक्ति को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि यह सब इसलिए है क्योंकि आज हमारा किसान एक ऐसी व्यवस्था में लैंड कर चुका है जहां पर उसके लिए असुरक्षित होना स्वाभाविक है। इसका सबसे बड़ा कारण तो यह है कि आज हमारी कृषि बहुत महंगी हो गई है। पहले किसान अपनी मेहनत से कृषि करता था। यह बात ठीक है कि उस समय कृषि की उत्पादकता बहुत कम थी और किसानों के पास साधन भी बहुत कम थे लेकिन उस समय जितना एक किसान कमाता था वह सारे का सारा ही उसके घर में जाता था। आजकल लोगों ने हल जोतने वाले पशुओं को रखना बंद कर दिया है जिससे कृषि का सारे का सारा काम ट्रैक्टर व दूसरे मशीनी उपकरणों के माध्यम से होने लगा है। जिसके पास यह सारी की सारी मशीनरी स्वयं की है वह तो उससे वह काम करता ही है जिसके पास यह सब नहीं है वह अपनी खेती का काम किराये पर करवाता है। ऐसे ही किसान को पहले तो बिजाई के समय एक बैग प्रति एकड़ के हिसाब से डी.ए.पी. खाद डालना पड़ता है। उसके बाद जब फसल की बिजाई के बाद फसल की पहली बार सिंचाई की जाती है तो एक बैग प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया खाद डालना पड़ता है। ऐसे ही तीसरी या चौथी सिंचाई के समय भी एक बैग प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया खाद डालना पड़ता है। ऐसे ही समय-समय पर ज़रूरत के हिसाब से विभिन्न कैमीकल्ज़ का भी छिड़काव करना पड़ता है। इस प्रकार से कुल मिलाकर उसका बहुत ज्यादा खर्चा हो

[श्री अभय सिंह यादव]

जाता है। इस प्रकार से फसल पर बहुत ज्यादा खर्च हो जाने के कारण अगर किसी कारणवश किसान की फसल खराब हो जाती है तो इससे उसके हृदय में बहुत पीड़ा होती है। इस सबके कारण हमारा किसान आज असुरक्षा की भावना से पीड़ित है। अब ऐसा समय आ गया है जब हम सभी को मिल बैठकर राजनीतिक हितों से ऊपर उठकर अपने प्रदेश के किसान के हित के बारे में सोचना होगा। इसलिए मेरा इस महान सदन से निवेदन है कि किसान के हित के मुद्दों पर सर्वसम्मति से फैसला लिया जाये। किसानों के ऊपर किसी भी प्रकार की राजनीति करना अब हमें बंद कर देना चाहिए। हमारी सरकार ने सत्ता सम्भालते ही किसान वर्ग के समान विकास के लिए बहुत अच्छे और कारगर कदम उठाये हैं। मेरे हल्के में जो 38 साल पुराने पम्प थे सरकार द्वारा उनको बदलवाने के लिए 143 करोड़ रूपये का प्रोजेक्ट बनाया गया है। इसी तरह से जैसा कि सिंचाई मंत्री जी ने अभी बताया कि प्रदेश की सभी नहरों की ओवरहॉलिंग करके उनमें पानी चलने की क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। इसके लिए जहां पर ज़रूरत है वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम भी किया जा रहा है। हमारे किसान की आज की जो दुर्दशा है उसका सबसे बड़ा और मुख्य कारण यह है कि हमारे किसान लगातार राजनीति का शिकार होते आये हैं। इस बात के लिए मैं सदन से माफी चाहूंगा लेकिन सच्ची बात यही है कि जितना ज्यादा किसान का नुकसान राजनीति ने किया है उतना ज्यादा किसी और संस्था या कारण ने नहीं किया है। अपनी इसी बात के पक्ष में मैं 2-3 बिन्दू यहां पर रखना चाहता हूं। जिस प्रकार से हमारी कॉ-आपरेटिव सोसायटीज़ थी जो हरेक परिस्थिति में हमारे प्रदेश के किसान के साथ खड़ी थी। वर्ष 1960 में ऐसा समय था जब हमारी ये को-ऑपरेटिव सोसायटीज़ अस्तित्व में आई थी। जिनके कारण हरियाणा में को-ऑपरेटिव मूवमैंट शुरू हुआ उस समय हम छोटे-छोटे बच्चे हुआ करते थे उस समय हरियाणा में को-ऑपरेटिव सोसायटीज़ का बहुत ज्यादा महत्व था। इन को-ऑपरेटिव सोसायटीज़ के माध्यम से बैंकों ने एक व्यवस्था कर दी थी कि किसान को जब अपनी फसल के समय पर ज़रूरत पड़ती थी तो उनको उनकी ज़रूरत के अनुसार ऋण मिल जाता था और वे उन द्वारा लिये गये ऋण की अदायगी के इतने पाबंद थे कि अगली फसल के लिए ऋण लेने से पहले वे अपने पहले वाले ऋण की अदायगी कर देते थे। कुछ राजनेताओं ने उनके साथ राजनीति की और सिर्फ इलैक्शन के समय किसानों की वोट लेने के लिए उनको कहा गया कि आप हमें वोट दें तो हम आपके सारे के सारे कर्ज़ को माफ कर देंगे और आपका ब्याज भी माफ कर दिया जायेगा। इसलिए अब आप बैंक को कर्ज़ वापस न करें। इस सबका परिणाम यह हुआ कि आज की डेट में को-ऑपरेटिव बैंक और भूमि विकास बैंक ये दोनों ही बैंक आज अंतिम सांसें ले रहे हैं। किसान को इसका नुकसान यह हुआ कि वह वापिस पुरानी वाली जगह पर पहुंच गया। को-ऑपरेटिव सोसायटीज़ के अस्तित्व में आने के बाद किसान बैंकों को एक साधन के रूप इस्तेमाल करता था उनसे दूर होकर किसान दोबारा से वह उसी साहूकार के चंगुल में फंस गया जिनके चंगुल में वह को-ऑपरेटिव सोसायटीज़ के अस्तित्व में आने से पहले फंसा हुआ था क्योंकि बैंकों ने किसानों को कर्ज़ देना बंद कर दिया। इसी प्रकार से आज शुगर मिल्ज़ को ले लें। हरियाणा प्रदेश के बहुत बड़े हिस्से में शूगर मिल्ज़ हैं और सहकारी शुगर मिल हरियाणा में किसी जमाने में करोड़ों रूपये का मुनाफा कमाती थी और वह मुनाफा किसानों में बंटता था। मुझे पता है क्योंकि मैंने भी शुगर मिल में नौकरी की हुई है। लेकिन राजनीति ने उन सारी सहकारी शुगर मिल्स को

भी बिठा दिया और आज वे घाटे में चल रही हैं। गन्ने के भाव अंधाधुंध बढ़ाए गये। उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाये तो हरियाणा में 310 रूपये प्रति क्विंटल गन्ने का भाव है और जो हरियाणा की सबसे अच्छी मिल है उसका एक क्विंटल गन्ने पर चीनी का उत्पादन 10 किलोग्राम है। अगर 10 किलो चीनी की औसत से देखा जाये तो एक क्विंटल चीनी के लिए 3100 रूपये का तो गन्ना ही हो गया। इसके अलावा उस पर मैनूफैक्विरिंग कॉस्ट लगती है लेबर के चार्जिज होते हैं जिसके कारण वे घाटे में चल रही हैं। इसीलिए सभी मिल्स सरकार के अनुदान पर निर्भर करती हैं और सरकार उनके नुकसान की भरपाई करती है। अभी हमारे विपक्ष के साथी बिजली के बिलों का जिक्र कर रहे थे। मुझे जो अनाधिकृत रूप से सूचना मिली है उसके अनुसार बिजली निगमों पर 28000 करोड़ रूपये का कर्ज है। अगर यह कर्ज की दर इसी प्रकार से बढ़ती रही तो हो सकता है अगले साल तक यह 30-32 हजार करोड़ रूपये हो जाये। अध्यक्ष महोदय, हमें इस बारे में कुछ न कुछ अवश्य सोचना पड़ेगा। आजादी के बाद हमारे जिन पूर्वजों के हाथ में राजनीतिक विरासत आई थी उन लोगों ने हमें शासन का एक अच्छा तंत्र दिया था। उस समय जो भाखड़ा डैम बनाया गया था जिससे आज हरियाणा और पंजाब को अगर पर्याप्त नहीं तो काम चलाने के लिए काफी बिजली मिल रही है। नेता प्रतिपक्ष आ गये हैं मैं उनका स्वागत करता हूँ क्योंकि यह मामला बिजली से जुड़ा हुआ है और हम किसान की बात कर रहे हैं। (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे संदेश भेज कर बुलाया है। आप मुझे बताईये कि मुझे किसलिए बुलाया है? (शोर एवं व्यवधान)

श्री सुभाष बराला : अध्यक्ष महोदय, एक माननीय सदस्य आपकी इजाजत से अपनी बात रख रहे हैं तो माननीय नेता प्रतिपक्ष को भी उनका ध्यान रखना चाहिए और वे पहली बार चुन कर आये हैं और एक अच्छा विषय उठा रहे हैं। इसलिए उनका हौंसला बढ़ाना चाहिए और उन्हें अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. अभय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं व्यक्तिगत रूप से माननीय नेता प्रतिपक्ष से निवेदन करता हूँ कि मैं अपनी बात खत्म कर लूँ वे फिर बोल लें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चौटाला जी, डॉ. अभय सिंह यादव बोल रहे हैं उसके बाद आप बोल लेना। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मुझे संदेश दिया गया था कि मैं हाउस में आ कर आपसे मिलूं। इसलिए मैं आ गया हूँ आप मुझे बताईये कि मेरे लिए आपकी तरफ से क्या आदेश है?

श्री अध्यक्ष : आपको यह मैसेज भिजवाया था कि आपके जिन सदस्यों को नेम किया गया था हमने उनको वापिस बुलाने का फैसला किया है इस लिए आप उनको बुला लीजिए।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मुझे तो नेम नहीं किया गया है। इसलिए आप मुझे तो अपनी बात कहने का मौका दीजिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अभी डॉ० अभय सिंह यादव बोल रहे हैं उसके बाद आपको बोलने का मौका देंगे। अभी आप बैठिये। वे जिस विषय पर बोल रहे हैं पहले उसको वे पूरा कर लें उसके बाद आपको मौका देंगे। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ0 अभय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, किसान की जो संस्थाएं थी, चाहे वे शुगर मिल्स हों, सहकारी बैंक हों, चाहे बिजली बोर्ड हो सिस्टेमेटिक ढंग से उनका डाउन फाल हुआ है, उनकी हालत बिगड़ी है। उसका कारण हैं, हमारे राजनैतिक फैसले। आज हम किसान के नाम पर राजनीति करने के आदी हो गये हैं। जिस तरह के राजनीतिक फैसले रहे, इनके द्वारा किसान को जिस रास्ते पर हम ले कर आए हैं मैं कहता हूं अध्यक्ष महोदय, जैसे दवाईयों में जल्दी प्रभाव डालने की स्थिति में कई नकली डॉक्टर कई स्टीरोयड दवाइयों का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से किसान को सलो पॉइजनिंग दी गई। किसान की संस्थाओं को पॉप्यूलिस्ट मेजर से नष्ट किया गया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान एक और ट्रेंड की तरफ दिलाना चाहता हूं। मैंने पिछले कई सालों से देखा है पुराने समय में जब एक राजा आपस में दूसरे राजा से युद्ध में हार जाया करता था तो उसको यह अहसास होता है कि मेरे हार जाने के बाद मेरे इस सारे महल पर, राज्य पर विपक्ष के जिस राजा से तूं हारा है उसका कब्जा होना है। हमने इतिहास में पढ़ा था कि वह चलते-चलते किले में बारूद रख कर किले को ध्वस्त कर दिया करते थे। हमारी सरकारों के भी इलेक्शन के दौरान कई ऐसे उदाहरण आए हैं। जब चुनाव होते हैं तब उनको ये पता होता है कि हार निश्चित है तो वह चलते-चलते ऐसे फैसले कर जाते हैं कि सारे सरकारी तन्त्र को पूर्ण रूप से अस्त-व्यस्त कर देते हैं और मैंने जो उदाहरण दिया है वह कोई दूर का उदाहरण नहीं इस पिछले चुनाव से पहले जो कुछ फैसले हुए मै उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता लेकिन मैं यह कहता हूँ कि मर्यादा ये कहती है कि चुनाव के समय ऐसे फैसले ना करें कि जिन फैसलों से सरकार को, व्यवस्था को हानि पहुंचे क्योंकि सरकारें तो आती-जाती रहती हैं लेकिन व्यवस्था हमेशा चलनी चाहिए और व्यवस्था को कायम करने के लिए हमेशा व्यवस्था के हित में सोचना चाहिए। मै दूसरी बात यह कह रहा था कि सब्सिडी पर संस्थाएं चल रही हैं। कोपरेटिव शुगरमिल सरकारी अनुदान पर चल रहे हैं। कोपरेटिव बैंक को हर बार नाबार्ड से ऑक्सीजन देनी पड़ती है और वहां से पैसा आता है लेकिन वह रिटर्न कर नहीं पा रहे। अध्यक्ष महोदय, अगर हमारे स्टेट की अर्थ व्यवस्था को देखें यह ठीक है कि हमारा 60 हजार करोड़ रूपये से ज्यादा का वार्षिक बजट होता है लेकिन मैं शायद माननीय सदस्यों की सूचना के लिए बता दूं कि 60-61 हजार करोड़ में से 35 हजार करोड़ रूपये तो सरकारी कर्मचारियो की सैलरी में चला जाता है और अब जो सांतवे वेतन आयोग की रिपोर्ट आई है जब ये लागू हो जाएगा तो मेरे अपने आंकलन के मुताबिक ये खर्चा 45 हजार करोड़ रूपये तक पहुंच जाएगा। मैं इस प्वाईंट के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं जिसके बारे मैं कोई सवाल नहीं कर रहा मैं तो असलियत वास्तविकता बता रहा हूं आर्थिक चित्रण कर रहा हूं।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, कालिंग अटैंशन मोशन पर माननीय सदस्य सिर्फ और सिर्फ सवाल पूछ सकते हैं। जिसके बाद मंत्री जवाब दे सकते हैं। माननीय सदस्य केवल मात्र ये बता रहे हैं कि किस तरह से पीछे होता आ रहा है और आगे अब कैसे होगा। यह काम तो मंत्री का है। अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब यह है कि आपने इनको खड़ा करके हमको नहीं बोलने देना।

श्री अभय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात को 10 मिनट में कन्कलूड कर रहा हूं।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, हमें भी बोलने का समय दिया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्लीज आप बैठ जाईये ।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, ----

श्री अध्यक्ष : प्लीज आप बैठ जाईये ।

वॉक आउट

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, हमें पहले अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया जा रहा इसलिए एज ए प्रोटेस्ट हम सदन से वाक्आऊट करते हैं ।

(इस समय सदन में उपस्थित इण्डियन नैशनल लोकदल के सदस्य श्री अभय सिंह चौटाला, श्री बलवान सिंह दौलतपुरिया एवं श्री मखन लाल सिंगला पहले अपनी बात न कहने देने के विरोध में सदन से वाक्आऊट कर गये ।)

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव (पुनरारम्भ)

श्री अभय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरे कुछ सुझाव हैं और माननीय मंत्री महोदय बैठे हैं मैं इनके विचारार्थ इस क्षेत्र में कुछ सुझाव दे रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, पहली बात तो यह है कि जैसा मैंने बताया कि पानी की व्यवस्था के लिए मंत्री महोदय ने वाटर रिचार्जिंग की एक बहुत बड़ी स्कीम बनाई है उसमें मंत्री महोदय से मेरा सुझाव है कि रिचार्जिंग की स्कीम के साथ-साथ पानी का जो इस्तेमाल है उसको भी थोड़ा बहुत रेगुलेट किया जाए और मैं यह कहता हूं कि चाहे किसान को हमें सप्रिंकलर सैट्स और ड्रिप इरीगेशन के जो साधन हैं वह खरीदने के लिए चाहे उनको अनुदान देना पड़े हम उसको पार्टस में धीरे-धीरे शुरू करके और कैनाल वाटर के इस्तेमाल पर एक सिस्टम डवैल्प करें कि हर किसान जो कैनाल वाटर इस्तेमाल करता है धान की फसल को छोड़कर कहीं भी फलड इरीगेशन ना करे और वह फव्वारे का इस्तेमाल करे। ताकि एग्जिस्टिंग पानी है इसी पानी से हम ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र को सिंचित कर सकें। दूसरा है क्रॉप डाईवर्सिफिकेशन का जोकि फसलों के विविधिकरण के बारे में है। अध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक है कि यह बहुत पुराना मुद्दा है और इस पर कई बार प्रयास हो चुके हैं लेकिन मेरा इस बारे में एक निवेदन है कि किसान को अगर एक फसल विशेष से हटाकर किसी दूसरी फसल पर हमें लाना है तो किसान को हमें उसके लिए मानसिक रूप से पहले तैयार करना पड़ेगा। मानसिक रूप से तैयार करने के लिए सबसे बड़ा जो तरीका मैं समझता हूं वह यह है कि किसान को इसके लिए विश्वास दिलाना पड़ेगा और यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जो फसल वह बो रहा है उसका उचित दाम उसे जरूर मिलेगा। उसके लिए दो तरह की व्यवस्थाएं हो सकती हैं। पहली मार्केटिंग की व्यवस्था है। मार्केटिंग की व्यवस्था के लिए अगर किसान को मण्डी उपलब्ध करवा दी जाए तो अच्छा रहेगा क्योंकि संकट इस बात का है कि किसान दूसरी फसल बोने के लिए तो तैयार है लेकिन उसको यह नहीं पता और उसे यह भरोसा नहीं है कि जो वह नई फसल बो रहा है उसके दाम उसे बाजार में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अब हम देख रहे हैं कि धान और गेंहू की मैक्सिमम बिजाई होती है। गन्ने की मैक्सिमम बिजाई होती है। वह इसलिए होती है कि उनका सबका मिनिमम स्यौट प्राइस निश्चित होता है और किसान को यह पता होता है कि कम से कम इतना पैसा तो इस फसल का जरूर मिल जायेगा। अगर हम इस बात पर

[डॉ. अभय सिंह यादव]

विचार करें कि मार्केटिंग की फैसिलिटीज किसान के लिए डिवलप करें और मार्केटिंग फैसीलिटीज के लिए उनको जो वित्तीय सहायता दी जाए वह हम दें और उसके साथ साथ शुरू के वर्षों के लिए अगर हम प्रति एकड़ नई फसल पर कोई नकद अनुदान का भी प्रावधान कर दें तो मैं समझता हूं कि किसान शायद उस तरफ मुड़ सकता है। हमारा जो मण्डी बोर्ड है जिसका नाम एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड है। मैं यह कहता हूं कि मण्डी बोर्ड का मुख्य काम है किसान को मार्केटिंग की फैसीलिटी प्रोवाईड करवाना। यह ठीक है कि मण्डी बोर्ड गाँव में विकास के काम भी करवाते हैं, सड़कें भी बनवाते हैं, दूसरे काम भी करवाते हैं और मण्डियों का विकास भी करते हैं। लेकिन मैं यह कह रहा हूं कि सड़क तो पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर साहब बैठे हैं यह बना लेंगे। हमारी जो भौगोलिक स्थिति है वह ऐसी है क्योंकि हम एक बहुत बड़ी मार्केट के नजदीक हैं। राजधानी दिल्ली हम से बहुत नजदीक है और वहां पर सब्जियों की और हर प्रकार की चीजों की मार्केट उपलब्ध है। अगर मण्डी बोर्ड हमारे यहां ऐसी सुविधा उपलब्ध करवा दें कि हमारी फसलों के लिए मार्केटिंग की फैसीलिटीज हमारे लिए डिवलप कर दें तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर हम राजधानी के नजदीक के इलाकों को प्रयोगात्मक रूप से यह स्कीम शुरू करें तो यह मैं समझता हूं कि किसानों के हित में होगा। इसके अलावा वाटर कन्जर्वेशन के साथ साथ स्वामीनाथन आयोग की बात विपक्ष के साथी बहुत उठाते हैं। मैंने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पढ़ी है उस रिपोर्ट में सबसे महत्वपूर्ण बात है वह है भूमि की उर्वरकता की जांच। मैं समझता हूं उसके लिए हमारे पास साधन भी उपलब्ध हैं। मेरे पास जो सूचना उपलब्ध है उसके हिसाब से हमारे हरियाणा में 34 ऐसी लैबोरेट्री उपलब्ध हैं जो सॉयल कन्जर्वेशन टैस्ट करती हैं। अगर हम हर जिले में एक लैब को फुल्ली ऑटोमैटिक लैब बना दें जिसमें ऐसी ऑटो एनलाईजिर लगा दें जो मशीनों द्वारा डालें और उनकी रिपोर्ट आ जाए।

श्री अध्यक्ष: यादव साहब, वाईड अप कीजिए।

श्री अभय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं। माननीय कृषि मंत्री महोदय का ब्यान था कि हम किसान को सॉयल कार्ड इशु कर रहे हैं। अगर वे लैब बनाकर सारे हरियाणा की सॉयल का एक प्रोफाईल तैयार हो जाए और कृषि वैज्ञानिक, सॉयल टैस्टिंग ऑफिसर और इरीगेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर ये तीनों मिलकर एक कोआर्डीनेशन के साथ यह तय करें कि हरियाणा के किस एरिया में कौन सी फसल अच्छी हो सकती है, उस एरिया में कितने पानी की उपलब्धता है अगर इस सुविधा का लाभ जमींदार तक पहुंचे तो किसान का फायदा हो सकता है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ और बातें भी कहनी थी लेकिन समय का अभाव है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं माननीय कृषि मंत्री और सिंचाई मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि मेरी इन बातों पर वे विचार करें।

श्री घनश्याम दास : अध्यक्ष महोदय, अभी श्री अभय सिंह यादव जी ने सदन में कृषि के संबंध में विस्तार से अपनी बात रखी है। उन्होंने खेती के बारे में अपने अनुभव भी बताए। सबसे पहले तो इस विषय में मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूँ कि सब्सिडी के बारे में जब भी बात की जाती है तो शुरूआती दौर के लिए तो वह ठीक है लेकिन यदि हम सब्सिडी को स्थाई बनाएंगे तो किसान कभी भी आत्मनिर्भर नहीं हो सकेगा। किसान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लाभप्रद

मूल्य उसको मिले, यह अत्यंत आवश्यक है। कम से कम लागत पर हम किस प्रकार अधिक से अधिक अनाज की पैदावार प्राप्त कर सकते हैं इस बारे में कृषि वैज्ञानिकों द्वारा किसानों का मार्गदर्शन होना चाहिए। जब से हरियाणा में हरित क्रांति आई है, शुरू-शुरू में तो किसानों को अच्छी पैदावार मिली, परन्तु लागत मूल्य लगातार बढ़ते चले गए। चाहे रासायनिक खाद हो, चाहे कीड़ेमार दवाई हो, चाहे खरपतवारनाशक दवाई हो और चाहे पानी की उपलब्धता हो उसके कारण किसान की जो खेती है, वह एक घाटे का सौदा बनकर रह गई है। इसके कारण किसान लगातार आर्थिक बोझ के नीचे दबता चला गया हालांकि समय-समय पर सरकारें किसानों के कर्जे की सीमा भी बढ़ाती चली गईं । जब मैं बाल्यकाल में स्कूल में जाया करता था तो मात्र 2500/-रूपए क्रॉप लोन हमें मिला करता था जिसको 6 महीने के बाद वापिस करना पड़ता था लेकिन आज किसान को 7.50 लाख रूपए तक का क्रेडिट कार्ड उपलब्ध है। मुझे इस महान् सदन को यह बताने में कोई संकोच नहीं है कि उस समय किसान 2500/- रूपए के कर्जे में गुजारा कर लेता था परन्तु आज 7.50 लाख रूपए का कर्ज लेकर भी उसकी वित्तीय स्थिति दयनीय बनी हुई है। मेरा यह सुझाव है कि खेती की लागत को कम कैसे किया जाए, इसके ऊपर खोज होनी चाहिए और पैदावार कम लागत मूल्य में हम कैसे बढ़ा सकते हैं इसकी भी वैज्ञानिकों को चिंता करनी चाहिए। इस प्रकार से किसान किसी न किसी हद तक अपने स्तर को अवश्य सुधार सकता है। इसके साथ ही मैं इस महान् सदन व श्री अभय सिंह यादव जी को भी यह बताना चाहूँगा कि किसान की खेती की जोत बहुत ही सीमित होती जा रही है जिससे वह अपने परिवार का गुजारा भलीभांति नहीं कर सकता है। इसलिए यदि हम किसान को खेती के साथ-साथ डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग व मधुमक्खी-पालन इत्यादि जो काम खेती के साथ जुड़े हुए हैं उनको करने के लिए भी किसान को प्रेरित करेंगे तो किसान का आर्थिक स्तर सुधर सकता है। इस विषय में मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूँ कि किसान अपनी खेती की प्लानिंग स्वयं नहीं कर सकता है। वह उस फसल के पीछे दौड़ता है जिस फसल के रेट्स आज ठीक हैं। जब सब किसान ऐसी फसल के पीछे भागते हैं जिस फसल के रेट्स अच्छे होते हैं तो नतीजा यह निकलता है कि अगली बार जब किसान दोबारा उसी फसल की पैदावार करता है तो उस फसल की मार्केट औंधे-मुँह गिर जाती है परिणामस्वरूप किसान को बहुत भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। जब मार्केट की बात आई है तो मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ किसानों ने पॉपलर की पैदावार की जिसके किसानों को अच्छे दाम मिले परन्तु उनको अच्छे दाम मिलने के बाद, किसानों ने इतनी अधिक मात्रा में पॉपलर पैदा किया परिणामत: पॉपलर के दाम घट गए तथा आज किसान पॉपलर के कम दाम मिलने के कारण परेशान हैं। किसान ने पॉपलर के साथ-साथ हल्दी की खेती भी लगाई तथा सरकार ने किसान की मदद के लिए हल्दी संयंत्र लगाए परन्तु हल्दी की खेती करने के बाद किसान को कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ तथा कुछ न कुछ अपनी जेब से देकर उसको हल्दी की खेती से पीछा छुड़वाना पड़ा। इस प्रकार अनेक ऐसी बातें हमें ध्यान में रखनी होंगी। जैसे सब-सॉयल वाटर लैवल दिन-प्रतिदिन नीचे जा रहा है। हम पानी का अधिकतम सदुपयोग कैसे कर सकते हैं ? इसकी भी हमें चिंता करनी होगी। जैसा कि श्री अभय सिंह यादव जी ने कहा कि हम सारी प्लानिंग को माइक्रो लैवल तक लेकर जाएंगे और कृषि वैज्ञानिक बहुत नीचे तक अध्ययन करने के बाद इसको लैब से खेत तक पहुचाएंगे तो निश्चित रूप से आज किसान को जो अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उसको कम किया जा सकता है।

श्री रणधीर सिंह कापड़ीवास (रेवाड़ी): अध्यक्ष महोदय, घनश्याम दास जी ने जो भी

श्री रणधीर सिंह कापड़ीवास (रेवाड़ी): अध्यक्ष महोदय, घनश्याम दास जी ने जो भी सुझाव दिए हैं वे सभी महत्वपूर्ण हैं। अभय सिंह यादव जी ने भी काफी बातें बताई हैं। आज किसान के लिए खतरनाक स्थिति यह बनती जा रही है कि जमीन की उर्वरा शक्ति घट रही है और उसका कारण ज्यादा फर्टीलाइजर्स का प्रयोग है। फसलों पर ज्यादा फर्टीलाइजर्स के कारण आज भूमि बंजर बनती जा रही है। फर्टीलाइजर्स पर इन्वैस्टमैंट ज्यादा होती है जिसका सुधार फसल चक्र में बदलाव करके किया जा सकता है। जितनी भी दलहन की फसलें हैं वे भूमि का सुधार करती हैं। जितनी बेल की फसलें हैं वे भी भूमि का सुधार करती हैं। चावल, गेहूं आदि फसलों में पानी भी ज्यादा लगता है और रसायन खाद भी ज्यादा लगता है लेकिन वे जमीन की शक्ति को खींचती है। इसमें सुधार करने के लिए फसल चक्र में बदलाव करना होगा तभी किसान को विभिन्न तरीके से लाभ मिल सकता है। अध्यक्ष महोदय, हमारा ध्यान उन्नत बीजों की तरफ भी जाना चाहिए। उन्नत बीज जो कई बार खतरनाक साबित होते हैं जैसे इस बार कपास की बीमारी आई और बीमारी की वजह से बांझ सरसो और दालें पैदा हो जाती हैं जिनके ऊपर फल नहीं आता। मैं कृषि मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस तरह की घटनाएं न घटें इसलिए किसान की तरफ पूरा ध्यान दिया जाए। ऐसी खाद का प्रयोग किया जाए जिससे जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़े। पहले जमाने में जो कम्पोस्ट खाद बनती थी वह इस तरह बनती थी । सरकार की तरफ से खाद के लिए गढ्ढे छोड़े दिए जाते थे और उसमें कूड़ा -करकट, गाय और भैंस का गोबर डालते रहते थे। कुछ दिन बाद वह दबा हुआ कूड़ा खाद बन जाता था और उस खाद को खेत में डालते थे। यमुना वगैरह से जो खाद आता है उससे भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है और किसान की लागत घटती है। लागत घटती है तो उत्पादन बढ़ता है इसलिए इस ओर विशेष ध्यान दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सुभाष बराला: अध्यक्ष महोदय, आदरणीय डा. अभय सिंह यादव जी ने इस पर चर्चा की शुरूआत की। इससे सम्बन्धित मैं अपनी बात आपके समक्ष रखना चाहता हूं। धान की फसल हो या गेहूं की फसल हो उसकी कटाई पहले हाथ से होती थी।

श्री करण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, क्या यहां कालिंग अटैंशन मोशन पर डिस्कशन हो रही है या किसी रैजोल्यूशन पर डिस्कशन हो रही है। (विघ्न)

श्री सुभाष बराला: अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा चल रही है और दलाल साहब टीका टिप्पणी करने के लिए खड़े हो गए हैं। ये विषय की महत्ता को नहीं देखते हैं।

श्री करण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, मैंने भी एक कालिंग अटैंशन नोटिस दिया हुआ है, क्या सरकार उसको नहीं लगाना चाहती है ? अध्यक्ष महोदय, कौन से रूल्ज के तहत कालिंग अटैंशन मोशन पर इस तरह डिस्कशन हो सकती है।

श्री अध्यक्ष: दलाल साहब, आपका कालिंग अटैंशन नोटिस भी लगा दिया जाएगा।

शिक्षा मंत्री (श्री रामविलास शर्मा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से भाई करण सिंह दलाल जी को एक बात बताना चाहता हूं कि भारत में एक परम्परा है कि कोई भी अनुष्ठान शुरू करते हैं तो उसमें विद्वान उसकी लोकेशन बताता है जैसे आर्यवर्ते, जम्बूदीपे, भारतखण्डे था चंडीगढ़ नगरे थानि ब्रह्मांड में अपनी लोकेशन बताता है। करण सिंह दलाल भी पहले अपनी

लोकेशन बताएं कि वे हुड्डा जी के साथ हैं, किरण चौधरी जी के साथ हैं या भाई अभय सिंह चौटाला जी के साथ हैं क्योंकि आप लोगों ने ऊपर भी कहा है कि भाई करण सिंह दलाल ने पिछले सत्र में हमारी शिक्षा दीक्षा को मानकर बड़े पौजीटिव तरीके से गाय के बिल का समर्थन किया। लेकिन इस बार ये फिर से बहक गये हैं। मान्यवर में माननीय सदस्य श्री करण सिंह दलाल जी से यही पूछना चाहता हूं कि सबसे पहले वे अपनी लोकेशन बतायें कि किसके साथ हैं? वे श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के साथ हैं या फिर श्रीमती किरण चौधरी के साथ हैं?

वैयक्तिक स्पष्टीकरण श्री करण सिंह दलाल, एम.एल.ए. द्वारा

श्री करण सिंह दलाल : स्पीकर सर, मेरी पर्सनल एक्सप्लेनेशन है माननीय मंत्री जी ने मेरे बारे में जो कहा है उसके जवाब में मैं इनके साथ-साथ पूरे सदन को यह बताना चाहता हूं कि मेरी लोकेशन पूरे हरियाणा प्रदेश की 36 बिरादरी के लोगों के चारों तरफ है। हम लोगों के सेवक हैं क्योंकि लोग हमें यहां पर चुनकर भेजते हैं। अब मैं अपनी हाऊस के अंदर उपस्थिति के बारे में बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार का बहुत बड़ा घोटाला धान की खरीद में हुआ है वैसा ही एक बड़ा घोटाला गेहूं के बीज के वितरण में भी हुआ है। मैंने इसी गेहूं के बीज वितरण में हुए घोटाले के सम्बन्ध में अपना कालिंग अटैंशन नोटिस दिया हुआ है। यह कालिंग अटैंशन नोटिस बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा यही कालिंग अटैंशन नोटिस आज के लिए एडमिटिड है। मुझे अपने इसी कालिंग अटैंशन नोटिस के बारे में सरकार से जानकारी लेनी है। सरकार द्वारा पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर गेहूं का नकली बीज सप्लाई करके किसान को तबाही के कगार पर खड़ा कर दिया गया है। इसलिए मैं दोबारा से यह बात दोहराना चाहता हूं कि मैं अपने कालिंग अटैंशन नोटिस के लिए यहां पर बैठा हूं और मेरी लोकेशन पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता के साथ है। सरकार ने गेहूं के बीज वितरण में भी किसान के साथ धोखा किया है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : दलाल जी, आपकी बात पूरी हो गई है इसलिए अब आप कृपया करके बैठ जायें। सुभाष बराला जी अब आप बोलिए।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पुनरारम्भ

श्री सुभाष बराला : स्पीकर सर, मैं भी अपने आपको माननीय सदस्य डॉ. अभय सिंह यादव जी के साथ जोड़ते हुए यह कहना चाहूंगा कि पिछले काफी सालों से यह प्रैक्टिस रही है कि गेहूं और धान की फसल की कटाई कम्बाईन के द्वारा की जाती है जो कि पहले हाथ से की जाती थी और थ्रैशर से गेहूं को निकाला जाता था। इसलिए जो तूड़ी होती थी उसका उपयोग हो जाता था लेकिन वर्तमान समय में चाहे धान की पराली हो या फिर गेहूं की तूड़ी हो दोनों को ही जला दिया जाता है। इससे दो बड़े नुकसान हो रहे हैं। पहला तो यह कि जो किसान की भूमि है उसकी ऊपरी सतह अर्थात् त्वचा जलकर खराब हो रही है। इसके साथ ही भूमि में विराजमान मित्र कीट भी आग के कारण नष्ट हो जाते हैं। दूसरा इसका नुकसान यह है कि इससे पर्यावरण को भी काफी हानि पहुंचती है जिससे हमारे चारों तरफ के वातावरण में जहरीला धुआं फैल जाता है। इस बार इसका यह परिणाम देखने को मिला है कि गांवों के साथ-साथ शहर के लोगों की आंखों में भी जलन की समस्या पैदा हो गई। इसके साथ-साथ लोगों को दूसरी बिमारियों का भी सामना करना पड़ा। इस प्रकार से इसका लोगों के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। इसके

[श्री सुभाष बराला]

कारण किसान के लिए एक समस्या यह है कि कम्बाईन के साथ धान की कटाई के बाद जो पराली बच जाती है उसका किसान कोई उपयोग नहीं कर सकता। अगर वह ऐसे ही अपने खेतों की जुताई करे तो उसमें फसल होती ही नहीं है। ऐसी ही परिस्थितियां का सामना उसे गेहूं की फसल की कटाई के बाद भी करना पड़ता है। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से सरकार और विशेषकर माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हमें किसानों की इस समस्या के समाधान के लिए कोई न कोई ऐसा सिस्टम डिवैल्प करने के बारे में गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए जिससे किसान के खेत में गेहूं और धान की फसल को कम्बाईन से काटने के पश्चात् बचे अवशेष उसके खेत से उठ जायें जिससे उसको किसी भी प्रकार की परेशानी भी न हो और उसको थोड़ी-बहुत आमदन भी हो जाये। मैंने इस प्रकार की मशीन पटियाला में देखी है और कुरूक्षेत्र-कैथल रोड़ पर गांव मिर्जापुर में भी मैंने ऐसी मशीन देखी है। मैंने उन किसानों के पास जाकर उस मशीन के बारे में पूरी जानकारी भी प्राप्त की। उस मशीन के द्वारा गेहूं और धान की फसल के कम्बाईन की कटाई के बाद बचे अवशेषों के ब्लॉक्स बनाये जाते हैं। जिनका उपयोग थर्मल पॉवर प्लांट्स, भट्ठों व ऐसी ही दूसरी जगहों पर किया जा सकता है। ऐसा करके हम अपने पर्यावरण को भी नुकसान से बचा सकते हैं। इससे किसान को आमदनी भी हो जायेगी और उसकी ज़मीन की उर्वरा शक्ति को भी ऐसा करके बचाया जा सकेगा। इसलिए मैं यह चाहता हूं कि सरकार द्वारा इस प्रकार की मशीन किसानों को सबसिडाईज्ड रेट्स पर उपलब्ध करवाई जाये। इससे किसान की खेत की जुताई से सम्बंधित समस्या भी स्वत: ही समाप्त हो जायेगी। मेरा आपके माध्यम से सरकार से पुन: निवेदन है कि इसके ऊपर भी जल्द से जल्द काम शुरू किया जाये ताकि किसान और पर्यावरण दोनों को इससे होने वाली हानि से बचाया जा सके। अगर सरकार इस प्रोजैक्ट पर काम करती है तो यह एक क्रांतिकारी कदम होगा। इसलिए मैं पुन: कहना चाहता हूं कि सरकार इस बारे में कोई विशेष योजना बनाकर उसे जल्दी से जल्दी इम्पलीमैंट करे। इसमें किसान, हरियाणा और पूरे देश व समाज का हित निहित है। धन्यवाद।

श्री ओमप्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, श्री अभय सिंह यादव जी ने, भाई घनश्याम दास जी ने, श्री सुभाष बराला जी ने और श्री रणधीर सिंह कापड़ीवास जी ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की जिस चर्चा में हिस्सा लिया, मुझे लगता है कि उस सवाल में ही उसका जवाब है। सभी सदस्यों ने सवाल भी उठाये हैं और उस पर उत्तर भी दिये हैं।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, आपसे तो वे इम्पलीमैंटेशन की उम्मीद कर रहे हैं।

श्री ओमप्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, जितने भी अच्छे सुझाव हैं उन सबको मैंने ध्यानपूर्वक सुना है और वे सब आपके रिकॉर्ड पर भी आये हैं। निश्चित रूप से कृषि मंत्रालय ऐसी सभी प्रैक्टिसिज को शुरू करने का पक्षधर है। जो मेन कंसर्न है वह यह है कि हम खाद्यान में एक ऑप्टीमम लेवल पर पहुंच गये हैं और उससे किसानों की आमदनी कम हो गई है। हम 93 प्रतिशत भूमि पर खाद्यान्न उत्पन्न कर रहे हैं और 7 प्रतिशत भूमि पर हमारा बागवानी यानि होर्टीकल्चर है। अध्यक्ष महोदय, अभी पिछले दिनों हम बीजिंग जा कर आये हैं जिसमें श्री घनश्याम दास जी और डॉ. पवन सैनी जी भी मेरे साथ थे। बीजिंग के आस-पास चीन ने बिल्कुल नये कंसैप्ट के साथ खेती की है और उसको उन्होंने पैरी अर्बन एग्रीकल्चर कहा है। जिस प्रकार से हमारा एन.सी.आर. क्षेत्र है उसी प्रकार से उन्होंने अपने 18 हजार वर्ग किलोमीटर के एरिया

को पैरी अर्बन एग्रीकल्चर एरिया माना है। वहाँ पर वे नीड बेस्ड एग्रीकल्चर कर रहे हैं कि बीजिंग को क्या चाहिए। जिस प्रकार से एन.सी.आर. क्षेत्र को डिवैल्प करने के लिए हम मैट्रो रेल चला रहे हैं, अच्छी सड़कें बना रहे हैं या और बाकी सिस्टम खड़ा कर रहे हैं, तो हमें एन.सी.आर. में ही नई खेती खड़ी करनी चाहिए। उनका कंसैप्ट देख कर मुझे समझ आया कि हम दिल्ली के बॉर्डर के 5 किलोमीटर बाद भी गेहूँ क्यों उगा रहे हैं ? दिल्ली की आजादपुर मंडी में हम सब्जी भेजने की बजाय, आजादपुर मंडी से झज्जर में और रोहतक में सब्जी लेकर आते हैं उसके बाद वही सब्जी गांवों में जाती है। हम खेती करने वाले प्रदेश हैं इसलिए हमारे यहाँ से आजादपुर मंडी में सब्जी जानी चाहिए, फूल वहाँ जाना चाहिए। मैं कई बार कस्बों में देखता हूँ कि मदर डेयरी के दूध के पैकेट हमारे पास आ रहे हैं। दूध हमारे पास से उनको जाना चाहिए जबकि वह दूध वहाँ से प्रोसैस्ड हो कर हमारे पास आ रहा है। गुजरात इतनी दूर से दूध की सप्लाई कर रहा है और महाराष्ट्र तथा झारखंड सब्जी सप्लाई करते हैं। इसलिए हमारे पास एक अवसर है कि हम उस कंसैप्ट को अगर स्वीकार कर लें तो हमारे किसानों की इकॉनोमी बदल जायेगी। हम दिल्ली एन.सी.आर. गुड़गांव क्षेत्र की सब्जियों की जरूरतों को तेजी के साथ पूरा कर सकते हैं । इस नये कंसैप्ट के लिए जहाँ तक फंडिंग की बात है तो जिस प्रकार से मैट्रो के लिए फंड मिलता है या दूसरे कार्यों के लिए फंड मिलता है तो एन.सी.आर. क्षेत्र में कृषि के लिए भी हम केन्द्र सरकार से मांग करेंगे तो हमें फंड भी मिल सकेगा और हम किसानों का पूरा स्वरूप बदल पायेंगे। हम जिस वी.सी.एस. सर्कल में फंसे हुये हैं उसका मुख्य कारण है संगठित खरीद। इन खाद्यानों की एक ऑर्गेनाईज्ड खरीद हमारे यहाँ से होती है। जिस प्रकार से कई वक्ताओं ने बताया कि बाकी चीजों की संगठित खरीद नहीं है उससे किसान को लगता है कि वह अगर इससे परिवर्तित होता है तो उसके उत्पादों का क्या होगा। इसलिए फसल विविधिकरण के लिए यह आवश्यक है कि हम हर चीज की खरीद का एक ऑर्गेनाईज्ड पैटर्न खड़ा कर सकें जिससे किसान जो भी उत्पादन कर रहा है उसे वह बाजार में बेच सके तथा ठीक दाम ले सकें। हमें अपने किसान को उस रास्ते पर लाना पड़ेगा जहाँ वह केवल उत्पादन ही न करे बल्कि एक तरह से धन का उत्पादन करे यानि उसको क्रॉप पैटर्न, क्रॉप मैनेजमैंट और क्रॉप मार्केट मैनेजमैंट पर ध्यान देना पड़ेगा। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि हम 12 टमाटर 500 रूपये में नहीं बेच सकते लेकिन हम 12 गुलाब के फूल 500 रूपये में बेच सकते हैं। इसलिए उसको यह सोचना पड़ेगा कि मेरे लिए कौन सा क्रॉप पैटर्न अच्छा होगा ? उसको सोचना पड़ेगा कि मैं टमाटर की खेती करूं या गुलाब के फूलों की खेती करूँ। हमें किसान को इस विवेक के साथ आगे बढ़ाना पड़ेगा। खेती में एक दिक्कत सारी दुनिया में है कि खेती के बहुत सारे उत्पादों की प्राईसिज को सप्रैस करके रखा जाता है कि वे एक सीमा से ऊंचे न बढ़ें जिसके कारण सरकारों पर महंगाई बढ़ने का ऐतराज न आये। ज्यादा महंगाई बढ़ते ही राजनीतिक ऐजिटेशन शुरू हो जाते हैं। इस कारण से दुनिया के सब देश कीमतों को एक ही लेवल पर मेनटेन रखते हैं। इसी कारण से दुनिया के सब देशों में एग्रीकल्चर सैक्टर को सब्सीडाईज किया जाता है। अमेरिका, यूरोप सहित दुनिया के सब देश एग्रीकल्चर सैक्टर में सब्सिडी प्रदान करते हैं। इसलिए इस रास्ते से उसको आगे बढ़ाना है तो निश्चित रूप से यह जो सहयोग है वह जारी रखना पड़ेगा क्योंकि जो क्रोप पैटर्न चेंज होता है उसको नये बाजार की कीमत देना भी अपने आप में एक पक्ष है और जो सुभाष बराला जी कर रहे थे कि क्रोप पैटर्न चेंज करने से हम और कौन-कौन से उत्पाद निकाल सकते हैं। इनकी चर्चा के अनुसार हम इथनॉल में, बायो डीजल में, बायो पैट्रोल में, और बाकि चीजों में

[श्री ओमप्रकाश धनखड़]

जाते हैं तो शायद ज्यादा पैसा ले सकेंगे। खद्यान में से उतना पैसा नहीं ले सकेंगे। इसलिए जो अन्य प्रकार के प्रयोग हैं उन प्रयोगों को भी निश्चिल रूप से बढ़ाए जाने की आवश्यकता है जिससे किसान की आमदनी बढ़ सके। यह कन्सर्न बहुत व्यवहारिक और व्यापक है क्योंकि हमारी भूमि में बायो मैटीरियल केवल 20 प्रतिशत रह गया है और हमने सारी की सारी खेती फर्टिलाईजर पर डिपेंड कर ली है जिससे हमारी जमीन की उर्वरक शक्ति एक दम घटती जा रही है। मै एक बात और कहना चाहता हूँ भले ही विपक्ष अपनी सीटों पर नहीं बैठा है लेकिन मुझे कहने में कोई एतराज नहीं है। मैंने विभाग में आते ही पूछा कि हमारे सॉयल हैल्थकार्ड कितने बने हुए हैं तो विभाग ने बताया है कि हरियाणा में जितने किसान हैं उतने ही सॉयल हैल्थ कार्ड बने हुए हैं अर्थात 21 लाख किसान हैं तो 21 लाख ही सॉइल हैल्थ कार्ड बने हुए हैं लेकिन यह देखा गया है कि उनमें से अभी 2100 किसान भी उस हैल्थ कार्ड को प्रचलन में नहीं ले रहे हैं जिसके कारण सरकार किसानों के दोबारा से सॉयल हैल्थ कार्ड बना रही है। केन्द्र सरकार ने भी सॉयल हैल्थ कार्ड को प्रायर्टी स्तर पर लिया है। केन्द्र सरकार उसके लिए पैसा भी दे रही है। केन्द्र सरकार उसके लिए सॉयलटेस्टिंग मोबाईल वैन्ज भी दे रही है और उसको आगे बढ़ाते हुए क्योंकि ज्ञान केवल ज्ञान की पुस्तक में उपलब्ध है तो वह ज्ञान उपयोगी नहीं है। ज्ञान जब तक व्यवहार में नहीं आता तब तक उपयोगी नहीं बनता। इसलिए हमने रामबिलास जी से निवेदन किया है कि हम सॉयल टैस्टिंग और वाटर टैस्टिंग इन दोनों के एप्लाईड साइंस के माईक्रो लैवल के प्रयोगको स्कूली लैवल पर भी शुरू करवाना चाहते हैं ताकि जो किसान का बच्चा 9वीं,10वीं,11वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ रहा है वह अपने स्कूल में मिट्टी लाकर अपनी लैब में उसका माईक्रो लैवल टैस्ट करके देख लेवें और जब उसको उस मिट्टी के माइको लेवल के बारे में पता लगेगा कि यह मिट्टी माईक्रो लेवल की है तो वह लैब में जाकर उसका माईक्रो भी करा लेगा जिसकी उसको समझ आ जाएगी कि इससे मुझे क्या फायदा होगा। बच्चों में इसी ज्ञान को इसी समझ को सरकार आगे बढ़ाना चाहती है। आगे आने वाले तीन साल में सरकार हर खेत का सॉयल हैल्थ कार्ड बनाकर इस क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। जो कन्सर्न उठाया गया कि पानी की अति व्यापन के कारण जो जल आक्रान्ता और वाटर लोगिंग की स्थिति पैदा हो रही है जिसका उल्लेख श्री अभय सिंह जी ने किया है उसके लिए एक नई प्रकार का डेजर्ट सिस्टम बन रहा है ताकि पूरा हरियाणा माईक्रो इरीगेशन सिस्टम पर आ जाए और हम फलडिड इरीगेशन पूरी तरह से बन्द कर दें। इसलिए हमने हर खेत को पानी देने के लिए 14 पायलेट प्रोजैक्ट मिशन शुरू किये हैं जिसको हम इसी साल में शुरू कर रहे हैं। अगले साल हम हर ब्लॉक में एक 13.00 बजे पायलट प्रोजैक्ट शुरू करना चाहते हैं जिसको हर बार 10-20-30 गुना बढ़ा कर आने वाले 10 वर्षों में हम फ्लीडड इरीगेशन पूरी तरह से बन्द करके पूरे हरियाणा को माईक्रो इरीगेशन के लैवल पर ले आएं और जिससे उसका मार्केट सिस्टम और अच्छा हो जाए इसलिए गन्नौर की मण्डी बहुत तेजी के साथ डवैल्प हो रही है। एक फूल मण्डी मार्केटिंग बोर्ड की तरफ से प्रपोज की गई है कि गुड़गांव में एक फूल मण्डी विकसित की जाए। इसके अलावा उसमें और अच्छी जो प्रैक्टिसिज हैं जैसे वेस्ट कम से कम कैसे हो, पैकेजिंग अच्छी कैसे आए, कोल्ड चेन किस प्रकार से उपयोगी हो जाए। सब तरह से कृषि के स्वरूप का बदलाव कैसे हो और इसी बदलाव के लिए जो बीजिंग की चर्चा की है उसके लिए केन्द्र सरकार ने सबसे पहले एक मॉडल एग्रीकल्चर फार्म खड़ा किया है और सबसे पहले किसानों को वहां बुलाकर उनको दिखाया है कि तुम ऐसा फार्म

खड़ा करो। हम भी हर जिले में एक मॉडल एग्रीकल्चर फार्म खड़ा करना चाहते हैं। हमारा गन्नौर हॉर्टिकल्चर के लिए एक एक्सीलेन्सी सैंटर है। गांव मंगियाना जिला सिरसा में भी हॉर्टिकल्चर का ही एक फल एक्सीलेंसी सैंटर है। हम एक जिले में फूल सैंटर खोलना चाहते हैं और एक जिले में ऑरगेनिक का सैंटर खोलना चाहते हैं। हम हर जिले में एक एक्सीलेन्सीसैंटर खोलना चाहते हैं जिसको देखकर किसान अनुकरण कर सके और उसके हिसाब से चीजों को खड़ा कर सके। जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा कि विभाग पूरी तरह से इस बात को प्राथमिकता दे रहे हैं कि हम हरियाणा की खेती के स्वरूप को बदलें जिससे किसानों की आमदनी बढ़े और किसान अपनी भूमि की उर्वरा शक्ति को मेनटेन करके रखें तथा जल के भराव से फसलों में जो नुकसान हो रहा है उस जल अक्रांता को भी रोकें व किसानों की जेबें भी अच्छे दामों से सटे क्योंकि किसानों की खुशहाली के कारण ही प्रदेश की खुशहाली होती है। सरकार की मंशा है कि उस रास्ते पर प्रदेश को आगे बढ़ाएं। मैं इस चर्चा के लिए सभी सदस्यों का धन्यवाद करता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह यादव : दलाल साहब, आप अकेले कैसे आए आपके बाकी साथी कहां रह गये ?

श्री करण सिंह दलाल : अभय सिंह यादव जी, यह किसी अकेले व्यक्ति या समूह की बात नहीं है यह पूरे प्रदेश के किसानों के दु:ख-दर्द की बात है ।

(ii) गेहूं के नकली बीज से संबंधित

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण मुझे कर्ण सिंह दलाल विधायक द्वारा गेहूं के नकली बीज से संबंधित घोटाले के बारे में स्थगन प्रस्ताव संख्या-1 प्राप्त हुई है जिसको मैंने ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-15 में बदल दिया है। अब श्री कर्ण सिंह दलाल विधायक अपना कालिंग अटैंशन नोटिस पढ़ें।

श्री करण सिंह दलाल: धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सर, इससे पहले मैंने श्री अनिल विज जी के खिलाफ जो प्रिविलेज मोशन दिया है उसका फेट भी मुझे आप बता दें। आपने यह कहा था कि वह अण्डर कंसीडेशन है। उसको आप एक बार सदन में पढ़ देना क्योंकि उससे हमारी एक रूल की मर्यादा पूरी होती है।

श्री अध्यक्ष: अभी तो आप अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पढ़ें।

श्री करण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, मैं इस महान सदन का ध्यान एक अत्यावश्यक एवं लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि गत् रबी की फसल के दौरान असामयिक वर्षा के कारण गेहूं की अधिकतर फसल क्षतिग्रस्त हो गई थी। हरियाणा सरकार राज्य के किसानों के लिए गेहूं के बीज की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की बजाय निजी बीज सप्लायरों के हाथों में खेल रही है, जो हरियाणा बीज विकास निगम के प्रमाणित बीज के रूप में नकली गेहूं के बीज की सप्लाई कर रही है। सरकारी कर्मचारी निजी बीज सप्लायरों के साथ मिलकर गेहूं के बीज पर सब्सिडी से जेबें भर रहे हैं। राज्य के कृषि विश्वविद्यालय के प्रक्रिया के पैकेज के अनुरूप सरकारी एजेन्सियों ने 11.11.2015 को, समय से बोई जाने वाली गेहूं की किस्म अर्थात् एच.डी. 2967 तथा पी.बी.डब्ल्यू.-17 जो केवल 15.11.2015 तक ही बोई जा सकती है, के लिए ई-टैंडर

[श्री करण सिंह दलाल]

मांगे गए थे, वास्तव में सरकार गेहूं के बीज की देर से बोए जाने वाली किस्म का प्रबन्ध करने की भी प्रवाह नहीं कर रही है। यह केवल प्रमाणित गेहूं के बीज के रूप में नकली गेहूं के नकली बीज की खरीद करने के लिए किया जा रहा है। राज्य सरकार का यह कृत्य गेहूं की फसल तथा राज्य के किसानों का भविष्य जोखिम में डालेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि विभाग के मंत्री इस बारे में स्थिति स्पष्ट करे।

वक्तव्य

कृषि मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : अध्यक्ष महोदय, वर्तमान रबी सीजन के दौरान राज्य सरकार ने किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में गेहूं के प्रमाणित बीज उपलब्ध कराए हैं। किसानों को प्रमाणित बीज 6 सरकारी संस्थानों नामत: हरियाणा बीज विकास निगम, राष्ट्रीय बीज निगम, हैफेड, इफको, कृभको एवं एच0ए0यू0 के द्वारा बेचा जाता है। राज्य के सभी भागों में गेहूं बीज की मुख्य प्रचलित किस्मों के पर्याप्त मात्रा में बीज का सुलभ होना सुनिश्चित किया गया है। इन संस्थानों ने गेहूं की विभिन्न किस्मों के 5,83,880 क्विंटल प्रमाणित बीज हरियाणा के किसानों को 1875 रुपये प्रति क्विंटल के अनुमानित दरों पर बेचा है। बिजाई के मौसम के दौरान गेहूं की माध्यम एवं पछेती किस्मों का पर्याप्त मात्रा में बीज उपलब्ध करवाया गया है और राज्य सरकार गेहूं के प्रमाणित बीजों की निरन्तर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी।

यह सत्य नहीं है कि हरियाणा बीज विकास निगम द्वारा कोई भी अप्रमाणित या नकली बीज खरीदा गया है। हरियाणा बीज विकास निगम ने अपने खुद के कार्यक्रम के अन्तर्गत 2.03 लाख क्विंटल बीज की खरीद की है। गेहूं की एच0डी0-2967 एवं डब्ल्यू0एच0-1105 किस्मों का 75 हजार क्विंटल बीज निगम ने निजि बीज उत्पादकों से पारदर्शी ई-निविदा के द्वारा खरीद किया है। निगम ने डी0बी0डब्ल्यू0-17 किस्म का कोई बीज नहीं खरीदा है। निगम द्वारा उत्पादित बीज की सम्पूर्ण मात्रा हरियाणा राज्य बीज प्रमाणिकरण संस्था के द्वारा प्रमाणित की हुई हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री करण सिंह दलाल जी का और मेरा सलाहकार एक ही है। सुबह की सैर वह इनके साथ करता है और शाम की सैर मेरे साथ करता है। वह सुबह इनको सवाल बताकर जाता है और शाम को मुझे जवाब बताकर जाता है। वह मुझे यह भी बता जाता है कि मैंने श्री करण सिंह दलाल जी को बीज की स्पेलिंग गलत बताई है यह बीज पी.बी.डब्ल्यू. की बजाए डी.बी.डब्ल्यू. है। आप देख लेना ये गलत बतायेंगे। मुझे यह बात नही जच रही थी लेकिन वह बात ज्यों की त्यों सही निकली। माननीय सदस्य ने जो सवाल उठाया है उसके लिए बीज के बारे में मुझे कुछ अच्छी बातें कहने का मौका मिलेगा। माननीय सदस्य ने बीज की दो किस्मों के बारे में सदन को बताया है। उसके बारे में मैं सदन को बताना चाहूंगा कि इनमें से एक किस्म तो सरकार ने खरीदी ही नहीं है। जो डी.बी.डब्ल्यू.-17 की किस्म है इसकी कोई खरीद हमारे बीज निगम ने नहीं की। दूसरी किस्म एच.डी.-2967 है इस किस्म की बीज की खरीद हमने की है। उसके बारे में मैं सदन को बताना चाहूंगा कि इस किस्म के बीज का एक-एक बैग हमारे विभाग ने सर्टीफाईड बीज का खरीदा है। अगर दलाल साहब यह बता दें कि उस बीज का एक भी बैग अन-सर्टीफाईड है तो तुरन्त संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे क्योंकि इस किस्म का एक-एक बैग हमने सर्टीफाईड बीज का खरीदा है। माननीय सदस्य श्री करण सिंह

दलाल जी ने एक और सवाल एच.डी.-2967 किस्म के बारे में उठाया है कि यह अरली वैरायटी है। यह बात बिल्कुल ठीक है लेकिन सबसे ज्यादा किसानों की पसंद भी यही वैरायटी है। सरकारी दुकान पर आकर किसान सबसे ज्यादा इसी वैराइटी को मांगते हैं और इस किस्म की बिजाई किसान 25 नवम्बर तक तो अक्सर ही करते हैं लेकिन दिसम्बर महीने के अन्त तक भी करते रहते हैं। किसानों की मांग को देखते हुए हमने 20 नवम्बर को 20000 क्विंटल इस किस्म का बीज खरीदा और आज की तारीख में हमने वह सारा का सारा बीज बेच दिया है। केवल 7663 क्विंटल बीज हमारे पास बचा हुआ है और जो 7663 क्विंटल बीज हमारे पास बचा है वह बीज हमने जिस एजेन्सी से खरीदा है उससे यह कमिटमेंट लेकर खरीदा है कि अगर यह बीज हमारा नहीं बिका तो हम बचा हुआ बीज उस एजेन्सी को वापिस कर देंगे। हरियाणा बीज विकास निगम के पास एक बैग भी अतिरिक्त बीज नहीं बचेगा। दूसरी बात मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि पिछली बार गेहूँ की फसल खराब हो गई थी जिसके कारण जितनी मात्रा में बीज पैदा होना चाहिए था उतनी मात्रा में भी बीज पैदा नहीं हुआ। इसके कारण हमको बीज की खरीद करनी पड़ी। इसके लिए हमको इंतजाम भी ज्यादा करना पड़ा। सामान्यत: हमारा किसान 60 लाख एकड़ अर्थात् 24 लाख हैक्टेयर में यह फसल बोता है जिसके लिए कुल 24 लाख क्विंटल बीज की जरूरत पड़ती है। अक्सर 12 लाख क्विंटल बीज बाज़ार में उपलब्ध करवाया जाता रहा है जबकि किसान 50 प्रतिशत् अपना बीज इस्तेमाल करता है लेकिन इस बार हमको लग रहा था कि चूंकि 20 प्रतिशत् फसल खराब हुई है इसलिए हमको ज्यादा इंतजाम करना चाहिए। फलत: हमने इसके लिए ज्यादा इंतजाम किया जहाँ सरकार सरकारी सैक्टर में मोटे तौर पर 3 लाख क्विंटल बीज उपलब्ध करवाती थी वहीं हमने इस बार 1875/-रूपए प्रति क्विंटल के भाव से 5,83,880 क्विंटल प्रमाणित बीज उपलब्ध करवाया। जब बीज के भाव की बात आई तो हरियाणा बीज निगम के अधिकारियों ने मुझे कहा कि पिछली सरकार ने 225/- रूपए प्रति क्विंटल बीज के दाम बढ़ाए थे, आप भी 225/- रूपए प्रति क्विंटल बीज के दाम बढ़ा दीजिए। इस पर मैंने उनको नहीं में अपना जवाब दिया । मैंने उनको यह भी कहा कि जब फसल का समर्थन मूल्य 50/- रूपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया था तो मैं बीज के दाम भी 50/-रूपए प्रति क्विंटल ही बढ़ाऊंगा तथा पिछले वर्ष की भांति 225/- रूपए प्रति क्विंटल नहीं बढ़ाऊंगा। इसलिए पूरे राज्य के प्राईवेट सैक्टर में और सरकारी सैक्टर में भी खूब अच्छी तरह से प्रमाणित बीज की उपलब्धता हुई है तथा कहीं पर भी किसानों की तरफ से किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई है। मैं बड़े दावे व फख्र के साथ इस सदन में यह बात कह रहा हूँ कि बीज के एक-एक बैग के लिए सरकार जिम्मेवार है।

श्री करण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, रूल्ज़ के मुताबिक मैं 2 सप्लीमैंटरी पूछना चाहता हूँ। यह एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। किसानों की धान की फसल की परेशानी अभी तक खत्म नहीं हुई है तथा अगली फसल जो बोई जा रही है उसके बारे में प्रदेश में यह चर्चा हो रही है और किसानों के मन में उस बीज को देखने के बाद यह बात आ रही है है कि यह बीज वह बीज नहीं है जो सर्टिफाईड बीज होता है जैसा कि माननीय मंत्री जी कह रहे हैं। माननीय मंत्री जी मुझ से कह रहे हैं कि यह मैं साबित करूं कि यह बीज सर्टिफाईड कैसे नहीं है? (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा माननीय मंत्री महोदय से यह प्रश्न है जिसके बारे में यह सदन, हरियाणा की जनता तथा हमारे तमाम पत्रकार बंधु भी जानना चाहते हैं कि पहले वे यह फार्मूला बताएं कि सर्टिफाईड बीज कैसे बनता है ? इसका बाकायदा एक फार्मूला होता है। श्री धनखड़ साहब इस

[श्री करण सिंह दलाल]

महकमे के माननीय मंत्री हैं। इसलिए मेरी इनसे प्रार्थना है कि वे सदन में खड़े होकर बताएं कि जो बीज ये खरीद रहे हैं, वह बीज कैसे बनता है, उसको बनाने की क्या प्रक्रिया है ? पहले तो माननीय मंत्री जी सदन में यह बताएं कि किस प्रकार से हम बीज को सर्टिफाइड बीज की संज्ञा देते हैं, उसके बाद में अपना दूसरा सप्लीमैंटरी प्रश्न पूछूँगा। (शोर एवं व्यवधान) माननीय मंत्री महोदय ने मुझ से कहा है कि मैं यह साबित करूं कि यह बीज सर्टिफाईड कैसे नहीं है? इसलिए मैं यह साबित कर रहा हूँ कि यह बीज सर्टिफाईड नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि कृपया वे यह बताएं कि सर्टिफाईड बीज बनाने की क्या प्रक्रिया है? यदि माननीय मंत्री जी को इस प्रक्रिया के बारे में जानकारी नहीं है तो फिर सदन में मैं बताऊँगा कि सर्टिफाईड बीज को बनाने की क्या प्रक्रिया है? (हँसी) सर, मैं आपकी ईजाजत माँग रहा हूँ कि इस प्रक्रिया के बारे में माननीय मंत्री जी बताएंगे अथवा मैं बताऊँ ? मेरी यह प्रार्थना है कि या तो माननीय मंत्री जी सदन में कहें कि इनको सर्टिफाईड बीज बनाने की प्रक्रिया के बारे में पता नहीं है तथा यदि वे यह बात कहते हैं तो अपने विभाग से पूछकर व स्लिप मँगवाकर बताएँ। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश धनखड़: अध्यक्ष महोदय, दलाल साहब ही बता दें कि सर्टिफाईड बीज को बनाने की क्या प्रक्रिया है ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री धनश्याम दास: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि गेहूँ का सर्टिफाईड बीज पैदा करने के लिए पहले फाऊँडेशन बीज लिया जाता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, मैंने यह सवाल महकमे के मंत्री जी से पूछा है। यदि मंत्री जी में मेरे इस छोटे से प्रश्न का उत्तर देने की भी काबिलियत नहीं है तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कोई हक नहीं है कि ऐसे मंत्रियों को वे ऐसे महकमे दें जो सर्टिफाईड बीज की परिभाषा ही न समझते हों। (शोर एवं व्यवधान)

श्री धनश्याम दास: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि काबिलियत का प्रश्न ही नही उठता है। (शोर एवं व्यवधान) इन्होंने जो प्रश्न उठाया है उसका उत्तर दिया जा रहा है। ये तसल्ली से उत्तर तो सुनें। (शोर एवं व्यवधान) यदि उत्तर ठीक न हो तब ये बताएं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, मेरी यह प्रार्थना है कि मेरे इस प्रश्न का उत्तर माननीय मंत्री महोदय से दिलवाया जाए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: दलाल साहब, आपका जो विषय है वह नकली बीज के बारे में है तथा प्रशासनिक मामले में गड़बड़ के बारे में है न कि बीज कैसे पैदा किया जाएगा, कैसे नहीं किया जाएगा, के बारे में है ? (शोर एवं व्यवधान)

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : अध्यक्ष महोदय, पूरा विपक्ष मुद्दाविहीन है और इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: करण सिंह दलाल जी, अभी तक आपने जो दो मुद्दे उठाएं हैं वे लोगों से जुड़े हुए मुद्दे नहीं हैं बल्कि वे आपके अपने बनाए हुए मुद्दे हैं । (विघ्न

श्री ओम प्रकाश धनखड़ (कृषि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कल भी सदन में ऐसी बात कही थी। इनका गाय के थन वाला सवाल था जिसको पूरे हाउस ने देखा था। कानून के अंतर्गत जो जो बातें आती थीं हमने उन सबके बारे में इनको बता दिया था उसके बावजूद भी ये कल उस सवाल को लेकर आए थे। देश और प्रदेश में जो वातावरण बना वह कांग्रेस पार्टी ने बनाया था। कांग्रेस पार्टी के एक मुख्यमंत्री ने कुछ कहा था। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वे इस सदन के सदस्य नहीं हैं। उसके कारण पूरे देश का वातावरण बिगाड़ने की कोशिश की गई। ये कल उसी का हिस्सा यहां लेकर आए थे क्योंकि इन लोगों ने गाय के कानून का यहां समर्थन कर दिया तो ऊपर से अम्मा ने इनको धमकाया होगा कि आप कैसे हरियाणा में गाय के कानून का समर्थन करके आ गए और इसी वजह से ये अलग से सवाल लेकर आए।

श्री करण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, ये सर्टीफाइड बीज की डैफीनेशन बताएं और यदि इनको सर्टीफाइड बीज की डैफीनेशन नहीं पता तो ये हाउस से माफी मांगें। (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश धनखड़: करण सिंह दलाल जी, मैं सर्टिफाइड बीज के बारे में भी बताऊंगा। मैं भूगोल का विद्यार्थी रहा हूं और एग्रीकल्चर साइंस का भी विद्यार्थी रहा हूं। मैं कोई कृषि वैज्ञानिक नहीं हूं लेकिन कृषि मंत्री जरूर हूं। (विघ्न)

श्री करण सिंह दलाल: मंत्री जी, आप सर्टिफाइड बीज की डैफीनेशन बताएं और यदि आपको सर्टिफाइड बीज की डैफीनेशन का पता नहीं है तो आप पूरे हाउस से माफी मांगें । (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश धनखड़: करण सिंह दलाल जी, आप बीज के बारे में गलत बात कहकर सदन को गुमराह कर रहे हैं। (विघ्न)

श्री करण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी को सदस्य सीधे एड्रैस न करके चेयर को एड्रैस करना चाहिए।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को जब अपनी तरफ से कुछ कहना होता है तो सीधे सदस्य को भी एड्रैस करते हैं और हर तरह से हाउस की मर्यादा को भंग करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब ये खुद घिरते हैं तो आपकी तरफ होकर कहते हैं कि सदस्य सीधे एड्रैस न करके चेयर को ऐड्रैस करें। अध्यक्ष महोदय ये तो वही बात हुई कि दूसरों को नसीहत और खुद मियां फजीहत। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, आप सदन की गरिमा के रखवाले हैं और हम इनसे सीधे बात नहीं कर रहे इसलिए आप सबके ऊपर सदन की मर्यादा लागू करें। पहले भी सदन में रिक्वैस्ट आई थी कि इनकी कुर्सी को चैक करवाओ क्योंकि लगता है इनकी कुर्सी के नीचे कोई स्प्रिंग लगा हुआ है जिसकी वजह से ये 30 सैकेंड भी नहीं बैठ सकते।

श्री ओम प्रकाश धनखड़: अध्यक्ष महोदय, मैं इनको सर्टीफाइड बीज के बारे में बताना चाहता हूं। कोई भी फाउंडेशन बीज जो किसान को दिया जाता है वह सर्टिफाइड एजैंसी की देखरेख में उगाया जाता है। उसकी प्रोसैसिंग हमारी सर्टिफाइड एजैंसी की देखरेख में होती है। उस बीज को एक सर्टिफाइड बीज का सर्टिफिकेट दिया जाता है और उसी को सर्टिफाइड बीज कहते हैं।

श्री करण सिंह दलाल: मंत्री जी, आप गलत बता रहे हैं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: दलाल साहब, कृषि मंत्री के लिए यह जानना जरूरी नहीं है कि सर्टिफाइड बीज कैसे पैदा किया जाता है। मंत्री को तो व्यवस्था ठीक करनी है न कि सर्टिफाइड बीज पैदा करना। कल को तो आप कहने लगें कि हैल्थ मिनिस्टर को पता होना चाहिए कि ऑपरेशन कैसे करते हैं। यह जरूरी नहीं है कि हैल्थ मिनिस्टर ओपरेशन करना भी जानता हो। आप जिस खामियों को उजागर करने के लिए खड़े हुए हैं उस बारे में ही बताएं। या तो आप सिद्ध करें कि कहीं नकली बीज बिक रहा है या कहीं बीज की दिक्कत है और आपका जो मेन प्वांयट है आप केवल उसी पर चर्चा करें।

श्री करण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, आपके मुताबिक मैं अपनी बात पर आता हूं।(विघ्न)

श्री अध्यक्ष: मैंने अभी तक पूरे प्रदेश में कहीं भी बीज की कमी या दूसरी चर्चा के बारे में नहीं सुना लेकिन आप बहुत जोर दे रहे हैं, इसलिए मैंने आपका कालिंग अटैंशन मोशन लगाया है। आप बताओं की कहां बीज की कमी है ?

श्री करण सिंह दलाल : स्पीकर सर, आप मुझे बोलने का मौका तो दीजिए मैं आपको इस बारे में पूरी जानकारी दूंगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दलाल जी, मौजूदा सरकार के कार्यकाल में जैसा गेहूं का बीज बांटा गया है ऐसा इससे पहले कभी भी नहीं बांटा गया। सरकार के इस कार्य के लिए सरकार को चारों तरफ से प्रशंसा मिल रही है। इसलिए आपको भी प्रदेश में गेहूं का अच्छा बीज वितरित करने के लिए सरकार की सराहना करनी चाहिए।

श्री करण सिंह दलाल : स्पीकर सर, इस बारे में मेरा निवेदन सुनिए। यह मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि यह हरियाणा प्रदेश की जनता कह रही है। इन्होंने 11 नवम्बर, 2015 को अखबारों में ई-टैंडर दिया जो गेहूं की अगेती फसल के बारे में था । (विघ्न)

श्री रवीन्द्र माछरौली : स्पीकर सर, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। जिस प्रकार की माननीय सदस्य श्री करण सिंह दलाल बात कर रहे हैं वह तो ऐसे हो गया कि जैसे श्री कृष्ण लाल पंवार जी परिवहन मंत्री हैं हम इनको भी कहें कि ये बस चलाकर दिखायें। यह कोई ज़रूरी बात नहीं है।

श्री करण सिंह दलाल : स्पीकर सर, ये Package of Practices एच.ए.यू. जारी करता है। (विघ्न) सर, मैं इतने सीरियश इश्यू पर बात कर रहा हूं लेकिन यहां पर मेरी बात को ध्यान से नहीं सुना जा रहा है। मैं किसानों से जुड़े एक बहुत ही सीरियश इश्यू पर बात कर रहा हूं इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुना जाये। (विघ्न) सर, जो डॉक्यूमैंट मेरे हाथ में है यह Package of Practices है। मैं पूरे सदन की जानकारी के लिए अपनी बात को फिर से दोहरा देता हूं कि जो कृषि विश्वविद्यालय, हिसार है वह इसको जारी करता है। सबसे पहले तो मैं इस बारे में यह बताना चाहूंगा कि जो Package of Practices है उसे वर्ष 2015 में जारी नहीं किया गया। जो मेरे पास Package of Practices है यह वर्ष 2014 तक का है। (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : स्पीकर सर, मैं यह नहीं चाहता था कि हर बात में मैं कोई बुरी बात कहूं। मैं यह चाहता हूं कि यहां पर प्रत्येक विषय पर माननीय सदस्यों द्वारा हैल्दी डिस्कशन की जाये। (विघ्न) ये रैक्सिल वाली पार्टी है। बाहर की एक कम्पनी को फायदा पहुंचाने के लिए ये अनाप-शनाप तरीके अपनाकर उससे सामान खरीदते थे। (विघ्न) इस कम्पनी की सी.बी.आई. जांच हो रही है इसलिए माननीय सदस्य को इसकी तकलीफ है। मैं यह बात फिर से दोहराना चाहता हूं कि इस सरकार ने सब काम अच्छा और बहुत बढ़िया किया है। जो बीज किसानों को दिया गया है वह पूरी तरह से प्रमाणित बीज दिया है। मैं माननीय सदस्य को विशेष तौर पर यह कहना चाहता हूं कि हरियाणा के किसानों को जो गेहूं का बीज दिया है उसके एक-एक बैग की प्रमाणिकता के लिए हरियाणा के कृषि मंत्री के तौर पर मैं जिम्मेदार हूं।

श्री करण सिंह दलाल : स्पीकर सर, जैसा कि मैं यह बता रहा था कि जो यह Package of Practices है इसे एच.ए.यू. जारी करता है और वर्ष 2015 का एच.ए.यू. द्वारा Package of Practices भी जारी नहीं किया गया है। कोई भी माननीय सदस्य इस महकमे की किताब खोलकर या ई-मेल खोलकर इस बात को जान सकता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि वर्ष 2015 का भी Package of Practices जारी होना चाहिए था। इस सारे मामले में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ही यह तय करती है कि कौन सी किस्म के बीज की बिजाई किस तारीख तक हो सकती है? स्पीकर सर, जो माननीय मंत्री जी ने अखबारों में ई-टैंडर 11 तारीख को दिया इस गेहूं की उस किस्म के बीज की बिजाई की आखिरी तारीख है 17 नवम्बर और इस बारे में जो Package of Practices कहती है वह इस बारे में कहती है कि 15 नवम्बर, 2015 के बाद तो इस किस्म के बीज की बिजाई ही नहीं हो सकती। (विघ्न) स्पीकर सर, आप इन सभी माननीय सदस्यों को समझाईये इनका इस प्रकार से बात करने का कोई तरीका नहीं है। (विघ्न)

श्री मही पाल ढाण्डा : स्पीकर सर, माननीय सदस्य श्री करण सिंह जी बेतुकी बात कर रहे हैं आप इनके द्वारा की जा रही चर्चा को बंद करवाईए। हमारे कृषि मंत्री महोदय जी ने जब ऑन दी फ्लोर ऑफ दी हाऊस यह कह दिया है कि गेहूं का जो बीज हमारी सरकार द्वारा किसानों को दिया गया है उसके एक-एक बैग की प्रमाणिकता के लिए वे पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। इसके बाद इस बारे में कुछ भी बोलना शेष नहीं रह जाता। इसलिए मैं एक बार पुनः आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस चर्चा को बंद करवाकर हाऊस की आगे की कार्यवाही चलवाईये।

श्री करण सिंह दलाल : स्पीकर सर, यह बात मैं नहीं कह रहा हूं यह अखबार कह रहा है कि इन्होंने इसके लिए टैंडर 11 नवम्बर, 2015 को दिये। सर, मुझे अपनी बात पूरी नहीं करने दी जा रही है ये तो गलत बात है। (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : स्पीकर सर, जब मैंने यहां पर बात पूरी तरह से स्पष्ट कर दी है और अब हमारा सारे का सारा बीज बिक चुका है। अब हमारे पास बेचने के लिए बीज नहीं है। इसके बावजूद भी पता नहीं माननीय सदस्य श्री करण सिंह दलाल जी को किस बात की चिंता सताये जा रही है। मैं इस बात की गारंटी भी दे रहा हूं कि हमने किसानों को सर्टीफाईड़ बीज दिया है।

श्री करण सिंह दलाल : स्पीकर सर,जो बीज पर सबसिडी होती है उसको ये नकली बीज देकर हज्म करना चाहते हैं। ये किसानों का नहीं बल्कि उन व्यापारियों का फायदा करने में लगे हुए हैं जो नकली बीज बेचने का काम करते हैं। सर, जो बीज बनता है उसका तरीका मैं माननीय कृषि मंत्री के साथ-साथ पूरे सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि पहले न्युक्लियस सीड बनता है, फिर ब्रीदर सीड बनता है, फिर फाऊंडेशन सीड बनता है और उसके बाद सर्टीफाईड सीड बनता है। मैं माननीय कृषि मंत्री महोदय जी से यह पूछना चाहता हूं कि ये बतायें कि जिनसे इन्होंने बीज का स्टॉक लिया क्या उन्होंने न्युक्लियस सीड, ब्रीदर सीड, फाऊंडेशन सीड और सर्टिफाईड सीड की निर्धारित मर्यादायें पूरी की हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : देखिये दलाल साहब, यह जरूरी नहीं है कि आपने सर्टिफाइड बीज के बारे में पढ़ लिया है तो सभी को पता होगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ये बीज किसानों के लिए ही तो खरीद रहे हैं जबकि उसकी बुआई की तारीख ही निकल चुकी है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, आप उस बीज को नकली बीज सिद्ध करने की बजाय फाउंडेशन बीज और सर्टिफाइड बीज में चले गये कि सर्टिफाइड बीज कैसे बनता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, फाउंडेशन बीज से ही पता चलेगा कि वह असली है या नकली है। इन्होंने बाजार से ऐसे ही गेहूँ खरीद लिया और कट्टों में भर कर सर्टिफिकेशन की मोहर लगा दी और वही गेहूँ हरियाणा की मंडियों में बेच दिया और सब्सिडी का पैसा स्वयं हजम कर गये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओमप्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जिम्मेदार सदस्य हैं और मिथ्या आरोप न लगायें। ये जो आरोप लगा रहे हैं उसको रिकॉर्ड पर लें और जाँच करायें कि अगर ये गलत साबित होते हैं तो इनकी सदस्यता रद्द की जाये। अध्यक्ष महोदय, आप इनके आरोप को रिकॉर्ड पर लेकर आप जांच करवाईये और अगर ये गलत सिद्ध होते हैं तो इनकी सदस्यता रद्द की जाये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, कृषि मंत्री महोदय को थोड़ी सी शांति से मेरी बात सुननी चाहिए थी। यह बहुत गम्भीर मुद्दा है। मैं एक बार फिर निवेदन करता हूँ कि वह गेहूँ श्री ज्ञान चन्द गुप्ता जी की चक्की पर डाल दिया जाये ताकि किसानों का तो फायदा हो जायेगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओमप्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, दलाल साहब को तकलीफ इसी बात की है कि यह विभाग मेरे पास है। इनको बीज से मतलब नहीं है। ये कल भी यही बात कर रहे थे और आज भी वही बात कर रहे हैं। मैं इनको बताना चाहता हूँ कि ये चिन्ता न करें यह विभाग बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। यह बात पूरे हाउस ने सुनी है कि इन्होंने मुआवजा राशि 3 लाख रूपये बांटी है और हमने 6 लाख रूपये बांटी है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी बीज के बारे में बतायें न कि मुआवजा राशि के बारे में। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बीज के बारे में तो बता दिया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओमप्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य गलत बयानी कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, अगर मेरी एक भी बात गलत साबित हो जाये तो मैं इस्तीफा दे दूँगा अन्यथा मंत्री जी इस्तीफा दे दें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओमप्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं फिर से कह रहा हूँ कि माननीय सदस्य गलत बयानी कर रहे हैं। हमारे निगम ने एक भी दाना बीज बिना सर्टिफाइड के नहीं खरीदा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, आप एक कमेटी बना दीजिए, वह कमेटी जांच कर लेगी और अगर मेरी बात गलत साबित होती है तो मैं इस्तीफा दे दूँगा। मैंने जो ऑन रिकॉर्ड बोला है उसको अगर आप गलत साबित कर देंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा और अगर मंत्री जी मुझे गलत साबित नहीं कर पाये तो ये इस्तीफा दे दें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओमप्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं फिर से कह रहा हूँ कि माननीय सदस्य बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं। हमने बीज का एक भी बैग बिना सर्टिफिकेशन के नहीं खरीदा है। ये हाउस में गलत बयानी कर रहे हैं इसलिए हाउस यह तय करे कि इनकी सदस्यता रद्द की जाये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, आप कमेटी बनाईये। मैं ऑफर कर रहा हूँ कि आप कमेटी बनाईये और मेरी बात को गलत साबित करके दिखाईये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओमप्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, हर सवाल का संतोषजनक उत्तर देने के बावजूद भी ये हाउस का समय बर्बाद कर रहे हैं। ये सबसे बड़े टाईम किलर हैं। (शोर एवं व्यवधान)

वॉक-आउट

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का संतोषजनक उत्तर नहीं मिला है। इसलिए मैं इसके विरोध में सदन से वॉक-आउट करता हूँ। (शोर एवं व्यवधान)

(इस समय सदन में उपस्थित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सदस्य श्री करण सिंह दलाल अपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर अनुपूरक प्रश्न का संतोषजनक जवाब न मिलने के विरोध में सदन से वॉक-आउट कर गये।)

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, क्या आज आप सुबह वॉक करने नहीं गये थे ? (शोर एवं व्यवधान)

शिक्षा मंत्री (श्री रामविलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, दलाल साहब के वॉक-आउट का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ प्रिविलेज नोटिस दिया था उसका फेट तो बता दें।

श्री अध्यक्ष: दलाल साहब, आपने श्री अनिल विज, स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ जो प्रिविलेज नोटिस दिया था उसको मैंने डिसअलाऊ कर दिया है। नियम 281 के तहत आपका यह नोटिस सैशन शुरू होने से पहले मेरे पास आना चाहिए था लेकिन वह नोटिस लेट आया, इसलिए उसको डिसअलाऊ कर दिया गया है । (शोर एवं व्यवधान)

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव (पुनरारम्भ)

श्री ओमप्रकाश धनखड़ : आदरणीय अध्यक्ष जी, एक आदमी अपने घर आया और अपनी घरवाली को कहने लगा कि मैं शर्त जीत कर आया हूं, ये 100 रूपये ले। उसकी पत्नी ने कहा कि किस चीज की शर्त जीत कर आया है। वह कहने लगा कि बकरी के तीन थन होते हैं। वह कहने लगी कि बकरी के तो दो थन होते हैं तीन कहां होते हैं, वह कहने लगा कि मान जा तीन होते हैं। वह नहीं मानी जैसे कर्ण दलाल जी नहीं मान रहे थे। फिर बताई कि तीन थन होते हैं वह था थोड़ा गुस्सैल आदमी उसने मार-पीट शुरू कर दी। जब तक शरीर में जान थी जब तक तो वह नहीं मानी जब जान खत्म हो गई तो मान गई कि हां तीन थन होते हैं। वह कहने लगा कि है तो उसी की बहन। तेरा भाई भी इतना ही पिट कर माना था। वैसे ही कांग्रेस के अन्य सदस्य भी वाकआऊट करके गये थे और कर्ण दलाल भी वाक्आऊट करके ही गये हैं।

जिला कैथल एवं उसके आसपास के एरिया में पीने के पानी की समस्या से संबंधित मामला उठाना

श्री जयप्रकाश : अध्यक्ष महोदय, मेरा कालिंग अटैंशन मोशन था जिसका मुझे अभी पता लगा कि उसे आपने नामन्जूर कर दिया । मैं जानना चाहता हूँ कि क्यों नामंजूर कर दिया ? यहां मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं और मंत्री जी भी बैठे हैं। वैसे तो मैं एक सुझाव दूंगा कि मुख्यमंत्री जी पूरे हरियाणा प्रदेश में आजकल पानी की वजह से बहुत बीमारियां फैल रही हैं । इसलिए ज्यादा से ज्यादा कैनाल बेस्ड वाटर सप्लाई स्कीम्स बननी चाहिएं। हरियाणा प्रदेश के 10 जिले जो डार्कजोन घोषित हुए थे, कैथल जिला उनमें से एक है। मैं कैथल शहर और राजौंद कलां के इलाके की बात करूं तो कैथल शहर में कैनाल बेस्ड वाटर सप्लाई कुछ ईलाकों में है लेकिन जहां हुडा के सैक्टर हैं जैसे सैक्टर-18,19, 20, और सैक्टर-21 उनमें कोई कैनाल बेस्ड सप्लाई नहीं है। यदि आपका कोई वैज्ञानिक या आपकी कोई लैब यह कहती हो कि वहां का पीने का पानी मनुष्य के लिए बढ़िया है तो मैं दोबारा से प्रश्न नहीं उठाऊंगा और सदन से माफी मांगूंगा लेकिन आप वहां के पानी को चैक कराएं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि एक तो वहां पीने के पानी की सुविधा दी जाए और राजौंद का इलाका हेपेटाईटिस-सी की बीमारी से ग्रस्त है जिसमें पी.जी.आई. रोहतक ने केवल एक मात्र कारण वहां के ग्राउंड वाटर का ठीक न होना बताया है। अध्यक्ष महोदय, राजौंद इतना बड़ा कस्बा है फिर भी वहां पर न तो वाटर सप्लाई है और न ही वहां पर सीवरेज सिस्टम है। जो ये सैप्टिक टैंक बनते हैं और जो डी. बोर सबमर्सिबल लगते हैं उन दोनों का पानी मिल जाता है और वह गन्दा पानी पीने की वजह से लोग बीमार होते हैं। अध्यक्ष महोदय, आप तो कह देते हो कि आपका कालिंग अटेंशन मोशन

डिसअलाऊ कर दिया। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से एक अनुरोध करना चाहूंगा कि वह अपने समापन भाषण में कम से कम हरियाणा प्रदेश की जनता को यह संदेश दें कि लोगों को शुद्ध पेयजल पिलाने की जिम्मेवारी सरकार की है। मेरे कैथल जिले में जहां-जहां अशुद्ध पानी के पीने से यह बीमारी फैल रही हैं वहां पर नहर का पानी सप्लाई कराया जाए। बस मेरी इतनी सी बात थी। इसके साथ-साथ अन्त में एक बात और कहना चाहूंगा कि हेपेटाईटिस-सी जिसका मैंने पहले भी मामला उठाया था और कैंसर की बीमारी हमारे इलाके में बहुत ज्यादा फैल रही है। राजौंद से लेकर किठाना तक हर गांव में कम से कम 200-200 हेपेटाईटिस-सी के मरीज हैं जिनको प्रतिदिन रोहतक पी.जी.आई. में इन्जैक्शन लगवाने जाना पड़ता है। बी.पी.एल. परिवारों के लिए तो अब आपने ये इन्जैक्शन फ्री कर दिया है जोकि एक अच्छा काम किया है कि बी.पी.एल. परिवारों का ईलाज फ्री है। अब मंत्री जी भी सदन में आ गये है अगर वह ए.पी.एल. परिवारों का भी फ्री इलाज कर दें तो यह भी एक बहुत अच्छा फैसला होगा। मंत्री जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि इसके लिए जो इंजैक्शन लगते हैं उनकी व्यवस्था आप जिला हैडक्वार्टर पर कर दें ताकि लोगों को दूर न जाना पड़े। यही मेरा आपसे अनुरोध है।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज): अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक साथी ने हेपेटाईटिस-सी और कैंसर के बारे में अपनी चिन्ता व्यक्त की है। पहली बात तो मैं सदन को बताना चाहता हूं कि हेपेटाईटिस-सी कन्टामिनेटिड वॉटर से नहीं होता। यह एक गलत धारणा है क्योंकि डाक्टर्ज और साईंसटिस्ट्स इसको नहीं मानते। हेपेटाईटिस-सी केवल तभी होता है जब इन्फैक्टिड आदमी का ब्लैड दूसरे आदमी के ब्लैड के कान्टैक्ट में आता है चाहे वह निडल से आये या किसी दूसरे तरीके से आये। यह बात भी ठीक है कि हेपेटाईटिस-सी का इजैक्शन लगवाने के लिए लोगों को रोहतक जाना पड़ता है जोकि काफी दूर भी है और इस पर खर्चा भी आता है और हमारे तीन जिले हेपेटाईटिस-सी से इफैक्टिड हैं। यह मांग भी काफी समय से आ रही है कि इसके लिए इंजैक्शन लगाने का इंतजाम इन जिलों में ही कर दिया जाए। पहले हम यह सोच रहे थे कि क्यों न हम इसकी व्यवस्था अग्रोहा मेडिकल कालेज में कर दें। यह इजैक्शन लगभग चार हजार रूपये का एक आता था और इसके लिए रोहतक पी.जी.आई. इसलिए भेजना पड़ता था कि उस इंजैक्शन को कन्सर्न्ड डाक्टर की देखरेख में लगाना पड़ता था। अध्यक्ष महोदय, अब उस इंजैक्शन का एक सबस्टिच्यूट आ गया है। अब टैबलेट्स आ गई हैं। हमने टैबलेट्स की परचेज के आर्डर दे दिए हैं। अब किसी को हेपेटाईटिस-सी का इंजैक्शन लगवाने के लिए रोहतक नहीं जाना पड़ेगा बल्कि आसपास के सरकारी अस्पताल में वे टैबलेट्स मिलेंगी। अभी ये टैबलेट्स हम बी.पी.एल. के परिवारों को देते हैं लेकिन क्या हम इन टैबलेट्स को ए.पी.एल.परिवारों को भी दे सकते हैं इस बारे में एग्जामिन कराने के लिए मैंने विभाग को लिखा हुआ है। जहां तक खराब पानी की बात है तो हमारे काबिल मंत्री इस बात को बड़ी गम्भीरता से ले रहे हैं। मेरी इस बारे में उनसे बात भी हुई है। इसके बारे में हम चिन्ता कर रहे हैं।

जन-स्वास्थ्य अभियान्त्रिक राज्य मंत्री (श्री घनश्याम सर्राफ): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कैथल के जो हुडा के सैक्टर्ज हैं उनमें पेयजल की सप्लाई हुडा के म्यूबवैल्ज माध्यम से होती है बाकी सारे शहर में पानी की सप्लाई नहर आधारित दे रहे हैं और पानी हम साफ करके दे रहे हैं। 36 लाख लीटर पानी प्रतिदिन शोधन के यन्त्र लगे हुए है और प्रतिदिन वह पानी सप्लाई हो रहा है और 155 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन के हिसाब से हम पानी की सप्लाई कर रहे हैं। पूरे

[श्री घनश्याम सर्राफ़]

क्षेत्र में कहीं पर भी पानी की कमी नहीं है केवल कुछ कमी है तो वह हुडा के सैक्टर्ज में है। इस बारे में हमने हुडा के अधिकारियों से भी बातचीत की है और उनको आदेश दिया है कि वे इस बारे में कोई योजना तैयार करें ताकि हुडा के सैक्टर्ज में भी नहर आधारित पानी की सप्लाई की जा सके ताकि इस क्षेत्र की पीने के पानी की समस्या दूर हो जाये। दूसरी बात माननीय सदस्य ने राजौंद में पेयजल व्यवस्था को ठीक करने और सीवरेज सिस्टम डालने के बारे में कही है। उसके लिए हम आने वाले एक महीने के अन्दर एग्जामिन करवा लेंगे और अगर वहां पर जरूरत हुई तो उस पर हम अवश्य कार्यवाही करेंगे ऐसा आश्वासन मैं माननीय सदस्य को देता हूं।

अल्प अवधि सूचना सं0 2 एवं उस पर वक्तव्य

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मुझे श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक तथा दो अन्य विधायक श्री जसविन्द्र सिंह सन्धू और श्री परमिन्द्र सिंह ढुल द्वारा प्रदेश में अवारा पशुओं की समस्या से संबंधी अल्प अवधि चर्चा संख्या 2 प्राप्त हुई है। मैंने इसे स्वीकार कर लिया है अब श्री अभय सिंह चौटाला विधायक अपना यह नोटिस पढ़ेंगे लेकिन इस समय हाउस में उपस्थित नहीं है इसलिए इस पर कोई कार्यवाही नहीं होगी।

नियम 15 के अधीन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब संसदीय कार्य मंत्री नियम 15 के अधीन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं-

> कि आज के लिए निश्चित की गई कार्य की मदों पर की कार्यवाही को आज की बैठक में अनिश्चित काल तक नियम "सभा की बैठकें" के उपबन्धों से मुक्त किया जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ-

> कि आज के लिए निश्चित की गई कार्य की मदों पर की कार्यवाही को आज की बैठक में अनिश्चित काल तक नियम "सभा की बैठकें" के उपबन्धों से मुक्त किया जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

> कि आज के लिए निश्चित की गई कार्य की मदों पर की कार्यवाही को आज की बैठक में अनिश्चित काल तक नियम "सभा की बैठकें" के उपबन्धों से मुक्त किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

नियम 16 के अधीन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब संसदीय कार्य मंत्री नियम 16 के अधीन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री राम विलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ-

कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित रहेगी।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ-

कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित रहेगी।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

14:00 बजे

कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित रहेगी।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सदन की मेज पर रखे जाने वाले कागज-पत्र

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अब संसदीय कार्यमंत्री सदन के पटल पर कागज-पत्र रखेंगे।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री राम विलास शर्मा) : सर, मैं सदन के पटल पर निम्नलिखित कागज-पत्र रखता हूँ:-

The Excise and Taxation Department Notification No.23/H.A.6/2003/S.60/2015, dated the 24th September, 2015 regarding amendment in the Haryana Value Added Tax (Third Amendment) Rules, 2015, as required under Section 60(4) of the Haryana Value Added Tax Act, 2003.

विधान कार्य

(i) दि हरियाणा स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर करनाल

श्री अध्यक्ष: अब कृषि मंत्री हरियाणा राज्य उद्यान विज्ञान विश्वविद्यालय, करनाल, विधेयक, 2015 प्रस्तुत करेंगे तथा इस पर विचार के लिए प्रस्ताव पेश करेंगे।

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़): अध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव पेश करने से पहले मैं भारत के प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी व केन्द्र सरकार का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें हरियाणा में उद्यान विज्ञान विश्वविद्यालय खोलने के लिए प्रेरित किया तथा इसके लिए केन्द्र सरकार ने 50 करोड़ रूपए की प्रारम्भिक राशि हरियाणा सरकार को दी है। जिस रास्ते पर चलने के लिए पूर्व में चर्चा हो रही थी तथा जिस रास्ते पर हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं उस रास्ते पर आगे बढ़ने का एक मार्ग हरियाणा सरकार ने खोला है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने इस उद्यान विज्ञान विश्वविद्यालय को किसी एक ही स्थान पर खोलने की बजाए, इसके 3 रीजनल सैंटर्ज़, एक अम्बाला के नारायणगढ़ में, एक जींद में तथा एक झज्जर के एरिया में खोलने का निर्णय लिया है। इस प्रकार से व्यापक स्वरूप के साथ यह उद्यान विज्ञान विश्वविद्यालय करनाल में खुलने जा रहा है तथा आज यह महान् सदन इस उद्यान विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना का संकल्प ले रहा है।

[श्री ओम प्रकाश धनखड़]

अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा राज्य उद्यान विज्ञान विश्वविद्यालय, करनाल, विधेयक, 2015 प्रस्तुत करता हूँ।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूँ-

कि हरियाणा राज्य उद्यान विज्ञान विश्वविद्यालय, करनाल, विधेयक परतुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ-

कि हरियाणा राज्य उद्यान विज्ञान विश्वविद्यालय, करनाल, पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि हरियाणा राज्य उद्यान किसान विश्वविद्यालय करनाल विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : अब सदन विधेयक पर क्लॉज बाई क्लॉज विचार करेगा। सब क्लॉजिज़ 2 ऑफ

क्लॉजिज़-1

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है-

कि सब क्लॉज 2 ऑफ क्लॉज़1 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

क्लॉजिज़ 2 से क्लॉजिज़ 54

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है-

कि सब क्लॉज-2 से क्लॉज़-54 विधेयक का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सब क्लॉज़ -1 ऑफ क्लॉज़ -1

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है-

कि सब क्लॉज-1 ऑफ क्लॉज़-1 विधेयक का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

इनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है-

कि इनैक्टिंग फार्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फार्मूला हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

टाइटल

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है-

कि टाइटल विधेयक का टाइटल हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अब कृषि मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक पास किया जाए।

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़): सर, मैं प्रस्ताव करता हूँ-

कि इस विधेयक को पास किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ-

कि इस विधेयक को पास किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है-

कि इस विधेयक को पास किया जाए।

प्रस्ताव पारित हुआ

(ii) दि हरियाणा गौ सेवा आयोग (अमैंडमैंट) बिल, 2015

श्री अध्यक्ष: अब एक मंत्री हरियाणा गौ सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2015 प्रस्तुत करेंगे।

कृषि मंत्री (श्री ओमप्रकाश धनखड़) : अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा गौ सेवा आयोग संशोधन) विधेयक, 2015 प्रस्तुत करता हूँ। मैं यह भी प्रस्ताव करता हूँ कि हरियाणा गौ सेवा आयोग (संशोधन),विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ-

कि हरियाणा गौ सेवा आयोग (संशोधन), विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है-

कि हरियाणा गौ सेवा आयोग (संशोधन), विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्ष : अब सदन विधेयक पर क्लाज बाई क्लाज विचार करेगा ।

क्लॉज 2

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है -

कि क्लॉज 2 विधेयक का पार्ट बनें

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लॉज 1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है -

कि क्लॉज1 विधेयक का पार्ट बनें

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[श्री ओम प्रकाश धनखड़]

इनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि इनैक्टिंग फार्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

टाईटल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि टाईटल विधेयक का टाईटल हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्ष : अब मंत्री जी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पास किया जाए ।

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ-

कि विधेयक पास किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ-

कि विधेयक पास किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि विधेयक पास किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(iii) दि हरियाणा प्राईवेट यूनिवर्सिटीज (अमैंडमैंट) बिल, 2015

श्री अध्यक्ष: अब शिक्षा मंत्री हरियाणा निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2015 प्रस्तुत करेंगे तथा इस पर तुरन्त विचार के लिए प्रस्ताव पेश करेंगे।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2015 प्रस्तुत करता हूँ। मैं यह भी प्रस्ताव करता हूँ कि हरियाणा निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ-

कि हरियाणा निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है -

कि हरियाणा निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्ष : अब सदन् विधेयक पर क्लाज-बाई-क्लाज विचार करेगा ।

क्लॉज - 2

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है -

कि क्लॉज - 2 विधेयक का पार्ट बनें

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लॉज - 1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है -

कि क्लॉज-1 विधेयक का पार्ट बनें

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

इनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि इनैक्टिंग फार्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

टाईटल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि टाईटल विधेयक का टाईटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : अब शिक्षा मंत्री जी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पास किया जाए।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ-

कि विधेयक पास किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ-

कि विधेयक पास किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि विधेयक पास किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(iv) इन्दिरा गांधी यूनिवर्सिटी , मीरपुर (अमैंडमैंट एण्ड वैलिडेसन) बिल, 2015

श्री अध्यक्ष: अब शिक्षा मंत्री इन्दिरा गांधी विश्वविद्यालय, मीरपुर (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) विधेयक, 2015 प्रस्तुत करेंगे तथा इस पर तुरन्त विचार के लिए प्रस्ताव पेश करेंगे।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, मैं इन्दिरा गांधी विश्वविद्यालय, मीरपुर (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) विधेयक, 2015 प्रस्तुत करता हूँ। मैं यह भी प्रस्ताव करता हूँ कि हरियाणा निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, पर तुरन्त विचार किया जाए।

[श्री राम बिलास शर्मा]

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ-

इन्दिरा गांधी विश्वविद्यालय, मीरपुर (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) विधेयक, पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है -

इन्दिरा गांधी विश्वविद्यालय, मीरपुर (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) विधेयक, पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्ष : अब सदन विधेयक पर क्लाज-बाई-क्लाज विचार करेगा।

क्लॉज-2

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि क्लॉज-2 विधेयक का पार्ट बनें

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लॉज - 3

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि क्लॉज-3 विधेयक का पार्ट बनें

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लॉज-1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि क्लॉज-1 विधेयक का पार्ट बनें

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

इनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि इनैक्टिंग फार्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फार्मूला हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

टाईटल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि टाईटल विधेयक का टाईटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्ष : अब शिक्षा मंत्री जी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पास किया जाए।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ-

कि यह विधेयक पास किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ-

कि यह विधेयक पास किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि यह विधेयक पास किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(v) दि हरियाणा पंचायती राज (अमैंडमैंट) विधेयक, 2015

श्री अध्यक्ष: अब विकास एवं पंचायत मंत्री हरियाणा पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2015 प्रस्तुत करेंगे तथा इस पर तुरन्त विचार के लिए प्रस्ताव पेश करेंगे।

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़): अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2015 प्रस्तुत करता हूँ मैं यह भी प्रस्ताव करता हूँ कि हरियाणा पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ-

हरियाणा पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है -

हरियाणा पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : अब सदन विधेयक पर क्लाज-बाई-क्लाज विचार करेगा।

क्लॉज - 2

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि क्लॉज-2 विधेयक का पार्ट बनें

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लॉज - 1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि क्लॉज-1 विधेयक का पार्ट बनें

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि इनैक्टिंग फार्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[श्री अध्यक्ष]

टाईटल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि टाईटल विधेयक का टाईटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : अब शिक्षा मंत्री जी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पास किया जाए।

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ -

कि यह विधेयक पास किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ-

कि यह विधेयक पास किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि यह विधेयक पास किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

मुख्यमंत्री द्वारा बिजली की बढ़ी दरों के बारे में वक्तव्य

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, दो दिन का यह शीतकालीन सत्र आज समाप्ति पर आ गया है। पिछले दो सत्रों में हमें लगा था कि जो मर्यादाएं हमने उन सत्रों में देखी और बनाई उन्हीं के अनुसार हम आगे बढ़ेंगे और उन्हीं के अनुसार सत्र चलायेंगे तो सबको अच्छा लगेगा। हमारी संसदीय प्रणाली में लोकतांत्रिक तरीके से जन-समस्याओं को उठाने के लिए ज्यादा समय मिले, उसका हम एक ठीक नमूना पेश करेंगे लेकिन आज मुझे इस बात का बहुत कष्ट हो रहा है कि जो बातें हम सोच रहे थे उस पर हम खरा नहीं उतर पाये। हमारे विपक्ष के मित्रों ने जो वातावरण यहाँ पर बनाया उससे मुझे लगता है कि वे सदन रूपी प्लेटफार्म का उपयोग राजनीति के लिए करने की अपनी इच्छा को रोक नहीं पाये। शायद पिछले वर्षों में इतने सत्रों में यही काम वे करते रहे होंगे लेकिन यहाँ उनको पहली बार अलग वातावरण मिला है। यहाँ पर तो अपनी बात को अध्ययन के साथ और तथ्यों के साथ कहने का लाभ मिलता है, इसके अलावा कोई लाभ नहीं होगा। बिना तथ्यों के किसी बात को मन में बैठा कर उसकी जिद पर अड़ जाना कि हम जो चाहते हैं वही हो, ऐसा लोकतांत्रिक पद्धति में अच्छा नहीं लगता है। मैं यह चाहता था कि ये सारी बातें हरियाणा की जनता तक स्वयं इन सदस्यों के माध्यम से पहुंचाई जायें लेकिन इस समय विपक्ष के हमारे साथी नहीं हैं इसलिए मैं मीडिया के अपने मित्रों का आभार प्रकट करूँगा कि हमारी इस बात को वे जनता तक जरूर पहुंचाएं। हमारे हरियाणा का अपना एक इतिहास है। हरियाणा का महत्व उसके ऐतिहासिक तथ्यों में से मिलता है। हरियाणा की भूमि गीता की भूमि मानी जाती है, भगवान श्री कृष्ण की भूमि मानी जाती है। यहाँ की भूमि नेचूरल रिसोर्सिज से ओतप्रोत, यहाँ की मेहनतकश जनता, यहाँ का नौजवान जिसका पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में उल्लेख किया जाता है कि यहाँ का नौजवान बड़ा बलशाली, बड़ा हिम्मती और रिकॉर्ड बनाने वाला है। वह किसी भी हद तक जा सकता है इसका एक उदाहरण मैं एक बार

फिर दोहरा रहा हूं। हमारे देश की आबादी भले ही 2 प्रतिशत है लेकिन फिर भी हमारी सुरक्षा सेवाओं में 10 प्रतिशत हरियाणा के नोजवान हैं जोकि अपने आप में हरियाणा के नोजवान की बहुत बड़ी हैसियत को दर्शाता है। अब हम इन बातों में और भी आगे बढ़ सकते हैं जिसके लिए हमने योजनाएं बनाई हैं और निश्चित रूप से हमारा युवा हमारा नोजवान हमारे हरियाणा का हर व्यक्ति चाहे वह पुरूष हो या महिला हो किसी भी जाति का हो, किसी भी प्रकार से अपने किसी टेलैंट को बढ़ाकर देश में, दुनिया में आगे बढ़ सकते हैं इसके लिए हम आगे रास्ता बना रहे हैं। जब से हरियाणा 1 नवम्बर 1966 से बना उस दिन से और आज तक कई मुख्यमंत्री आए और जो भी मुख्यमंत्री आता है वह उसी पार्टी का होता है जो पार्टी बहुमत में आती है। जिसकी सत्ता होती है, सरकार होती है उनकी यह इच्छा होती है कि हम जनता के लिए कुछ विशेष काम करके जाएं। हरियाणा का गठन वर्ष 1966 में हुआ चौधरी बंसीलाल जी के बारे में कहते हैं कि उन्होंने अपने कार्यकाल में हर गांव में बिजली पहुंचाई जिसको सब मानते हैं कि बिजली पहुंचाई है। एक अच्छा काम उनके खाते में उनके रिकॉर्ड में गया है। चौधरी देवीलाल जी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने वृद्धों की सम्मान पैंशन शुरू की। वह भी एक अच्छा काम करके गये जिसके लिए वह हमेशा हमेशा के लिए जाने जाते रहेंगे। चौधरी भजनलाल जी के बारे में भी कहा जाता है कि उन्होंने अनुसूचित जातियों की सब बस्तियां जिन बस्तियों में बिजली नहीं होती थी उन बस्तियों में एक कार्यक्रम के तहत बिजली पहुंचाई। इस तरह सभी लोगों ने अपने-अपने तरीके से काम किये हैं सब अच्छे काम करते हैं और अच्छे कामों से उन लोगों को उनके चले जाने के बाद भी याद किया जाता है। न्यून कामों के लिए भी हम चर्चा करेंगे कि इसमें कैसे सुधार हो। अब 10 सालों की 15 सालों की जो न्यूनताएं है वह आज हमारे सदन के सामने हैं उनको ठीक करने के लिए आज हमारी जिम्मेवारी है तो हम उनको ठीक करेंगे। एक-एक बात को ठीक करेंगे चाहे वह भ्रष्टाचार की कथा व कहानियां हैं, चाहे व्यवस्थाओं को बिगाड़ने का काम हो, उन सबको हम ठीक करेंगे और ठीक करते-करते आगे बढ़ने का यह हमारा जो संकल्प है उसको हम साथ लेकर चलेंगे। लेकिन कोई हमें कुछ अनाप-शनाप कहकर और बिना तथ्यों के हमारी गति को कम करना चाहेगा तो उसके लिए हम अपनी गति बिल्कुल भी कम नहीं होने देंगे। हम अपने संकल्प और दृढ़ शक्ति से उसको आगे बढ़ाएंगे और इसको कहीं भी रूकने नहीं देंगे। हमारा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ेंगे। उसमें कोई हमको रोकने की कोशिश करेगा तो हम रूकेंगे नहीं।

'ये राहें ले ही जाएंगी मंजिल तक,
कभी सुना है अंधेरे ने कभी सवेरा न होने दिया हो।'

इसलिए अंधेरा सवेरे को रोक नहीं सकता, सवेरा आएगा और हम उन्हें संकल्प बद्ध तरीके से लेकर आगे बढ़ेंगे ।

'हम चिराग हैं हमारी दुश्मनी तो अंधेरे से है,
ये हवा तो खामखा हमारे पीछे पड़ी है ।'

[श्री मनोहर लाल]

हम इन अंधेरों को दूर करने के लिए आगे आए हैं जिसको हम निश्चित रूप से दूर करेंगे। इसमें कई कीर्तिमान खड़े होने शुरू हो गये हैं जैसे अंग्रजी की इण्डिया टुडे मैग्जीन का16 नवम्बर 2015 का अंक है इस अंक में उन्होंने अपने-अपने प्रकार से सभी प्रदेशों का मूल्यांकन किया हैं। उसमें एक मूल्यांकन छपा है। अब मैं ये नहीं कहता कि हमारे आने से ही योगदान हुआ है इसमें आखिर पहले की सरकारों का भी योगदान हो सकता है। लेकिन हम आगे बढ़ रहे हैं जिसका संदेश हम निश्चित रूप से देना चाहेंगे। जहां पर हम पीछे हैं वहां हम आगे बढ़ने का संकल्प करेंगे। वर्ष 2014 में मैक्रो अर्थव्यवस्था में हरियाणा 9वें नम्बर पर था। जिसके बारे में मैं बहुत प्रसन्नता से इस सदन को बताना चाहता हूं कि वर्ष 2015 के इण्डिया टुडे मैग्जीन के सर्वे में हरियाणा का स्थान मैक्रो इकोनोमी में नम्बर-1 हो गया है। इसी प्रकार पहली बार इण्डिया टुडे मैग्जीन ने पर्यावरण की दृष्टि से अपना जो मूल्यांकन करवाया है उसमें पहले तो उनके मूल्यांकन में पर्यावरण आता नहीं था लेकिन अब पहली बार उन्होंने पर्यावरण का मूल्यांकन करवाया है उसमें पहली बार में ही हमारा हरियाणा पर्यावरण मूल्यांकन में नम्बर-1 पर आया है। शिक्षा के क्षेत्र में भी वर्ष 2014 में हमारा हरियाणा 8वें नम्बर पर था और अब हमारा हरियाणा शिक्षा के क्षेत्र में चौथे स्थान पर आया है। इसमें और अभी गुंजाईश है। हम आगे बढ़ रहे हैं हमारी जितनी भी आई.टी. की व्यवस्थाएं हैं, जितनी हम ट्रांसपेरेंसी लेकर आए हैं इसमें भी पिछले दिनों में हरियाणा को दो भागों में बांटा गया है। दो क्षेत्रों के अन्दर नम्बर एक का स्थान हमें मिला था जिसका प्राईज हमें मिला है। इस नाते से एक-एक क्षेत्र को हम आगे बढ़ा रहे हैं हम इसमें कभी पीछे नहीं हटेंगे। व्यवस्थाओं को ठीक करने में कभी कभी थोड़े निर्णय ऐसे लेने पड़ते हैं जो जनता को भी कठोर लगते हैं। उसकी कठिनाई के बारे में हम को भी पता है कि क्या-क्या कठिनाई है। एक चर्चा मैं सदन में इसके बारे में जरूर करना चाहूंगा और वह है बिजली क्षेत्र की। पॉवर सैक्टर में हम इस समय एक कठिन दौर से होकर गुजर रहे हैं और उस कठिन दौर की अगर सीधी सीधी जिम्मेदारी डालनी होगी तो निश्चित तौर पर वह पिछली सरकारों पर डालनी होगी। क्योंकि हमें विरासत में वे इतना बड़ा गड्ढा देकर गये हैं कि इस गड्ढे को भरने के लिए हमको सबका सहयोग भी चाहिए। इस बारे में सरकार को थोड़े निर्णय भी करने होंगे ताकि हम व्यवस्थाओं के अनुसार इस सिस्टम को ठीक कर सकें। जब हम सरकार में आये तो हमको ध्यान में है कि उस समय हमारे ऊपर बिजली क्षेत्र का लगभग 26912 करोड़ रूपये का कर्ज था और यह इस वर्ष भी कोई कम होने की स्थिति में हम नहीं आए हैं बल्कि यह कर्ज बढ़कर 29102 करोड़ रूपये हो गया है। अब जब कर्ज इतना बढ़ेगा और कर्ज का अगर दस प्रतिशत की दर से ब्याज बढ़ता है तो साल में 3000 करोड़ रूपये तो ब्याज का बढ़ जायेगा। जहां बिजली की चोरी की जो पिछली सरकारें व्यवस्थाएं छोड़कर गयी हैं और पिछली सरकारें लोगों को आह्वान करती रही हैं उसके बारे में बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है। हमारे विपक्षी दल सदन में बैठे नहीं है जो कभी एक ओर से कभी दूसरी ओर से सीधे सीधे लोगों को यह आह्वान करते रहे हैं कि बिजली के बिल नहीं भरने हैं। साथ में अलग कंडीशंज लगाते हैं। आज भी उन्होंने यह कंडीशन लगाई कि सरकार बिजली के बिलों को वापिस ले तभी वे सदन में वापिस आयेंगे। हमारे कहने का मतलब है कि फिर इस सिस्टम में सुधार लाने की व्यवस्था कैसे करें कि इसमें सुधार कैसे लाया जाए ? आखिर तो बिजली एक कमोडिटी है। बिजली जितनी खर्च की जायेगी उतना ही उसका जो लोड है वह जनता के ऊपर डालना पड़ेगा। अन्तर हम एक कर सकते हैं कि क्रॉस

सब्सिडी के नाते से जो बी.पी.एल. परिवार हैं, जो इस बोझ को वहन नहीं कर सकते हैं उनके बिजली के बिल कम रखे जा सकते हैं लेकिन जो पेयर्स हैं जो बिजली का बिल पे कर सकते हैं उनके ऊपर क्रॉस सब्सिडी के नाते यह बोझ डालना ही पड़ेगा। हमने जो बिल बढ़ाने की बात की और जैसा कि मैंने बताया कि Government is always in continuation. जब कोई सरकार आती है तो उसको अपने सारे निर्णय अलग से करने होते हैं ऐसा नहीं है। यह जो बिजली के रेट बढ़ाने का निर्णय भी करना पड़ा यह पिछली सरकार की कैबिनेट ने किया था। यह निर्णय हमारी सरकार ने नहीं किया। पिछली सरकार की कैबिनेट ने 29 मार्च, 2013 की मीटिंग में प्रस्ताव मन्जूर किया था जिसके अनुसार वर्ष 2015-16 में कुल मिलाकर 15 प्रतिशत बिजली बढ़ाने की बात उन्होनें कही थी और केवल वर्ष 2015-2016 में ही नहीं बल्कि वर्ष 2016-17 में भी दस प्रतिशत रेट बढ़ाने की बात कही हुई है। कही हुई क्यों है कि बिजली बोर्ड की व्यवस्थाएं इतनी खराब हो गई हैं कि जो कर्ज था उस कर्ज को उतारने की बात तो नहीं की गई बल्कि नया कर्ज लेने की जब बात आई तो मना कर दिया गया और यह शर्त लगा दी कि बिजली विभाग को हम कर्ज तब तक नहीं देंगे जब तक आप बिजली के रेट नहीं बढ़ाते । उसके अनुसार हमने सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखा कि उपभोक्ता पर इतना वजन नहीं डालना चाहिए। हमने साढ़े आठ प्रतिशत की सहमति की थी लेकिन जैसा कि आपने स्वंय बताया है कि बिजली का टैरीफ बढ़ाना सरकार का काम नहीं है। यह टैरीफ रेगूलेटरी कमीशन बढ़ाता है और रेगूलेटरी कमीशन ने जिस प्रकार से बिजली के टैरीफ बढ़ाये वे निश्चित रूप से कहीं ज्यादा थे। इस बारे में हम को भी पता लगा और हमने इस बारे में अपील की कि इतना टैरिफ ज्यादा हैं और जनता पर इतना बोझ नहीं डालना चाहिए। अन्ततोगत्वा हमारी अपील को माना भी गया और उस में से 6.3 प्रतिशत की कमी कर दी गई। कमी होने के बाद उपभोक्ता के आगे के जो बिल हैं वे अब कम होकर आयेंगे। जिनके बिल पहले दिए जा चुके हैं या ज्यादा भरे जा चुके हैं उनको रिफण्ड होगा और जिन्होंने पहले बिजली के बिल नहीं भरे हैं उनको भी तुरन्त बढ़े हुए बिल भरने की बजाए उनको आगे पांच बिलों में यानी दस महीने तक क्योंकि बिल दो महीने में आता है इसलिए पांच किस्तों में नई दर से भरा जा सकता है। अब हम व्यवस्थाएं बना सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि बिजली के बिलों में सुधार करने की बात तो हम करेंगे। इसके लिए लगातार सुधार करने की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं ताकि इसकी कॉस्ट और परचेज कम कैसे हो और कैसे हम इसमें सुधार ला सकते हैं, बिजली की चोरी को कैसे रोक सकते हैं, बिल की रिएलाईजेशन कैसे कम हो सकती है और बिजली की हमारी कॉस्ट कम कैसे हो सकती है ? मैं भारत सरकार की कैबिनेट का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इस बार एक फैसला लिया है तथा 'उदय' नाम की स्कीम के अंतर्गत एक प्रावधान किया है जिसके मुताबिक जो उस समय के घाटे हैं, उनमें से 75 प्रतिशत् घाटा यह सरकार युटिलिटीज़ से लेकर अपने जिम्मे लेगी तथा इसके बौंड जारी करेगी। इस संबंध में लगभग 24 हजार करोड़ रूपए के बौंड जारी करके हम बिजली युटिलिटीज़ के ऊपर वज़न कम कर देंगे ताकि यह कर्ज उनको न देना पड़े तथा ब्याज के अथवा अन्य घाटे उनके ऊपर न पड़ें। इस प्रकार कुल मिलाकर हमको लगभग 1,000 करोड़ रूपए का लाभ होने वाला है। सरकार द्वारा दिए जाने वाले कर्ज का ब्याज लगभग 8.5 प्रतिशत् पड़ता है और बिजली युटिलिटीज़ के कर्ज, जो लोग लेंगे, उनको लगभग 12.5 प्रतिशत् ब्याज देना पड़ेगा। इस प्रकार से अगर 24,000 करोड़ रूपए के ऊपर 4 प्रतिशत् का अंतर आता है तो वर्ष का 4 प्रतिशत् लगभग 960 करोड़ रूपए का हमको लाभ होगा। इस प्रकार की व्यवस्था हम ने की है। इसी प्रकार से व्यवस्थाओं में इन्फ्रास्ट्रक्चर को चेंज करने पर भी हम विचार कर रहे हैं। धरों व कॉलोनियों के

[श्री मनोहर लाल]

ऊपर जितनी हाई-टैंशन वायर, लो-टैंशन वायर गुजर रही है। अभी तक तो यह होता था कि जिसको यह वायर हटवानी होती थी वे बिजली विभाग में बाकायदा पैसा जमा करवाते थे लेकिन हमको लग रहा है कि शायद यह संभव नहीं है क्योंकि कॉलोनियाँ भी बन गई हैं तथा वहाँ पर हाई-टैंशन वायर व लो-टैंशन वायर रखना उचित भी नहीं है। इसलिए हम बिजली बोर्ड के खर्चे पर ही इन सब तारों को हटायेंगे जिसकी योजना हम धीरे-धीरे बना रहे हैं। (थंपिंग) बिजली के नये कनैक्शन अभी तक अनअथोराईज्ड कॉलोनियों में नहीं दिए जाते थे। चूंकि अनअथोराईज्ड कॉलोनी बनना एक विषय है लेकिन वहाँ पर बिजली व पानी की सुविधा देना एक दूसरा विषय है। आज युग बदल गया है। इस युग में हर परिवार को पानी भी चाहिए बिजली भी चाहिए इसलिए हम ने यह तय किया है कि अनअथोराईज्ड कॉलोनी बन रही है या नहीं बन रही है यह देखना अर्बन लोकल बॉडीज़ या हुड्डा विभाग या किसी और विभाग का काम हो सकता है, लेकिन यदि कोई मकान बन गया है और उसमें परिवार रहने लग गया है तो फिर हम बिना इस गारंटी के कि बिजली का बिल कब्जे या अथोराईजेशन का कोई आधार या प्रूफ बनेगा या नहीं बनेगा, हम उसको बिजली का कनैक्शन देंगे ताकि कोई भी परिवार बिना बिजली के न रह सके। ऐसा करने से विभाग को भी लाभ होगा क्योंकि आज के समय में अनअथोराईज्ड कॉलोनियों में सब लोग बिजली तो ले रहे हैं चाहे वे कुण्डी कनैक्शन के माध्यम से ले रहे हैं अथवा चोरी करके ले रहे हैं। अब चोरी के नाम लिखे जाने वाले खाते को बंद करके सीधे-सीधे बिजली के बिल लेने वाले हम बनेंगे। इसलिए हमने यह तय किया है कि हम उनको बिजली का कनैक्शन देंगे। इसी प्रकार से चोरी रोकने के लिए बजाए इसके कि किसी व्यक्ति को प्रारम्भ में ही दण्डित किया जाए, इंसैंटिवज़ व प्रेरणा देकर हम जनता को जागरूक करेंगे। जो लोग बिजली के पूरे बिल समय पर भरेंगे उनको और सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। हमने घोषणा की है कि हम गाँवों में भी 24 घण्टे बिजली देंगे लेकिन 24 घण्टे उनको ही दी जाएगी जो पूरे बिजली के बिल समय पर भरेंगे । जो लोग बिजली के बिल नहीं भरेंगे उनको 24 घण्टे बिजली देने की गारंटी नहीं है। इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए पहले चरण में हमने 83 फीडरों में यह योजना इंट्रोड्यूज़ की है। म्हारा गाँव, जगमग गाँव स्कीम के अंतर्गत अभी तक जो सबसे अच्छे फीडर हैं, हमने सीधे ही पिछली परफार्मेंस के आधार पर उनको प्रतिदिन 15 घण्टे बिजली देना शुरू कर दिया है। अब यदि सबके बिजली के कनैक्शन लग जाते हैं तथा सभी लोग बिजली के बिल भरते हैं तो उस नाते से उनकी बिजली की सप्लाई 3 घण्टे और बढ़ाई जाएगी अर्थात् उनको प्रतिदिन 18 घण्टे बिजली सप्लाई की जाएगी। जिन लोगों के बिजली के मीटर बाहर लग जाते हैं तथा बिजली की कोई चोरी नहीं होती है तो उनकी बिजली की सप्लाई प्रतिदिन 21 घण्टे भी करेंगे तथा धीरे-धीरे 3-3 घण्टे इसको और बढ़ाते चले जाएंगे। कुल मिलाकर जो लोग रिफार्म करेंगे व बिजली के पूरे बिल समय पर भरेंगे उनको हम प्रतिदिन 15 घण्टे से 18 घण्टे, 18 घण्टे से 21 घण्टे व 21 घण्टे से 24 घण्टे बिजली देने की कोशिश करेंगे। हमारे पास बिजली की कोई कमी नहीं है। हमारे यहाँ बिजली पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है लेकिन बिजली के बिल न अदा किए जाएं और बिजली यथावत मिलती रहे तो उससे घाटा बढ़ता है तथा इस घाटे का लोड बिजली बिल-पेयर पर पड़े यह भी उचित नहीं है। 100 यूनिट तक जो बिजली के बिल बढ़ाए गए हैं, वे शून्य हैं बल्कि शून्य न होकर हमने इनमें 3 प्रतिशत् की कमी की है। जिस व्यक्ति का 100 यूनिट्स तक का बिजली का बिल पहले आता था उसमें 3.8 प्रतिशत् की कमी कर दी गई है क्योंकि हम बी.पी.एल. के लोगों को पहले1 से 40 यूनिट तक, 2.70 रूपए प्रति यूनिट बिजली देते थे। [15:00 बजे] अब 1 से 50 यूनिट तक

2 रूपये 70 पैसे कर दिया है और 40 से 50 यूनिट तक वाले कंज्यूमर्ज जो पहले साढे 4 रूपये देते थे वे अब 2 रूपये 70 पैसे देंगे अर्थात् उनको सीधा सीधा 18 रूपये का लाभ होता है। न्यूनतम बिल के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि जिन कंज्यूमर्ज का बिल न्यूनतम आता है, वे अपने मीटर को इस तरीके से रखते हैं कि उनको पता होता है कि हमारा बिल इतनी ही यूनिट का आएगा तथा बाकि की बिजली वे दूसरे तरीके से लेते हैं। न्यूनतम बिल 100 रूपये से 115 रूपये किया गया है। हमारे यहां बिजली के रेट पंजाब और दिल्ली दोनों से कम हैं। हमारे यहां औसतन 100 यूनिट तक बिल 3 रूपये 75 पैसे पड़ता है जबकि पंजाब में यह रेट 5 रूपये 21 पैसे पड़ता है और दिल्ली में 4 रूपये 62 पैसे पड़ता है। दोनों प्रांतों से हमारे यहां अभी भी रेट कम हैं इसलिए किसी प्रकार का रेट ज्यादा किया गया है ऐसा विषय नहीं है। जैसा मैंने पहले बताया है कि बिजली के इन्फ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि की गई है। पिछले एक वर्ष में 220 के.वी.ए. के, 132 के.वी.ए. के और 66 के.वी.ए. के नए सब स्टेशंज चालू किए गए हैं। 183 सब-स्टेशंज की क्षमता बढ़ाई गई है। 536 किलोमीटर बिजली की नई लाइनें बिछाई गई हैं तथा और भी नए कनैक्शंज का प्रावधान किया गया है। किसानों को भी 31.12.2012 तक के टयूबवैल्ज के कनैक्शंज दे दिए गए हैं और साल दर साल इसमें और वृद्धि की जाएगी। इसमें हम एक और चीज सौर उर्जा की जोड़ रहे हैं। सौर उर्जा के हम नए नए प्रयोग कर रहे हैं। टयूबवैल्ज को सौर उर्जा के साथ जोड़ रहे हैं, ढाणियों को सौर उर्जा से जोड़ा जा रहा है ताकि इन्फ्रास्ट्रक्चर का खर्चा बच सके। हमने जितने हाउस टोप्स हैं उनके ऊपर सौर उर्जा की योजना बनाई है। सौर उर्जा के लिए इस वर्ष जो टैण्डर्ज किए गए हैं उससे लगभग 450 मेगावाट बिजली हम इस वर्ष लेंगे और आने वाले 4 वर्षों के बाद लगभग 2200 मेगावाट बिजली हम सौर उर्जा के माध्यम से प्राप्त करेंगे। कुल मिलाकर हम सब व्यवस्थाओं में आगे बढ़ रहे हैं। हमारा जितना भी फोकस है वह इस बात पर है कि हम हरियाणा को किस प्रकार नई बुलंदियों तक ले जा सकें। अध्यक्ष महोदय, अभी सुधार करने की बहुत गुजाइंश है लेकिन जितना समय है उसका हम उपयोग करें और हम चाहेंगे कि इसमें जनता का हमें सहयोग मिले, विपक्ष का भी सहयोग मिले। यदि सब का सहयोग हमें मिलता है तो हम सोचे हुए लक्ष्य को पूरा लेकर जाएंगे।

मुख्यमंत्री /अध्यक्ष द्वारा धन्यवाद

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, इस सदन के सत्र को चलाने में बहुत अच्छी भूमिका हमारे मीडिया के लोगों की रही, बहुत अच्छी भूमिका हमारे विधान सभा के स्टाफ की रही और अच्छा होता यदि उसी प्रकार की भूमिका हमारा विपक्ष भी निभा देता तो मैं उनका भी इन सबके साथ धन्यवाद करता। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष का यह तीसरा सत्र है और आपके कुशल नेतृत्व में यह सत्र सुचारू रूप से चला, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, सदन की कार्यवाही के सुचारू रूप से संचालन में आप सभी के द्वारा प्रदान किए गए सहयोग के लिए मैं आपका आभारी हूं। इसके अतिरिक्त मैं प्रैस के प्रतिनिधियों, सरकार के अधिकारियों, हरियाणा विधान सभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों का आभारी हूं जिन्होंने वर्तमान सत्र के सुचारू रूप से संचालन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। दर्शकदीर्घा में उपस्थित दर्शकगण ने बड़े आराम से सदन की कार्यवाही को देखा

[श्री अध्यक्ष]

व सुना है इसके लिए मैं उनका भी शुक्रगुजार हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका एक बार फिर आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद करता हूं। माननीय सदस्यगण, अब यह सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाता है।

(तत्पश्चात सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुआ)

54008-H.V.S.-H.G.P., Chd.